



कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम मध्य प्रदेश, ग्वालियर

**मध्य प्रदेश स्थित कोषालयों की कार्यप्रणाली पर
वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
वर्ष 2023 -24**

विषय सूची

संक्र.	विषय	पृष्ठ क्रमांक
i	प्राक्कथन	1
ii	मुख्य अंश	3
iii	भाग-1 : कोषालयों की संरचना/संगठन तथा कार्यप्रणाली एवं प्रबन्धन में सुधार हेतु किये गये प्रयास।	5 – 8
iv	भाग-2 : कोषालयों द्वारा प्रेषित लेखाओं/अभिलेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान पाई गई कमियां/त्रुटियां तथा अन्य अनियमितताएं।	9 – 13
v	भाग-3 : कोषालयों एवं उपकोषालयों के निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आई विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं/कमियाँ।	14 – 47
vi	भाग-4 : कोषालयों के निरीक्षण के दौरान एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली में आई.टी.नियंत्रण एवं आई.टी.सुरक्षा जांच बिन्दु संबंधी जानकारी	48 – 59
vii	परिशिष्ट	60 – 150

प्राक्कथन

राज्य सरकार के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन तथा शासकीय लेन-देनों के लेखांकन के सम्बन्ध में कोषालय अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोषालय अपने दायित्वों का उचित निर्वहन कर सकें, इस हेतु शासन ने संहिताएँ, नियमावलियाँ एवं प्रक्रियाएँ निर्धारित की हैं। कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा इन नियमों तथा प्रक्रियाओं से विचलन के कारण वित्तीय प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी स्थायी आदेशों की पुस्तिका (लेखा एवं हकदारी) खण्ड-1 के पैरा 20.17 के अनुसार कोषालयों एवं उपकोषालयों की कार्य प्रणाली पर आधारित वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 तैयार किया गया है। यह वार्षिक प्रतिवेदन निम्नलिखित चार भागों में है:-

भाग-एक:- कोषालयों की संरचना/संगठन तथा कार्यप्रणाली एवं प्रबंधन में सुधार हेतु किये गये प्रयास।

भाग-दो:- कोषालयों द्वारा प्रेषित लेखाओं/अभिलेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान पाई गई कमियाँ /त्रुटियाँ तथा अन्य अनियमितताएं।

भाग-तीन:- कोषालयों के निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आई विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं/कमियाँ।

भाग-चार:- कोषालयों की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) में आई टी. नियन्त्रण एवं आई.टी. सुरक्षा जांच बिन्दु संबंधी जानकारी ।

राज्य सरकार द्वारा सभी कोषालय कम्प्यूटरीकृत किये गये हैं। माह मई 2018 से कोषालयीन लेखे एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) द्वारा तैयार किये जा रहे हैं।

इस प्रतिवेदन के प्रकाशन का उद्देश्य कोषालयों की कार्य प्रणाली में सुधार कर राज्य के वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करना है।

मुझे विश्वास है कि यह समीक्षा प्रतिवेदन कोषालयों के परिचालन में होने वाली अनियमितताओं तथा कमियों को दूर करने में सहायक होगा।

प्रतिवेदन को और अधिक उपयोगी बनाने के सम्बन्ध में सुझाव आमन्त्रित हैं।

(रविन्द्र पत्तार)
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) प्रथम
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

मुख्य अंश

मध्यप्रदेश स्थित कोषालयों की वर्ष 2023–24 की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

मध्य प्रदेश स्थित कोषालयों की वर्ष 2023–24 की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन के मुख्य अंश / प्रमुखताएं निम्नानुसार हैं :—

1. वर्ष 2023–24 के अंत तक अप्राप्त तथा असमायोजित व्ही0डी0एम0एस0

(कंडिका 2.10)

2. व्यक्तिगत निक्षेप खातों में ऋणात्मक शेष का पाया जाना ।

(कंडिका 2.12)

3. सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान हेतु प्राप्त प्राधिकार पत्रों पर निर्धारित छःमाह की समयावधि में भुगतान न किया जाना ।

(कंडिका 3.4)

4. तीन वर्ष से अधिक समय से अदावाकृत राजस्व/प्रतिभूति/अन्य जमा की राशि नियमानुसार शासन के खाते में व्यपगत नहीं किया जाना ।

(कंडिका 3.6.1)

5. तीन वर्षों से अधिक समय से निष्प्रभावी पी.डी./ई.डी. खातों की राशि, नियमानुसार राजस्व जमा में अंतरित नहीं किया जाना ।

(कंडिका 3.6.3)

6. वन मण्डल द्वारा प्राप्त वन राजस्व आय को राज्य शासन की संचित निधि में जमा न करते हुये व्यक्तिगत निक्षेप खाते में रखा जाना ।

(कंडिका 3.6.4)

7. मुद्रांकों का निर्धारित सीमा से अधिक भण्डारण ।

(कंडिका 3.8.1)

8. ठेकेदारों को किये गये भुगतान देयकों से आयकर एवं जी.एस.टी. की नियमानुसार कटौती नहीं किया जाना ।

(कंडिका 3.9.16)

9. कोषालयीन कम्प्यूटर प्रणाली के साफ्टवेयर में पाई गई कमियां ।

(कंडिका 4.3)

भाग—एक

कोषालयों की संरचना/संगठन तथा कार्यप्रणाली
एवं प्रबंधन में गुणात्मक सुधार हेतु किये गये

प्रयास

कोषालयों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन


वर्ष 2023–24

भाग—1

1.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश राज्य के सभी कोषालय आयुक्त कोष एवं लेखा म.प्र. भोपाल के प्रशासकीय नियंत्रण में हैं। कोषालय की कार्य प्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने की दृष्टि से संभागीय स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के प्रभार में हैं। प्रत्येक कोषालय कोषालय अधिकारी के प्रभार में रहते हैं। सभी कोषालय अपने मासिक लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम ग्वालियर को प्रेषित करते हैं।

1.2 संरचना/संगठन



मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष 2023–24 में कुल 54 कोषालय कार्यरत रहे। सभी कोषालय बैंकिंग कोषालय के रूप में कार्यरत हैं। वर्ष 2023–24 में 35 कोषालयों का निरीक्षण किया गया। (परिशिष्ट संख्या 1)

कोषालयों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थिति

वर्ष	स्वीकृत पद	कार्यरत	लेखा कार्य		कम्प्यूटर कार्य	
			प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित
2023–24	1178	820	374	446	636	184

1.3 कोषालय निरीक्षण में गुणात्मक सुधार

मुख्यालय कार्यालय (नई दिल्ली) के निर्देशानुसार कोषालय निरीक्षण में गुणात्मक सुधार लाने हेतु मध्यप्रदेश स्थित कोषालयों को जोखिम आधारित नमूना निरीक्षण (Risk based sample inspection) के आधार पर विभाजित किया गया। विभाजन का आधार निम्नानुसार है :—

1. कोषालय का वार्षिक लेन—देन,
2. मासिक लेखा विलम्ब से प्राप्त होना,
3. निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रथम पालन प्रतिवेदन प्राप्त न होना अथवा विलंब से प्राप्त होना,
4. निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकायें,
5. पूर्व में प्रकाशित प्रारूप कंडिकाओं में कोषालयों का शामिल होना,
6. कोषालय के सुरक्षा में लापरवाही के कारण, चोरी की वारदात से शासन को हानि,

उक्त माप दण्डों जिसमें विशेषकर कोषालयों के वार्षिक लेन देन के आधार पर कोषालयों को **परिशिष्ट संख्या-2** के अनुसार उच्च जोखिम (High Risk) तथा मध्यम जोखिम (Medium Risk) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

भाग—दो

कोषालयों द्वारा प्रेषित लेखाओं/अभिलेखों के

संकलन एवं सत्यापन के दौरान

पाई गई कमियों/त्रुटियां तथा अन्य अनियमिततायें

भाग—2

लेखे के संकलन एवं सत्यापन के दौरान पाई गई कमियों/विसंगतियों

2.1 कोषालयों द्वारा मासिक लेखे के साथ इलैक्ट्रानिक डाटा (Text File) कभी—कभी अपूर्ण /त्रुटिपूर्ण भेजा जाता है, जिसके कारण वही एल.सी. सिस्टम में डाटा दर्ज करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

2.2 कुछ विभागों द्वारा वेतन का आहरण सहायक अनुदान (GIA) के प्रमाणकों द्वारा किया जाता है जिसके इलैक्ट्रानिक डाटा (Text File) में उक्त प्रमाणकों से संबंधित कटौतियों जैसे सामान्य भविष्य निधि, आयकर आदि का डाटा Text File में शामिल नहीं पाया जाता है। जिसके कारण उक्त कटौतियों का डाटा वही.एल.सी. सिस्टम में दर्ज नहीं हो पाता है।

2.3 आई.एफ.एम.आई.एस. सिस्टम से प्राप्त पेंशन प्रमाणकों में दृष्टिगत हुआ है कि मुख्य शीर्ष 2071 अन्य सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित प्रमाणकों पर प्रभार का विभाजन एकीकृत मध्य प्रदेश व विभाजित मध्य प्रदेश राज्यों के मध्य नहीं किया जा रहा है। अतः कर्मचारी/अधिकारी द्वारा संबंधित राज्य के अधीन रही सेवा के अनुपात के आधार पर राशियों का वास्तविक प्रभाजन संबंधित प्रमाणकों पर दर्शाया जाना आवश्यक है।

2.4 मुख्य शीर्ष 8793 से संबंधित मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अन्य राज्य के पेंशनरों को किये गये भुगतान की वसूली संबंधित राज्य से किये जाने हेतु साक्ष्य अभिलेख के रूप में संकलित बैंक स्कॉल भोपाल कोषालय से इस कार्यालय में लेखा माह 03/2020 (द्वितीय सून्ही) से अप्राप्त है। जिसके कारण जिला कोषालय भोपाल से दूरभाष संपर्क के माध्यम से राज्यवार Covering प्राप्त कर संकलन करना पड़ रहा है।

2.5 प्रमाणकों की जांच के दौरान पाया गया कि कुछ प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को देय पेंशन भुगतान दत्तमत में वर्गीकृत किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है तथा पेंशन भारित मद में वर्गीकृत किया जाना चाहिये एवं आई.एफ.एम.आई.एस. सिस्टम द्वारा दत्तमत में प्रमाणक स्वीकार कर भुगतान किया जाना बजट प्रावधान के अधीन व्यय संबंधी प्रारंभिक जांच की खामी को दर्शाता है।

2.6 आय व्यय की स्थिति आंकड़ों के शत प्रतिशत अंकमिलान एवं वार्षिक लेखों में सही एवं सटीक चित्रण पर निर्भर करती है तथा इस हेतु अंकमिलान के महत्व पर बल देते हुये राज्य शासन को, आय व्यय के आंकड़ों के शत प्रतिशत अंकमिलान के लिये तत्पर होना चाहिये।

2.7 कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा, भोपाल के पत्र क्रमांक/861/2022/डी.टी.ए./सं.को.ले./अं.मि.शा./2022 भोपाल दिनांक 08.06.2022 द्वारा जारी दिशानिर्देश अनुसार कोष एवं लेखा कार्यालय द्वारा कार्यालय प्रधान महालेखाकार से अंकमिलान हेतु मासिक लेखा के आंकड़ों को प्रतिमाह निर्धारित समयावधि में प्राप्त किये जाते हैं।

वर्ष 2023–24 के दौरान यह देखा गया है कि कोष एवं लेखा कार्यालय द्वारा मासिक लेखों के आंकड़ों का निर्धारित समयावधि में मिलान नहीं किया गया। इस कार्यालय के द्वारा अनेक पत्राचार के बावजूद राज्य शासन के विभागों द्वारा स्वीकृत ऋण एवं अग्रिम से संबंधित आंकड़ों को पुनर्मिलान हेतु शामिल नहीं किया गया।

2.8 विभिन्न कोषालयों से मुख्य शीर्ष 8658–112–314 स्रोत पर कर की कटौती (TDS) के डेबिट में राशियां प्राप्त हो रही हैं, जिसके कारण वर्गीकृत राशियों का अंतरण प्रविष्टि (Transfer entry) के माध्यम से सी.टी. अनुभाग द्वारा घटना के आगामी वर्ष में किया जाता है, साथ ही ग्वालियर कोषालय में 8658–101–0121 तत्कालीन अस्थाई वस्तु एवं सेवा कर (GST) (TDS) हेतु की गई व्यवस्था अद्यतन राशियां बुक की जा रही हैं, जबकि GST (TDS) हेतु स्थाई व्यवस्था 8658–139 में कर दी गई है।

2.9 कोषालय विन्ध्याचल भवन द्वारा मासिक लेखे भेजे जाने के पश्चात भी संशोधित किया जा रहा है। कोषालय द्वारा मासिक लेखे को बन्द करने के पश्चात लेखे को फीज नहीं करने से महालेखाकार कार्यालय को लेखे भेजे जाने के उपरांत डाटा में परिवर्तन के कारण गड़बड़ी की संभावना पैदा हो सकती है साथ ही महालेखाकार तथा राज्य सरकार के बीच आंकड़ों के मिलान में भिन्नता उत्पन्न होती है।

अतः महालेखाकार कार्यालय को मासिक लेखे प्रस्तुत करने के पश्चात फीज किया जाना आवश्यक है तथा इस कार्यालय की अनुमति के बिना लेखा अनफीज न किया जाए जिससे आई.एफ.एम.आई.एस. के माध्यम से प्राप्त ई-डाटा की विश्वसनीयता बनी रहे।

2.10 वर्ष 2023–24 के अन्त तक अप्राप्त तथा असमायोजित व्ही.डी.एम.एस.

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार सत्यापित मासिक तिथिवार व्यय पत्रक (व्ही.डी.एम.एस.) जिला कोषालय अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद, बैंक शाखाओं को एक प्रति वापस कर, दो प्रतियाँ कार्यालय प्रधान महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर को डाक द्वारा आगामी माह की 10 तारीख तक, प्रेषित किया जाना चाहिये।

ये पत्रक कुछ मामलों में या तो प्राप्त ही नहीं होते हैं या काफी विलम्ब से प्राप्त होते हैं, जिसके कारण आर.बी.डी. के अंतर्गत विसंगतियों का निराकरण प्रभावित होता है। वर्ष 2019–20 से वर्ष 2023–24 तक अप्राप्त सत्यापित मासिक तिथिवार व्यय पत्रकों (व्ही.डी.एम.एस.) का कोषालयवार/बैंकवार विवरण **परिशिष्ट –3(i)** से **3(iv)** में दर्शाया गया है।

2.11 कोषालयों द्वारा मासिक लेखे में अंकित आर.बी.डी. राशि तथा आर.बी.डी. पत्रक में दर्शित राशि में अंतर।

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार कोषालयों द्वारा मासिक लेखे में दर्शाई गई आर.बी.डी. राशि के अनुसार ही आर.बी.डी. पत्रक संलग्न कर मासिक लेखे के साथ भेजे जाने चाहिए। दोनों के मध्य यदि कोई अन्तर हो तो, अन्तर का निराकरण कर लेखा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

समीक्षा वर्ष 2023–24 में **परिशिष्ट संख्या–4(अ)** एवं **4(ब)** में दिये गये विवरण के अनुसार विभिन्न कोषालयों द्वारा प्रस्तुत लेखे में दर्शाई गई आर.बी.डी. राशि तथा संबंधित आर.बी.डी. पत्रक अनुसार राशि में अंतर पाया गया।

2.12 व्यक्तिगत निक्षेप खातों में ऋणात्मक शेष पाया जाना।

मध्य प्रदेश कोष संहिता 2020 भाग दो के सहायक नियम 355 के प्रावधानों के तहत, कोषालयों में संधारित व्यक्तिगत निक्षेप खाते में जमा शेष राशि ऋणात्मक नहीं होनी चाहिये। प्रधान महालेखाकार कार्यालय के अभिलेखों से अंकमिलान कर सुधार किया जाना आवश्यक है। वर्ष 2023–24 में **परिशिष्ट संख्या–5** में दर्शाये गये विवरण अनुसार 45 कोषालयों में संधारित कुल 145 व्यक्तिगत निक्षेप खातों में ऋणात्मक शेष परिलक्षित हुआ है, जिनके निराकरण हेतु कोषालयों द्वारा अंकमिलान नहीं किया जाना है।

2.13 व्यक्तिगत निक्षेप खातों के अवशेषों का अंकमिलान किया जाना।

मध्य प्रदेश कोष संहिता 2020 भाग दो के सहायक नियम 359के प्रावधानों के तहत, कोषालय में संधारित प्रत्येक व्यक्तिगत निक्षेप खाताधारक के खाते में शेष राशि का मिलान

कार्यालय महालेखाकार के अभिलेख से प्रतिवर्ष किया जाना चाहिये तथा अंतर यदि कोई हो, का अविलम्ब निराकरण किया जाना चाहिये ।

वर्ष 2023–24 के लेखांकन के दौरान मध्य प्रदेश स्थित कोषालयों में दिनांक 31.03.2024 की स्थिति में 75 व्यक्तिगत निक्षेप खातों के शेषों का अंकमिलान किया गया है ।

2.14 व्यक्तिगत जमा लेखे के प्रशासकों से अवशेष सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त न होना

मध्य प्रदेश कोष संहिता 2020 भाग दो के सहायक नियम 359 के प्रावधानों के तहत, प्रत्येक व्यक्तिगत जमा खाता प्रशासक से वित्त वर्ष के अन्त में वार्षिक अवशेष प्रमाण पत्र प्राप्त कर तथा कोषालयीन अभिलेख से मिलान पश्चात सत्यापन कर, कार्यालय प्रधान महालेखाकार को मार्च लेखे के साथ भेजना चाहिये, साथ ही अभिलेख में वार्षिक प्रमाण पत्र के अनुसार अन्त शेष भी अंकित कर सत्यापन कराया जाना चाहिये ।

समीक्षा वर्ष 2023–24 में पाया गया कि 06 कोषालयों (धार, नीमच, मण्डला, नरसिंहपुर, मंदसौर, सागर) से अवशेष प्रमाण पत्र प्राप्त हुये हैं जबकि 48 कोषालयों से अवशेष प्रमाण पत्र वर्ष के अन्त तक वांछित रहे ।

भाग—तीन

**कोषालयों के निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आई^१
विभिन्न प्रकार की अनियमिततायें / कमियां**

भाग—3

वर्ष 2023–24 में कोषालयों के निरीक्षण एवं व्यय लेखा परीक्षा के दौरान परिलक्षित हुई त्रुटियां एवं अन्य अनियमिततायें

3.1 वर्ष 2023–24 के दौरान निरीक्षण किये गये कोषालय एवं उपकोषालय का विवरण

इस कार्यालय के निरीक्षण दलों द्वारा कोषालयों का निरीक्षण किया जाता है। इस निरीक्षण का उद्देश्य राजस्व अधिकारियों को ऐसी व्यवस्था के संचालन में सहयोग देना है, जिससे सभी कोषालय निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए कार्य कर सकें। समीक्षा वर्ष 2023–24 के दौरान परिशिष्ट संख्या–1 में दर्शाये गये 35 कोषालयों का निरीक्षण योजनानुसार किया गया।

3.2 वर्ष 2023–24 में लंबित निरीक्षण/व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की स्थिति निम्नानुसार है –

कंडिकाओं का विवरण	निरीक्षण/व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की संख्या	कंडिकाओं की संख्या
दिनांक 01.04.2023 को प्रारंभिक शेष	155	479
वर्ष के दौरान वृद्धि	35	250
योग	190	729
वर्ष के दौरान निराकरण	23	202
दिनांक 31.3.2024 को अंतशेष	167	527

लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु सचिव वित्त विभाग, आयुक्त, क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा तथा कोषालय अधिकारियों का लगातार ध्यान आकृष्ट किये जाने के उपरांत समीक्षा वर्ष 2023–24 में 23 निरीक्षण/व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं 202 कंडिकाओं का निराकरण किया गया। दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 167 निरीक्षण/व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की 527 कंडिकायें लंबित हैं।

3.2.1 कोषालय द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों का प्रथम पालन प्रतिवेदन प्राप्त न होना अथवा विलम्ब से प्राप्त होना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 43 एवं 44 के अनुसार प्रधान महालेखाकार कार्यालय के कोषालय निरीक्षण दल द्वारा कोषालय के निरीक्षण के पश्चात पाई गई आपत्तियों को निरीक्षण प्रतिवेदन के रूप में जारी कर उसका प्रथम पालन प्रतिवेदन जारी

होने के दिनांक से पांच सप्ताह के अंदर प्रधान महालेखाकार कार्यालय को भेजने हेतु लेख किया जाता है। संचालनालय तथा संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन कार्यालय के आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के निराकरण की निगरानी रखी जानी चाहिए।

समस्त कोषालयों के निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रतियां आयुक्त कोष एवं लेखा, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन तथा संबंधित कोषालयों को पांच सप्ताह में पालन प्रतिवेदन भिजवाने हेतु पालनार्थ भेजे जाते हैं, परंतु समीक्षा वर्ष 2023–24 में पाया गया कि, **परिशिष्ट संख्या–6** में दर्शाये गये विवरण अनुसार 35 कोषालयों में से 23 कोषालयों के निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम पालन प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के पश्चात भी प्राप्त नहीं हुये तथा 12 कोषालयों के पालन प्रतिवेदन विलम्ब से प्राप्त हुये।

3.2.2 कोषालयों का विभागीय निरीक्षण निर्धारित अवधि में न किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता 2020 भाग दो के सहायक नियम 31(1) (2) एवं 32 के अनुसार कोषालयों का विभागीय निरीक्षण, विभागीय अधिकारियों द्वारा निम्न अवधि अनुसार किया जाना चाहिये।

स.क्र	निरीक्षण अधिकारी का पदनाम	निर्धारित अवधि
		कोषालय
1	आयुक्त/संचालक कोष एवं लेखा म.प्र. भोपाल	3 वर्ष में एक बार
2	संभागीय आयुक्त (राजस्व)	वर्ष में एक बार
3	क्षेत्रीय संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन	वर्ष में एक बार
4	जिला कलेक्टर	वर्ष में दो बार
5	नामित उपजिलाध्यक्ष	प्रतिमाह
6	कोषालय अधिकारी	—
7	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	—

सभी कोषालयों में उक्त प्रक्रिया का केवल आंशिक पालन किया गया जबकि सभी निरीक्षण निर्धारित अवधियों पर पूर्ण किये जाने चाहिए।

3.3 पेंशन से संबंधित प्रकरण

3.3.1 राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 एवं इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को परिभाषित पेंशन योजना के कियान्वयन में अनियमिततायें

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्र0एफ-9/3/2003/नियम/चार दिनांक 25.9.06 एवं ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/2008/नियम/चार दिनांक 01.10.2009 में दिये गये निर्देश अनुसार राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 एवं इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के वेतन बिल से प्रतिमाह अंशदान की राशि की कटौती की जावेगी तथा उसके समतुल्य राशि राज्य शासन की तरफ से निर्धारित शीर्षों में जमा की जावेगी ।

निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-7 में दर्शाये गये कोषालयों में कर्मचारियों के वेतन बिल से कटौती द्वारा प्राप्त अंशदान (पेंशन योजना) राशि ₹ 1438.16 करोड़ के विरुद्ध शासन के समतुल्य राशि ₹ 1373.19 करोड़ जमा की गई है तथा ₹ 64.97 करोड़ जमा किया जाना लंबित पाया गया ।

3.3.2 राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) अंतर्गत 14 प्रतिशत की दर से शासकीय अंशदान का कम आहरण पाया जाना ।

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ:9-4/-/2021/नियम/चार, दिनांक 25 मई 2021 के बिन्दु क्रमांक 3 के अनुसार भारत की अधिसूचना दिनांक 31/01/2019 के अनुसार नियोक्ता अंशदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया है। उपरोक्त आदेश के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 25.09.2006 के बिन्दु 8 में समतुल्य शासकीय अंशदान के स्थान पर संशोधन करते हुए शासकीय अंशदान वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के स्थान पर 14 किया गया है। उक्त प्रावधान दिनांक 01.04.2021 से लागू किया गया है।

निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-8 में दर्शाये गये कोषालयों द्वारा उक्त आदेश का पालन निर्धारित अवधि से नहीं किया जाना पाया गया है ।

3.3.3 दि0 01.01.2016 के पश्चात् प्रदाय समयमान/क्रमोन्नति दौरान त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण किया जाना व त्रुटिपूर्ण नियमित/वार्षिक वेतन वृद्धि निर्धारित किया जाना ।

वित्त विभाग विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र.एफ-8-1/2016/नियम/चार, दिनांक 20 जुलाई 2017 द्वारा जारी मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के नियम 10 व 13 पर नियुक्ति, पदोन्नत या समयमान वेतनमान दिये जाने की स्थिति में वेतन निर्धारण

किये जाने पर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। नियम 10 अनुसार स्पष्ट किया गया है कि “ऐसा शासकीय सेवक जिसे 2 जनवरी और 1 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या पदोन्नति या समयमान वेतनमान योजना के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतन वृद्धि 1 जनवरी को दी जायेगी। और ऐसे कर्मचारी जिसे 2 जुलाई और 1 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या पदोन्नति या समयमान वेतनमान योजना के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतनवृद्धि 1 जुलाई को दी जायेगी।” एवं तत्पश्चात् आगामी वेतन वृद्धि की तिथि वेतन निर्धारण की तिथि के 1 वर्ष पश्चात् (1 जनवरी/1 जुलाई जैसी भी स्थिति हो) नियत की जायेगी। अर्थात् पूर्व की भाँति समयमान/वेतनमान में विकल्प अनुसार वेतन निर्धारित किये जाने का प्रावधान सभी कर्मचारियों हेतु उपलब्ध नहीं है।

साथ ही उक्त पत्र के नियम 13 में दि 01.01.2016 को अथवा उसके पश्चात् पदोन्नति/समयमान पर वेतन का निर्धारण संबंधी प्रक्रिया पुनः उदाहरण सहित स्पष्ट की गई है इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल ने अपने पत्र क्रमांक एफ 8-1/2016/नियम/चार भोपाल 02.11.2017 में बिन्दु 1 व 5 पर वेतनमान समयमान के संबंध में उक्त नियम 10 व 13 के स्वयं ही पूर्णतः स्पष्ट होने का लेख किया है।

वर्ष 2023–24 के निरीक्षण दौरान जिला कोषालय इंदौर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवापुस्तिकाओं में दर्ज वेतन निर्धारण का अवलोकन किये जाने पर निम्नानुसार त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण किया जाना पाया गया:—

धनराशि ₹							
कं.	कर्मचारी का नाम	समयमान से पूर्व का मूल वेतन (लेबल/ग्रेड पे)	समयमान देय दिनांक एवं ग्राह्य लेबल/ग्रेड पे	समयमान पश्चात् कोषालय द्वारा निर्धारित आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि व मूल वेतन (जो निर्धारित होना चाहिए था)	आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि व मूल वेतन (जो निर्धारित होना चाहिए था)		
1	2	3	4	5	6		
01.	श्री अमर सिंह परमार, भृत्य	32,400 (लेबल-3) (1,800 ग्रेड पे)	01.05.2022 (लेबल-4) (1,900 ग्रेड पे)	01.05.2022	32400	01.05.2022	34200
				01.07.2022	35200	01.01.2023	35200
				01.07.2023	36300	01.07.2023	35200
				Next Increment on 01.07.2024	37400	Next Increment on 01.01.2024	36300
02.	श्री मनोहर तागड़, भृत्य	31,500 (लेबल-3) (1800 ग्रेड पे)	01.07.2019 (लेबल-4) (1,900 ग्रेड पे)	01.07.2019	33,200	01.07.2019	33,200
				01.07.2020	34,200	01.01.2020	34,200
				01.07.2021	35,200	01.01.2021	35,200
				01.07.2022	36,300	01.01.2022	36,300

				01.07.2023	37,400	01.01.2023	37,400
				Next Increment on 01.07.2024	37,400	Next Increment on 01.01.2024	38,500

3.3.4 कोषालयीन कर्मचारी श्री भोपाल कृष्ण दुबे, सहाय्यग्रेड-2 को ग्राह्य समयमान/कमोन्नति दौरान दि 01.07.2006 को त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण किया जाना।

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-8/2009/नियम/चार, भोपाल दि 025.05.2009 द्वारा मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 पर जारी स्पष्टीकरण के पैरा 5 अनुसार ऐसे कर्मचारी जिसे 1 जनवरी 2006 को या पश्चात्वर्ती अवधि में कमोन्नति, समयमान वेतनमान, वरिष्ठ वेतनमान, प्रवरश्रेणी वेतनमान मिलने पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के लिए एक माह के भीतर विकल्प देने की पात्रता होगी। विकल्प, वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 23.03.2009 के परिशिष्ट दो के अनुसार कार्यालय प्रमुख को दिया जायेगा। शासकीय सेवक आगामी वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण कराने का विकल्प देता है तो कमोन्नति, समयमान वेतनमान, वरिष्ठ वेतनमान, प्रवरश्रेणी वेतनमान की तिथि पर “वेतन बैण्ड में वेतन” अपरिवर्तित रहेगा किन्तु उच्च ग्रेड का ग्रेड वेतन स्वीकृत किया जायेगा। आगामी वेतन वृद्धि की तिथि अर्थात् एक जुलाई को वेतन का पुनर्निधारण किया जायेगा। उक्त तिथि को उसे दो वेतनवृद्धि, एक नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि तथा दूसरी वेतन वृद्धि कमोन्नति, समयमान वेतनमान, वरिष्ठ वेतनमान, प्रवरश्रेणी वेतनमान जैसी भी स्थिति हो, में स्वीकृत की जायेगी तथा वेतन वृद्धि की गणना पूर्व प्राप्त वेतन के आधार पर की जायेगी। उदाहरण के लिए समयमान वेतनमान की तारीख से पहले मूल वेतन 100 रुपये (बैण्ड वेतन 90 रु.+ग्रेड वेतन 10 रु.) है तो पहली वेतन वृद्धि की गणना 100 रु. पर की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि की राशि की गणना 93 रु. पर की जायेगी।

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-8/2009/नियम/चार, भोपाल दि 028.02.2009 द्वारा जारी मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के नियम 7(1)(क)(i) के अनुसार— सभी कर्मचारियों के मामले में वेतन बैण्ड/वेतनमान में वेतन का निर्धारण 01.01.2006 को यथाविद्यमान मौजूदा परिलक्षियों अथवा परिकल्पित परिलक्षियों इनमें जो भी अधिक हो, की राशि को 10 के अगले गुणक में पूर्णांकित करके किया जायेगा। इसके अतिरिक्त नियम 8 के अनुसार— संघोधित वेतन ढांचे में वेतन वृद्धि की दर वेतन बैण्ड में

वेतन और लागू ग्रेड वेतन के जोड़ का 3 प्रतिष्ठत होगी, जिसे 10 के अगले गुणक में पूर्णांकित किया जायेगा। वेतनवृद्धि की राशि, वेतन बैंड में मौजूदा वेतन में जोड़ी जायेगी।

वर्ष 2023–24 के निरीक्षण दौरान जिला कोषालय इंदौर की सेवा पुस्तिकां के अवलोकन में पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार कोषालयीन कर्मचारी श्री गोपाल कृष्ण दुबे, सहारा वर्ग-2 के वेतनमान/क्रमोन्नति में वेतन का त्रुटिपूर्ण निर्धारण किया जाना पाया गया है जिसका सही वेतन निर्धारण कॉलम क्र. 07 पर निम्नानुसार दर्शाया गया है:—

धनराशि ₹						
क्र.	दिनांक	वेतनमान	प्रदाय मूल वेतन	ग्रेड पे	क्रमोन्नति व विकल्प	प्रदाय योग्य मूल वेतन
01.	01.01.2006	5200—20200	7,070	1,900	वार्षिक वेतनवृद्धि	—
02.	01.04.2006	5200—20200	7,070	2,400	दि 01.04.2006 से वेतनमान प्रदाय व आगामी वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण का विकल्प प्रस्तुत।	—
03.	01.07.2006	5200—20200	7,560	2,400	एक वार्षिक वेतनवृद्धि एवं एक समयमान वेतन वृद्धि प्रदाय	7570*+2400 *Note:- 1 st Increment $(7070+1900)*3/100=270$ 2 nd Increment $(7070+270)*3/100=220.2$ Which will be rounded to the next digit of 10, therefore it will be 230. $(7070+270+230=7570)$

3.3.5 दिनांक 01.01.2023 के पश्चात् सेवानिवृत्त अथवा मृत कर्मचारियों/आश्रितों को अवकाश नगदीकरण राशि ₹ 41,233/- का कम भुगतान किया जाना।

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 4—1/2023/नियम/चार दिनांक 19.07.2023 द्वारा दिनांक 01.01.2023 से राज्य शासन के शासकीय सेवकों को मंहगाई भत्ते की दर 38 प्रतिशत से 42 प्रतिशत किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। इसके साथ ही उक्त पत्र के बिन्दु क्रमांक 6 में लेख किया गया है कि “राज्य शासन के कर्मचारी जो दिनांक 01 जनवरी 2023 से 30.06.2023 की अवधि में सेवानिवृत्त/मृत हो गये हैं, उन्हें/नामांकित सदस्य को एरियर की राशि का भुगतान एकमुष्ट किया जायेगा।”

वर्ष 2023–24 में जिला कोषालय इंदौर के निरीक्षण दौरान पाया गया कि शासन के उपरोक्त आदेश होने के उपरांत भी इस कोषालय से दि 01.01.2023 व उसके पश्चात् सेवानिवृत्त/मृत्यु के प्रकरणों में महंगाई भत्ते की पूर्व 34 व 38 प्रतिशत की दर से ही भुगतान किया जाना पाया गया है, किन्तु ज्ञापन दिनांक 15.11.2023 तक उक्त 4 प्रतिशत मंहगाई भत्ते के बकाये की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। विवरण निम्नवत् हैः—

क्र.	सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम एवं सेवानिवृत्ति तिथि	प्रमाणक क्र. एवं भुगतान माह व राशि	धनराशि ₹		
			महंगाई राहत की भुगतान की गई राशि (कम दर 34 व 38 प्रतिशत से)	महंगाई राहत की भुगतान योग्य राशि (42 प्रतिशत की दर से)	कम भुगतान की गई राशि
01.	स्व. श्री पूरन सिंह चौहान, मृत्यु तिथि 08.01.2023	560 03 / 2023 कुल राशि 471090 /—	119530 /— [(37400×282/30)×34%]	1,47,655 /—	28,125 /—
02.	श्री बगदीराम मालवीय सेवा० तिथि 31.01.2023	326 07 / 2023 कुल राशि 452226 /—	124526 /— [(43500×226/30)×38%]	1,37,634 /—	13,108 /—
कुल योग					41,233 /—

3.4 सामान्य भविष्य निधि

- (i) सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान हेतु महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी किये गये प्राधिकार पत्रों का निर्धारित छःमाह की समयावधि में भुगतान न किया जाना
- (ii) सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान हेतु प्राप्त प्राधिकार पत्रों का देय अवधि से पूर्व भुगतान किया जाना

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग क्रमांक एफ-5/4/2005/नि. / चार दिनांक 29.6.2005 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं कि सेवा निवृत शासकीय सेवक के सा.भ.नि. अंतिम भुगतान के प्रकरणों में अनावश्यक विलम्ब के कारण सेवानिवृत कर्मचारी न्यायालय की शरण लेते हैं तथा आहरण अधिकारी एवं वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवादी बनाते हैं। इस कारण अनावश्यक श्रम एवं समय लगता है तथा शासन पर कई मामलों में वित्तीय भार भी आता है। इसके अलावा विलम्ब से उक्त भुगतान के परिणामस्वरूप सेवानिवृत कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा ब्याज की राशि की हानि भी उठानी पड़ती है।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या –9 में दर्शाये गये कोषालयों द्वारा महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी कुल 43 प्राधिकार पत्रों पर राशि ₹ 3.81 करोड़ का भुगतान आहरण अधिकारियों से समन्वय करके जारी होने के दिनांक से छःमाह की (वैधता) अवधि में नहीं किया गया तथा पुर्नवैधीकरण की कार्यवाही भी लंबित पाई गयी। कोषालय सीहोर में 02 प्राधिकार पत्रों पर राशि ₹ 25 लाख का भुगतान देय अवधि से पूर्व किया जाना पाया गया है।

3.5 बिल एवं लेखा से संबंधित क्षेत्र

3.5.1 विभागीय प्राप्ति एवं भुगतानों का सत्यापन कोषालयीन अभिलेख से न किया जाना

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग क्रमांक 1889/1843/2001/सी/चार, दि. 5.10.01 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यालय प्रमुखों द्वारा कोषालयों/बैंकों में चालान द्वारा समस्त जमा राशि की प्रतिमाह पुष्टि कराई जाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार वित्त विभाग क्रमांक 2570/3359/2000/सी/चार, दिनांक 12.12.2000 में दिये गये निर्देशों के अनुसार राज्य शासन के कार्यालय प्रमुखों द्वारा कोषालय से किये गये समस्त आहरणों की प्रतिमाह पुष्टि/प्रमाणीकरण कराया जाना अनिवार्य किया गया है।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या–10 में दर्शाये गये 35 कोषालयों में से 21 कोषालयों द्वारा राज्य शासन के उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया गया है।

3.5.2 भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार दो पासबुकों का संधारण न किया जाना

भारतीय रिजर्व बैंक मे विभिन्न स्तरों से प्राप्त होने वाले राज्य शासन के आय व्यय के आंकड़ों के अंतर को दूर करने के उद्देश्य से आर.बी.आई. के परिपत्र संख्या डी.जी.बी.ए.जी.ए.डी./1377/31.4.008/2002–03/02.2.03 एव पत्र क.सं.बै.ले.नि.जी.ए.डी.एच.698/31.4.008/2002–03/17.6.03 के द्वारा दो पासबुक क्रमशः कोषालय एवं एजेंसी बैंक स्तर पर राज्य शासन के आय व्यय के आंकड़े प्रतिदिन सतत रूप से दर्ज करने तथा परस्पर सत्यापन के उद्देश्य से संधारित करने के निर्देश हैं। प्रत्येक माह पासबुक के ‘ए’ साइड पर बैंक स्तर व ‘बी’ साइड पर कोषालयीन अभिलेख से आय व्यय के आंकड़े दर्ज करने हेतु, निर्धारित किये गये हैं जिसका परस्पर सत्यापन भी किया जाना चाहिये।

वर्ष 2023–24 के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या–11** में दर्शाये गये कोषालय तथा अधीनस्थ उपकोषालयों ने भारतीय रिजर्व बैंक के उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया ।

3.5.3 निर्माण तथा वन प्रेषणों का प्रमाणीकरण न किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता 2020 के सहायक नियम 289 तथा 294 के प्रावधान अनुसार क्रमशः निर्माण तथा वन विभागों के, माह के दौरान प्रेषणों एवं प्राप्तियों के आकड़ों का मिलान संबंधित कोषालयों के अभिलेख से किया जाना चाहिये जिससे माह के दौरान प्रेषण एवं जमा राशि के आकड़ों की पुष्टि की जा सकें। कोषालय द्वारा आंकड़े के मिलान बावत् नियमानुसार निम्न आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये –

माह के दौरान वन प्रेषणों की प्राप्ति एवं उनके द्वारा जमा की, प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 58 में एक समेकित कोषालय पावती कोषालय अधिकारी द्वारा कोषालय से लेन देन कर रहे प्रत्येक वन अधिकारी को अगले माह की 5 तारीख तक भेजी जानी चाहिये। जैसे ही कोषालय से समेकित कोषालय पावती प्राप्त होती है, उसकी तुलना रोकड़ पुस्तक में की गई प्रविष्टियों के साथ की जावेगी तथा संभागीय वन अधिकारी को भेजी जावेगी।

इसी प्रकार लोक निर्माण विभाग द्वारा किये गये प्रेषणों की एक समेकित कोषालय पावती प्रत्येक माह के अन्त में कोषालय अधिकारी द्वारा एम.पी.टी.सी. प्रपत्र 56 में लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार समेकित कोषालय पावती पर अपने अभिलेख से मिलान उपरान्त हस्ताक्षर कर पावती वापस की जानी चाहिये।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोषालय रायसेन, दमोह, रीवा, डिण्डोरी, धार एवं सागर द्वारा वन तथा निर्माण प्रेषणों एवं जमा राशियों का मिलान कराने बावत्, आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई।

3.6 जमा खातों की अभिरक्षा

3.6.1 तीन वर्ष से अधिक समय से अदावाकृत राजस्व/प्रतिभूति/अन्य जमा की राशि नियमानुसार शासन के खाते में व्यपगत नहीं किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता 2020 भाग दो के सहायक नियम 334 के प्रावधान अनुसार एक पूर्ण लेखा वर्ष तक दावा न किये गये ₹ 10000.00 से अनाधिक की जमा राशियों को, वित्त वर्ष में अंशतः वापस भुगतान की गई जमा राशि के पश्चात शेष बची दस हजार रुपये से अनधिक

की जमा राशियों, तथा तीन पूर्ण लेखा वर्षों तक अवशिष्ट समस्त अदावाकृत शेष राशियों को प्रतिवर्ष मार्च माह की समाप्ति पर प्रधान महालेखाकार के कार्यालय में अंतरण प्रविष्टियों के माध्यम से शासन के खाते में लेखा शीर्ष 0075 में व्यपगत किया जावेगा। इस तरह व्यपगत हुए निक्षेपों एवं शेषों की प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 71 में एक सूची 31 मार्च के पश्चात तत्काल कोषालय अधिकारी द्वारा महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-12** में दिये गये विवरण अनुसार 27 कोषालयों द्वारा राजस्व निक्षेप की तीन लेखा वर्षों से अधिक समय से अदावाकृत राशि ₹ 497.34 करोड़ को नियमानुसार शासन के खाते में व्यपगत नहीं किया जाना पाया गया है।

3.6.2 व्यक्तिगत जमा लेखे में त्रुटिपूर्ण/गलत संचालन का प्रकरण

वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना एक से अधिक व्यक्तिगत जमा खाता खोलना

मध्य प्रदेश कोष संहिता 2020 भाग दो के सहायक नियम 311 के नीचे अंकित मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक एफ-1/2003/नियम/4 दि. 7.6.2003 के अनुसार कोषालय में व्यक्तिगत निक्षेप खाता खोले जाने के लिये वित्त विभाग की सहमति आवश्यक है। शासन के किसी भी विभाग अथवा प्राधिकारी को अपने स्तर पर कोषालय में पी.डी. खाता खोलने के आदेश देने का अधिकार नहीं है।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-13** में दर्शाये गये 22 कोषालयों में आहरण अधिकारियों के एक से अधिक पी.डी. खाते वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना संधारित है।

3.6.3 तीन वर्षों से अधिक समय से निष्प्रभावी पी.डी./ई.डी. खातों की राशि नियमानुसार राजस्व जमा में अंतरित न करना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता 2020 भाग दो के सहायक नियम 319(2) के अनुसार यदि व्यक्तिगत लेखा लगातार 3 वर्षों से अधिक अवधि से निष्प्रभावी रखा गया है, तो कोषालय अधिकारी लिखित रूप में लेखा के प्रशासक को संबोधित करते हुए एक नोटिस जारी करेगा कि एक माह के अन्दर कारण बतायें कि लेखा के शेष को क्यों न राजस्व में जमा किया जावे। यदि प्रशासक का पता नहीं चले, या वह एक माह में प्रतिउत्तर देने में असफल रहता है अथवा कोषालय अधिकारी व्यक्तिगत जमा लेखा निरंतर चालू रखने के बारे में औचित्य बताने में असफल रहता है, तो कोषालय अधिकारी महालेखाकार की पुस्तक से शेष का मिलान तथा सत्यापन कराने के पश्चात प्रधान महालेखाकार को मांग पत्र भेजकर, संबोधित प्रशासक के व्यक्तिगत जमा लेखा के शेष को राजस्व प्राप्ति शीर्ष 0075 में अंतरित कर खाता बन्द करेगा।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या 14 में दर्शाये गये 28 कोषालयों में 152 व्यक्तिगत जमा खातों में तीन वर्ष से अधिक समय से कोई लेन देन न होने के बावजूद भी, खातों में शेष राशि ₹. 95.14 करोड़ को राजस्व निक्षेप के अंतर्गत अंतरण करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

3.6.4 वन मण्डल द्वारा प्राप्त वन राजस्व आय को राज्य शासन की संचित निधि में जमा न करते हुये व्यक्तिगत निक्षेप खातों में रखा जाना

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग-2 के स.नि. 39(5) अनुसार – “शासकीय धनराशि के बैंक में चालान से जमा किये जाने पर कार्यालय प्रमुख को चाहिए कि वह चालान का मिलान एवं सत्यापन संचालनालय, कोष एवं लेखा की वेबसाइट से करे तथा अभिप्रामाणित करने के पूर्व स्वयं संतोष करे कि रकम वास्तव में शासन के पक्ष में सही मद में जमा की जा चुकी है।”

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग-2 के स.नि. 314 (1) अनुसार – “जब तक कि ऐसा किसी वैधानिक प्रावधान के कारण अपेक्षित न हो या राज्य शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार आयुक्त, कोष एवं लेखा या राज्य शासन के किसी सामान्य या विशेष आदेशों से अथवा राज्य शासन की अभिरक्षा में रखने को अधिकृत न किया गया हो, लोक लेखा में निक्षेप हेतु धनराशि प्राप्त नहीं की जावेगी।”

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 250 (1) अनुसार – “ऐसा कोई भी व्यक्ति जो शासकीय खाते में राशि जमा करना चाहता है, वह सायबर कोषालय पर सीधे या विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा करेगा। केवल विशेष प्रकरणों में आयुक्त, कोष एवं लेखा की सामान्य या विशेष स्वीकृति से बैंक में भौतिक चालान द्वारा राशि जमा की जायेगी।”

संचालनालय कोष एवं लेखा म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/डी.टी.ए./साय.टे./53 दिनांक 13.02.2017 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि काष्ठ डिपो की नीलामी से प्राप्त ऐसी राजस्व आय जिसे सायबर कोषालय के माध्यम से जमा करने में असुविधा हो, को पी.डी. खाते में जमा करने के निर्देश सहित वन विभागों से संबंधित राजस्व जमाकर्ताओं से सीधे सायबर कोषालय के माध्यम से विभाग के प्राप्ति शीर्ष में प्राप्त की जाये।

वर्ष 2023–24 के निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-15 में दर्शाये गये कोषालयों में पाया गया कि वन मण्डल कार्यालयों द्वारा प्राप्त वन प्राप्तियों व जी.एस.टी. की राशि ₹ 42.40

करोड़ को क्रमशः विभागीय लेखा शीर्ष 0406 व 8658-139 में न लेते हुए पी.डी. खातों में रखा जा रहा है ।

3.6.5 राजस्व जमा पंजी में प्रत्येक तिमाही के अंतराल में जांच किये जाने का प्रमाण पत्र अंकित न पाया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 559 के अनुसार प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 64 में संधारित की गई राजस्व निक्षेप प्राप्ति की पंजी में जिलाध्यक्ष अथवा इस हेतु नामांकित किये गये कोई राजपत्रित अधिकारी (जो कि कोषालय अधिकारी नहीं हो) द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि उसने व्यक्तिगत रूप से सावधानीपूर्वक पंजी की जांच पड़ताल कर ली है तथा यह कि समस्त प्रविष्टियां अत्यंत सावधानी से तथा नियमित रूप से की गई हैं, अभिलिखित किया जाना चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान कोषालय शिवपुरी एवं खरगौन के राजस्व पंजी की जांच करने पर उक्त आशय का प्रमाण पत्र अंकित किया जाना नहीं पाया गया ।

3.6.6 सिविल न्यायालय जमा खातों के न्यायालयीन अभिलेख, कोषालयीन अभिलेख एवं धनऋण पत्रक में अंतर

मध्य प्रदेश कोष संहिता 2020 भाग दो के सहायक नियम 353 के अनुसार सिविल न्यायालय निक्षेप खातों के प्राप्तियों एवं भुगतानों की सार पंजी वापसी प्रमाणकों सहित महालेखाकार को कोषालय प्रभारी अधिकारी के माध्यम से भेजी जाना चाहिये, जो पंजियों को महालेखाकार को प्रेषित करने के पूर्व कोषालय अंकों के साथ प्राप्तियों एवं वापसियों के योग को सहमत होने का सत्यापन करेगा । कोषालय अधिकारी अपने व्यक्तिगत निक्षेपों (प्रपत्र एम.पी.टी.सी.75) की सार पंजी के नीचे दिखाये गये शेष को नाजिर के सिविल न्यायालय निक्षेपों की पंजियों में दिखाये गये शेष के साथ सहमत होना भी सत्यापित करेगा । यदि कोई भिन्नता हो, तो कोषालय अधिकारी द्वारा पंजियों में सुधार करने हेतु लौटा दिया जाना चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-16 में दर्शाये गये विवरण अनुसार कोषालयीन/उपकोषालयीन तथा न्यायालयीन अभिलेख में दर्ज राशियों में पाये गये अन्तर राशि तथा कोषालय अभिलेख एवं धनऋणपत्रक अनुसार राशियों में अंतर निराकरण किये बिना ही लेखा प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत किया गया ।

3.6.7 प्रधान महालेखाकार कार्यालय तथा कोषालय में संधारित पी.डी./ई.डी. खातों के शेषों में अंतर पाया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता 2020 भाग दो के सहायक नियम 331 में दिये गये प्रावधान अनुसार प्रत्येक कोषालय अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत जमा खातों से संबंधित धन ऋण पत्रक तैयार कर प्रत्येक माह मासिक लेखे के साथ महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जाता है, जिसके आधार पर प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा कोषालयवार पी.डी./ई.डी. खाता संधारित किया जाता है।

वर्ष 2023–24 में निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या—17 ‘अ’ में दिये गये विवरण अनुसार कोषालयों में संधारित व्यक्तिगत/शैक्षणिक निक्षेप खातों में महालेखाकार कार्यालय के अभिलेख एवं कोषालय के अभिलेख अनुसार शेषों में अंतर पाया गया।

3.6.8 प्रेषण शीर्ष 8782–103 से कार्यालयीन देयकों का भुगतान किया जाना।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन), मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/उत्पादन/बजट/291/407, दि 01 11.02.2019 में म.प्र. स्थित समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को स्पष्ट लेख किया है कि – “यह प्रकाश में आया है कि कुछ वन मण्डलों द्वारा सम्पूर्ण राजस्व प्राप्ति को व्यक्तिगत निक्षेप खाते से कोषालय में जमा नहीं कराया गया है तथा कुछ वन मण्डलों द्वारा राजस्व की प्रविष्टि वन प्रेषण 8782 मद में जमा की गई है जिसपर आयुक्त कोष एवं लेखा ने आपत्ति ली है कि राजस्व की प्रविष्टि सही मदों(0406 के अंतर्गत विभिन्न मद) में की जावे। इस हेतु विभाग के बजट मद की सूची संलग्न है। निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में जिस आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा राजस्व की प्रविष्टि वन प्रेषण 8782 अथवा अन्य किसी मद में जमा की गई है उसे तत्काल संबंधित कर्मचारी को महालेखाकार कार्यालय भेजकर सही मदों में राजस्व का समायोजन करवाकर इस कार्यालय को सूचित करें। व्यक्तिगत निक्षेप खाते में जमा राशि को संलग्न सूची के अनुसार सही बजट मद में राशि का समायोजन करें। भविष्य में यही प्रक्रिया अपनाई जाये। जिस राशि का मद ज्ञात न हो उसको 0406–800 अन्य प्राप्ति मद में प्रविष्टि करें।

वर्ष 2023–24 के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी संभागीय वन मण्डल अधिकारी इन्दौर द्वारा माह सितम्बर 2022 से नवम्बर 2023 के दौरान प्रेषण शीर्ष 8782–103 का अनाधिकृत संचालन करते हुए कुल 06 प्रमाणकों के माध्यम राशि ₹ 6,13,047/- का आहरण किया जाना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रं.	प्रमाणक दिनांक	क्रमांक एवं	शीर्ष जिससे राशि आहरित की गई	आहरित राशि ₹
01.	1 / 02.09.2022		8782-103	145650/-
02.	19 / 22.10.2022		8782-103	52650/-
03.	15 / 31.01.2023		8782-103	17950/-
04.	6 / 11.02.2023		8782-103	80353/-
05.	11 / 30.05.2023		8782-103	104900/-
06.	1 / 15.11.2023		8782-103	211544/-
कुल योग				6,13,047/-

3.6.9 संभागीय वन मण्डल अधिकारी इंदौर (DIVISIONAL FOREST OFFICER, INDORE) के व्यक्तिगत निक्षेप खाता का PD/170/0721/2074-1001 में जमा कुल 116 चालानों की राशि ₹ 32,29,010/- की प्रविष्टि पी.डी. पासबुक में दर्शित न होना।

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग दो के सहायक नियम 321(3) के अनुसार व्यक्तिगत निक्षेप खाता प्रशासक द्वारा प्रत्येक माह का संपूर्ण लेखा—जोखा अगले माह की 15 तारीख तक संबंधित कोषालय को भेजा जायेगा तथा उसकी प्रति महालेखाकार को भी प्रेषित की जावेगी। अगले माह की 15 तारीख तक कोषालय को लेखा प्राप्त न होने पर व्यक्तिगत निक्षेप खाता प्रशासक को व्यक्तिगत निक्षेप खाते से राशि के आहरण की अनुमति नहीं होगी। ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं, कोषालय अधिकारी उक्त प्रकरण में एक माह की छूट दे सकता है, जो अधिकतम तीन माह से अधिक नहीं होगी।

मध्यप्रदेश कोष संहिता भाग दो के सहायक नियम 359 अनुसार प्रत्येक व्यक्तिगत खाते के प्रशासक से इस आशय का एक वार्षिक प्रमाण—पत्र कि उसके द्वारा दावाकृत शेष वर्णित राशि का है, महालेखाकार को प्रेषित किया जाना चाहिए। उसके शेष तथा मार्च माह में धन ऋण ज्ञापन में बताये गये के मध्य कोई अन्तर हो तो स्पष्ट किया जाना चाहिए।

वर्ष 2023–24 के निरीक्षण दौरान पाया गया कि जिला कोषालय इंदौर में अवधि 01.09.2022 से 31.11.2023 तक निम्न विवरण अनुसार संभागीय वन मण्डलाधिकारी, इंदौर के व्यक्तिगत जमा खाते में जमा कुल 116 चालानों जिनकी कुल राशि ₹ 32,29,010/- है उनके उक्त खाते की IFMIS पासबुक में परीलक्षित नहीं हो रहा है। चालानों का विवरण परिशिष्ट संख्या—17 'ब' में दर्शाया गया है।

3.7 कोषालयों में सुरक्षा

(i) दृढ़ कक्ष से संबंधित सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता 2020 भाग दो के सहायक नियम 60(2) के अनुसार विद्यमान दृढ़कक्ष का वार्षिक निरीक्षण कार्यपालन यंत्री द्वारा अथवा किसी अनुभवी सहायक यंत्री के द्वारा जिसे इस प्रयोजन हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है, किया जाना चाहिये। निरीक्षणकर्ता अधिकारी सुरक्षा का एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा तथा कोषालय अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह प्रति वर्ष ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त कर कोषालय में उपलब्ध रखें।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोषालय नरसिंहपुर, सीहोर एवं रीवा द्वारा दृढ़ कक्ष से संबंधित वर्ष 2023–24 का सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया।

(ii) कोषालय के सुदृढ़ कक्ष में बीट चार्ट न लगाया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता 2020 भाग दो के सहायक नियम 60 (3) के अनुसार सुदृढ़ कक्ष के पहरे के दौरान संतरियों की स्थिति को दर्शाने वाला बीट चार्ट जिला आरक्षी अधीक्षक से प्राप्त कर सहजगोचर स्थान पर प्रदर्शित किया जाना चाहिये।

कोषालय सीहोर एवं रीवा में उक्त नियम के अनुसार बीट चार्ट प्राप्त कर प्रदर्शित किया जाना नहीं पाया गया।

(iii) खजांची/भण्डार लिपिक से प्रतिभूति की राशि को जमा न कराया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता 2020 भाग दो के सहायक नियम 10 के तहत कोषालय में खजांची धनराशि के लेन देन के लिए उत्तरदायी होता है। कलेक्टर का यह देखने का कर्तव्य है कि खजांची ने शासन को हानि से बचाने हेतु यथोचित मात्रा में जमानत प्रस्तुत की है। प्रतिभूति की राशि खजांची के सामान्य प्रभार में रहने वाले औसत मुद्रांक के बराबर होनी चाहिये, जो ₹ 10000/- हो अथवा वित्त विभाग द्वारा निर्धारित राशि से अधिक न हो।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-18 में दर्शाये गये 11 कोषालय द्वारा खजांची तथा भण्डार लिपिक से उक्त नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा नहीं करायी गई थी।

3.7.2 बहुमूल्य वस्तुओं के पैकेटों को निर्धारित समयावधि के पश्चात वापस न लिया जाना

(i) मध्य प्रदेश कोष संहिता 2020 भाग दो के सहायक नियम 28(1) के नीचे टिप्पणी के अनुसार कोषालय के कक्ष में रखी नगदी की तिजोरी/सीलबन्द लिफाफा, जमाकर्ता अधिकारी के द्वारा प्रथम जमा के दिनांक से तीन वर्ष के अंदर वापिस लिया जाना चाहिये। इसके पश्चात

यदि जमाकर्ता तिजोरी/सीलबन्द लिफाफे को कोषालय में पुनः जमा करना उचित समझता है तो, उसे इस संबंध में प्रथम जमा की तरह कार्यवाही करना चाहिए ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-19** में दर्शाये गये कुल 30 कोषालयों के दृढ़ कक्ष में रखे 9260 मूल्यवान वस्तुओं के पैकेट्स उनके प्रथम जमा के दिनांक से तीन वर्ष के उपरांत भी जमाकर्ता द्वारा वापिस नहीं लिये गये थे ।

(ii) मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 28(ii) के नीचे टिप्पणी (ii) के अनुसार ₹ 50000.00 से कम कीमत के बहुमूल्य सीलबन्द पैकेट्स इत्यादि न्यायालयों द्वारा कोषालय/उपकोषालय के सुदृढ़ कक्ष में नहीं रखा जाना चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या-20** में दर्शाये गये कुल 22 कोषालयों में उक्त नियमों का पालन किया जाना नहीं पाया गया ।

3.7.3 दृढ़ कक्ष की दोहरी चाबियों की अभिरक्षा नियमानुसार न किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता 2020 भाग दो के सहायक नियम 61 (1) के अनुसार कोषालय के दृढ़ कक्ष की मूल एवं दोहरी चाबियों को प्रत्येक दो वर्षों में बदलकर उपयोग में लेना चाहिये । जो चाबी उप कोषालय के उपयोग में आ रही है, उपकोषालय अधिकारी एवं खजांची के सीलबन्द पैकेट में सुरक्षित रखना चाहिये तथा इस प्रकार सीलबन्द किये गये पैकेट्स स्वयं कलेक्टर के द्वारा बैंक की पास की शाखा के प्रबंधक के नाम से बीमायुक्त एवं गोपनीय पार्सल के साथ में पंजीकृत भेजना चाहिये । दो वर्षों में एक बार अप्रैल माह में पैकेट्स को वापस प्राप्त कर उपयोग में आ रही चाबियों को पुनः उक्त प्रक्रिया अनुसार बैंक में रखना चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या-21** द्वारा पैड-लॉक की चाबियों को उक्त नियमानुसार बदलना नहीं पाया गया ।

3.8 मुद्रांक लेखे का संधारण

3.8.1 मुद्राकों का निर्धारित सीमा से अधिक भण्डारण

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्य प्रदेश, भोपाल के आदेश क्रमांक 2922/स्टाम्प/2003 दिनांक 21.10.2003 के अनुसार ज्यूडिशियल एवं नान ज्यूडिशियल मुद्रांकों के कोषालयों में भण्डारण की सीमा निर्धारित की गई है जिससे मुद्रांकों की छपाई, भाड़ा तथा सुरक्षा पर अनावश्यक व्यय न हो ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या—22 में दर्शाये गये कोषालयों द्वारा राशि ₹ 819.49 करोड़ मूल्य के मुद्रांकों का आवश्यकता/निर्धारित सीमा से अधिक अनावश्यक भण्डारण रखा गया ।

3.8.2 अप्रचलित मुद्रांकों का सुदृढ़ कक्ष में अनावश्यक भण्डारण

महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्य प्रदेश के पत्र कमांक 27/स्टाम्प/2008 भोपाल दिनांक 03.1.2008 के साथ प्राप्त मध्य प्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्र. (40) बी 4—13—07—02—पांच दिनांक 15.11.2007 के निर्देशानुसार विभाग ने ऐसे नान ज्यूडिशियल स्टाम्प जिन पर शब्द मध्य प्रदेश व कमांक मुद्रित न हो, का प्रदाय प्रतिबंधित किया गया था ।

परिशिष्ट संख्या—23 में दर्शाये गये विवरण अनुसार 23 कोषालयों द्वारा राशि ₹ 70.80 करोड़ के अप्रचलित नान ज्यूडिशियल स्टाम्प तथा अन्य स्टाम्पों का दृढ़ कक्ष में अनावश्यक भण्डारण रखा जाना तथा इन मुद्रांकों के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही नहीं किया जाना पाया गया ।

3.8.3 मुद्रांक विक्रेताओं को प्रदत्त कमीशन का तिमाही पत्रक आयकर आयुक्त को न भेजा जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 171(फ) के अनुसार कोषालय अधिकारी संबंधित आयकर आयुक्त को ₹ 250.00 तथा इससे अधिक के वैयक्तिकों को किये गये भुगतानों का एक तिमाही पत्रक भेजेगा। इसमें भुगतान ग्रहिताओं के नाम, पते तथा भुगतान की गई राशि बताई जायेगी जो उसे शासन की ओर से कमीशन के रूप में प्रदाय की गई है ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोषालय झाबुआ एवं आगरमालवा द्वारा उक्त नियमानुसार प्रदत्त कमीशन का तिमाही पत्रक संबंधित आयकर आयुक्त को नहीं भेजा गया ।

3.9 व्यय लेखा परीक्षा संबंधी तथा अन्य विसंगतियां

3.9.1 पुराने अभिलेखों का विनष्टीकरण न करना

मध्य प्रदेश कोष संहिता 2020 भाग दो के सहायक नियम 13 के अनुसार भाग दो के परिशिष्ट 5 में उल्लेखित कोषालयीन अभिलेखों की सूची में उनके समक्ष दर्शाई अवधि तक सुरक्षित रखा जावेगा। निर्धारित अवधि उपरांत रिकार्ड कीपर विनष्टीकरण योग्य अभिलेखों की सूची तैयार कर अनुमोदन हेतु कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा तथा अनुमोदन पश्चात नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या—24** में दर्शाये गये 26 कोषालयों द्वारा निर्धारित अवधि समाप्ति के पश्चात भी अभिलेखों के विनष्टीकरण की कार्यवाही नहीं की गई।

3.9.2 नमूना हस्ताक्षर गार्ड फाइल के संधारण में कमियां

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता 2020 भाग दो के सहायक नियम 85 अनुसार एवं संचालनालय कोष एवं लेखा, मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क.डी.टी.ए./जन-20/75-76/505 दि0 7.1.76 के अनुसार नमूना हस्ताक्षरों की गार्ड फाइल के प्रारम्भ में आहरण अधिकारियों को दर्शाने वाली अनुक्रमणिका का संधारण निर्धारित प्रारूप में किया जाना चाहिये।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **कोषालय सिंगरौली** एवं **भोपाल** द्वारा उक्त नियम/आदेश अनुसार नमूना हस्ताक्षर गार्ड फाइल निर्धारित प्रारूप में संधारित नहीं की गई थी।

3.9.3 मृत स्कंध पंजी का सत्यापन न किया जाना

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता भाग एक के नियम 128(4) के अनुसार प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में भंडार का भौतिक सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा कराया जाना चाहिये तथा पंजी का संधारण प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 9 में किया जाकर प्रतिवर्ष पंजी का सत्यापन भंडार प्रभारी के अतिरिक्त अन्य अधिकारी से कराया जाना चाहिये।

परिशिष्ट संख्या—25 में दर्शाये गये 09 कोषालयों में संधारित मृत स्कंध पंजी का उपरोक्तानुसार सत्यापन नहीं कराया गया था।

3.9.4 सेवा पुस्तिकाओं के संधारण में कमियां

मूल नियम 74 के पूरक नियम 29 के अनुसार जैसे ही कोई व्यक्ति शासकीय सेवा में नियुक्त होकर अपने पद पर उपस्थित होता है उसकी एक सेवा पुस्तिका तैयार की जाती है। इस पुस्तिका में शासकीय सेवक के शासकीय जीवन की प्रत्येक घटना को अभिलिखित किया जाता है तथा उसे कार्यालय प्रमुख द्वारा अभिप्रमाणित किया जाना चाहिये।

निरीक्षण के दौरान **कोषालय सिंगरौली**, **आगरमालवा**, **जबलपुर** एवं **ग्वालियर** में सेवा पुस्तिकाओं के संधारण से संबंधित कोषालयों के निरीक्षण प्रतिवेदन/नमूना जांच टीप में कमियां पाई गई।

3.9.5 प्राप्ति शीर्ष 0039 के कोषालयीन व विभागीय प्राप्ति आंकड़ों में भिन्नता पाया जाना।

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के नियम 9 (9) अनुसार राशियां जो किसी प्राधिकारी के पक्ष में जमा की गई हैं, की मासिक सूची कोषालय अथा कोषालय साफ्टवेयर पर

ऑनलाइन उपलब्ध रिपोर्ट से डाउनलोड कर प्राप्त की जाना चाहिए एवं उसका सत्यापन कर अगले माह की 10 तारीख तक कोषालय को उपलब्ध कराई जाना चाहिए। राशियों के सत्यापन के लिए जिम्मेदारी प्राधिकारी का वेतन तभी आहरित किया जाएगा, जब सत्यापित सूची कोषालय को प्राप्त हो जाए। सूची में ऑनलाइन, ऑफ लाइन सभी प्रकार की जमा राशि सम्मिलित होगी। कोषालय सॉफ्टवेयर से प्राप्त सूची और विभाग की प्राप्तियों में अंतर होने पर विभागीय अधिकारी द्वारा अंतर का निराकरण बिना समय गंवाए त्वरित रूप से करना चाहिए।

निरीक्षण के दौरान पाया गया परिशिष्ट संख्या-26 में दर्शाये गये कोषालयों द्वारा आबकारी विभाग व कोषालय दोनों के अभिलेखों अनुसार प्राप्तियों में अंतर परिलक्षित हो रहा था।

3.9.6 महालेखाकार को लेखा प्रेषण उपरांत IFMIS पर कोषालयीन लेखा के भुगतान /प्राप्ति/RBD आंकड़ों में परिवर्तन पाया जाना।

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता-2020 भाग-2 के स.नि. 27(2) के अनुसार “यदि महालेखाकार को लेखा भेजने के पश्चात् वर्गीकरण में अथवा विभागीय तौजियों के मिलान करते समय त्रुटि पायी जाती है तो केवल ऐसे प्रकरणों में, जिनमें त्रुटियां कोषालय स्तर पर प्रविष्टि करते समय हुई है, तुरंत एक टीप इस संबंध में प्रभावित बिंदु के समक्ष दी जाएगी। कोषालय अधिकारी को किसी तरह से अंको, लेखा शीर्षों में या अन्य कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए, बल्कि तुरंत ही प्रारूप एम.पी.टी.सी. 78-ए पर उचित अंतरण हेतु एक प्रार्थना-पत्र महालेखाकार को भेजे। महालेखाकार समायोजन करने की सूचना कोषालय अधिकारी को भेजेगा तथा अंतरण किये गए इस तथ्य की टिप्पणी कोषालय पंजी में महालेखाकार से सूचना प्राप्त होने पर दी जाएगी।”

वर्ष 2023-24 के निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-27 में दर्शाये गये कोषालयों के विवरण अनुसार कोषालयीन लेखा के आंकड़ों में परिवर्तन परिलक्षित हो रहा था।

3.9.7 भवन किराया, विद्युत, पेयजल, वेतन आदि के भुगतान वास्तविक एजेंसियों /व्यक्तियों के स्थान पर मध्यस्थों को किया जाना।

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता 2020 भाग-2 के सहायक नियम 157 (1) अनुसार- “शासकीय कार्यालयों के लिये किराये पर लिए गये निजी भवनों का शासन द्वारा वहन किया जाने वाला किराया, विद्युत और उससे संबंधित अन्य प्रभार हेतु किये जाने वाले भुगतानों के

संबंधित वास्तविक एजेंसियों/व्यक्तियों के बैंक खातों में ई—भुगतान का दायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।”

वर्ष 2023–24 के निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या—28** में दर्शाये गये कोषालयों में देयकों के भुगतान वास्तविक एजेंसियों/व्यक्तियों के स्थान पर मध्यस्थों को किया जाना पाया गया।

3.9.8 आबकारी विभाग के निविदाकारों द्वारा जमा निविदा राशि का त्रुटिपूर्ण जमा एवं वापिसी किया जाना

मध्यप्रदेष कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 324 के अनुसार—“इच्छुक निविदाकारों द्वारा जमा की जाने वाली बयाना राशियों के संबंध में, जो राजस्व निक्षेपों के समान जमा की जाने योग्य हैं, विभागीय अधिकारी के पूर्व प्राधिकार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जमाकर्ता को चाहिये कि वह जिसके हित में जमा कर रहा है, उस शासकीय सेवक का पदनाम बताये तथा वही पदनाम कोषालय द्वारा दी गई पावती पर बताया जाना चाहिये।”

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 325 (2) अनुसार— “सिविल विभागों की बयाना निक्षेप राशि राजस्व निक्षेपों के समान समझा जावेगा।”

वर्ष 2023–24 के निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या—29** में दर्शाये गये कोषालयों में नमूना जांच दौरान त्रुटिपूर्ण बयाना निक्षेप राशि जमा किया जाना पाया गया है।

3.9.9 कोषालयों में शासकीय धन की प्राप्ति मैन्युअल चालान के माध्यम से किया जाना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 250 (1) अनुसार—‘ऐसा कोई भी व्यक्ति जो शासकीय खाते में राशि जमा करना चाहता है, वह सायबर कोषालय पर सीधे या विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा करेगा। केवल विशेष प्रकरणों में आयुक्त, कोष एवं लेखा की सामान्य या विशेष स्वीकृति से बैंक में भौतिक चालान द्वारा राशि जमा की जायेगी।’

वर्ष 2023–24 के निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या—30** में दर्शाये गये कोषालयों में प्राप्ति शीर्षों व चालानों की जांच के दौरान दर्शाये गये मुख्य शीर्षों में मैन्युअली चालान द्वारा राशियां जमा किया जाना पाया गया था।

3.9.10 भौतिक प्रमाणकों की जांच

(i) डी0डी0ओ0 के भौतिक प्रमाणकों की नमूना जांच में दर्शित विसंगतियां

(ii) कोषालयीन भौतिक प्रमाणकों की नमूना जांच में दर्शित विसंगतियां

मध्यप्रदेश बजट मैन्युअल खण्ड-1 के चैप्टर-8 के पैरा क्रमांक 8.3 के बिन्दु 5 एवं 8.5 के प्रावधानानुसारः—

8.3 (5) “Budget Control: This would require BCOs to ensure that:

- (i) Expenditure does not exceed the budget allocation.
- (ii) Expenditure is incurred for the purpose for which funds have been provided.”

8.5 DDOs are authorised to draw money from the Treasury on behalf of BCOs/Administrative Department for disbursement. As such, responsibility mentioned above for BCO, in principle, attach equally to DDOs. In addition, DDOs must ensure that:

2. Probability of any excess expenditure over amounts allotted are foreseen and intimation of the likely excess, along with reasons for this, is sent to the BCO concerned in sufficient time to enable the latter to arrange additional provision of funds.

म.प्र. शासन, वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ3/2010/नियम/चार दि 14.12.2012 द्वारा विविध प्राधिकारियों को वित्तीय अधिकारी निर्धारित किये गये हैं। जिसके एपेंडिक्स तीन के बिन्दु 9 अनुसार Furniture in own and subordinate offices के क्रम हेतु सिर्फ विभागाध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी है।

वर्ष 2023–24 के निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-31 एवं परिशिष्ट संख्या-32 में दर्शाये गये कोषालयों के भौतिक प्रमाणकों की जांच में दर्शित विसंगतियां पायी गयीं।

3.9.11 विद्युत प्रभारों का विलम्ब भुगतान होने से विलम्ब भुगतान अधिभार पाया जाना

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खण्ड-1 के चैप्टर-2, अनुभाग-2 के नियम 15 अनुसार “It is an important financial principle that money indisputably payable should not, as far as possible, be left unpaid and that money paid should under no circumstances be kept out of accounts a day longer than is absolutely necessary even through the payment is not covered by proper sanction. It is no economy to postpone inevitable payments even for the purpose of avoiding an excess over a grant or appropriation and it is very important to ascertain, liquidate and record the payment of all actual obligations at the earliest possible date. It must be borne in mind that if an inevitable payment is required to be made in the absence of funds the error lies not so much in the payment as in the entering into of the relevant liability.”

वर्ष 2023–24 के निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या–33 में दर्शाये गये प्रमाणकों की नमूना जांच में विद्युत प्रभार देयकों में विलम्ब भुगतान अधिभार किया जाना पाया गया।

3.9.12 वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जी.एस.टी. शीर्ष 8658–00–139 की प्राप्ति एवं आर.बी.आई. जमा में अंतर

वित्तीय लेखों के नियमानुसार जी.एस.टी. कटौती की राशि वित्तीय वर्ष में महीने वार शीर्ष 8658–00–139 में प्राप्ति की जाती है तथा आगामी माह की तारीख 10 तक विगत माह के जी.एस.टी की राशि भारतीय रिजर्व बैंक को अनिवार्य रूप से हस्तान्तरित की जानी चाहिये तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जी.एस.टी शीर्ष 8658–00–139 के प्राप्ति एवं आर.बी.आई. जमा में अंतर निरंक हो जाना चाहिये।

वर्ष 2023–24 के निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या–34 में दर्शाये गये कोषालयों में वर्ष की समाप्ति पर जी.एस.टी शीर्ष 8658–00–139 के प्राप्ति एवं आर.बी.आई. जमा में अन्तर परिलक्षित होना पाया गया था।

3.9.13 शीर्ष 8658–00–101 P.A.O. सस्पेंस में अनाधिकृत प्रविष्टियां

1. वित्तीय लेखों के नियमानुसार PAO Suspense शीर्ष 8658–00–101 केन्द्रसरकार के लिए उत्पन्न होने वाले अन्तसरकारी लेनदेन के प्रारम्भिक रिकार्ड के लिए अभिप्रेत है तथा इसे केन्द्रसरकार द्वारा केन्द्रशासित प्रदेश से अलग केंद्रीय CPAO की बुक एवं महालेखाकार द्वारा वित्तीय लेनदेन के निपटान हेतु प्रयोग किया जाता है।

2. पूर्व में GST की राशि की प्राप्ति एवं भुगतान हेतु उक्त शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकरण हेतु प्रावधान किया गया था। वर्तमान में GST एकट में संघोधन उपरांत GST की राशि की प्राप्ति एवं भुगतान मुख्य शीर्ष 8658–139 में वर्गीकरण किया जाना है।

वर्ष 2023–24 के निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या–35 एवं 36 में दर्शाये गये कोषालयों में शीर्ष 8658–00–101 के अन्तर्गत विभिन्न लेनदेन/वर्गीकरण परिलक्षित होना पाया गया।

3.9.14 बिना विभागाध्यक्ष स्वीकृति के Office supplies & equipment का क्य किया जाना

म.प्र. शासन, वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ3/2010/नियम/चार दि 14.12.2012 द्वारा विविध प्राधिकारियों को वित्तीय अधिकारी निर्धारित किये गये हैं। जिसके Section-5 Purchase of Goods & Services के बिन्दु क्रमांक 5.2 में Purchase of Office Supplies & Equipment's मद में व्यय किये जाने हेतु कार्यालय प्रमुख को 01 लाख प्रतिवर्ष तक

व्यय करने का प्राधिकार प्राप्त है व इससे अधिक के व्यय हेतु विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक विभाग सक्षम प्राधिकारी हैं।

म.प्र. वित्तीय संहिता खण्ड-1 चैप्टर 7 के नियम 15 अनुसार “Purchase orders should not be split up to avoid the necessity for obtaining the sanction of higher authority required with reference to the total amount of the orders.”

वर्ष 2023–24 के निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-37 में दर्शाये गये कोषालयों में एक ही वित्त वर्ष में Office Supplies & Equipment's का क्य बिना विभागाध्यक्ष स्वीकृति के कार्यालय प्रमुख (वरिष्ठ कोषालय अधिकारी) की स्वीकृति पर ही किया जाना पाया गया है।

3.9.15 आकस्मिक प्रभारों के भुगतान हेतु अनियमित पद्धति अपनाये जाकर Paid by me

आधार पर व बिना कोई राशि सीमा रखे किसी भी कर्मचारी को भुगतान किया जाना म0प्र0 कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 150 अनुसार शासकीय अधिकारी जिन्हें कोषालय पर देयक प्रस्तुत कर राशि आहरित करने के पूर्व आकस्मिक व्यय का भुगतान करना होता है ऐसा भुगतान वे स्थायी अग्रिम से कर सकते हैं, जिसे रखने हेतु उन्हें सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अधीन आकस्मिक देयकों को प्रस्तुत कर पूर्ति करते रहने की शर्त पर अनुज्ञापित किया गया है। स्थायी अग्रिम रखने वाला, उसे सौंपी गई राशि की सुरक्षा हेतु उत्तरदायी है, उसे कभी भी कुल राशि को नगदी में या प्रमाणकों के रूप में प्रस्तुत करने हेतु तैयार रहना चाहिए। ₹ 5,000/- तक के ऐसे समस्त दावे स्थायी अग्रिम या रोकड़ से वितरित किये जा सकते हैं।

म0प्र0 कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 151 (1) अनुसार स्थायी अग्रिमों की समस्त स्वीकृतियां एवं आयुक्त, कोष एवं लेखा को भेजी जायेगी। यह राषि कोषालय के प्रारूप एम.पी.टी.सी.-76 में साधारण पावती प्रपत्र में अग्रिम स्वीकृति के आदेश की प्रति संलग्न कर निकाली जा सकेगी एवं सहारा नियम 151(2) अनुसार स्थायी अग्रिम की प्रतिपूर्ति संबंधित विभागीय मद के अंतर्गत की जायेगी।

वर्ष 2023–24 के निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-38 में दर्शाये गये कोषालयों में विविध आकस्मिक प्रभारों के भुगतान हेतु नियमानुसार स्थायी अग्रिम राशि व पद्धति को प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है एवं किसी भी कर्मचारी द्वारा उक्त व्यय स्वयं भुगतान किये जाकर क्षतिपूर्ति स्वरूप राशि प्राप्त की जा रही है साथ ही विविध प्रकरणों में उक्त प्रकार के दावे/राशि ₹ 5,000/- से अधिक भी होना पाया गया है।

3.9.16 ठेकेदारों को किये गये भुगतान देयकों से आयकर एवं जी.एस.टी. की नियमानुसार कटौती नहीं किया जाना

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-C (1) (ii) अनुसार—ठेकेदार को वित्तीय वर्ष के दौरान राशि ₹ 1,00,000/- से अधिक भुगतान या क्रेडिट पर 2 प्रतिशत टीडीएस काटा जाना चाहिए एवं जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 51 अनुसार ठेकेदार को वित्तीय वर्ष के दौरान Contract Value (Excluding GST & Taxes) की राशि ₹ 2,50,000/- से अधिक होने की स्थिति में 2 प्रतिशत जीएसटी (1% CGST, 1% SGST or 2% IGST) कटौत्रा (Deduct) किया जाना चाहिए।

वर्ष 2023–24 के निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-39 में दर्शाये गये कोषालयों के प्रमाणकों की नमूना जांच में निम्नानुसार कम/निरंक कटौत्रा किया जाकर ठेकेदार को अधिक भुगतान किया जाना परीलक्षित होना पाया गया।

3.9.17 जी.एस.टी. की राशि का नियमानुसार समय पर जमा न किया जाना

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्रमांक 50/2018-सेंट्रल टैक्स दिनांक 13.09.2018 के अनुसार विभिन्न कॉन्ट्रैक्टर/सप्लायर्स को भुगतान की जाने वाली राशि से काटी गई जीएसटी की राशि को सीजीएसटी एक्ट-2017 के अनुच्छेद-51 के अनुसार अगले माह की 10 तारीख तक सरकार के खातें में जमा करवाया जाकर जीएसटीआर-7 रिटर्न फाइल किया जाना है।

वर्ष 2023–24 के निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-40 में दर्शाये गये कोषालयों में आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा विभिन्न कॉन्ट्रैक्टर/सप्लायर्स को भुगतान की जाने वाली राशि से काटी गई जीएसटी की राशि को नियमानुसार जमा नहीं किया जाना पाया गया।

3.9.18 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर कोषालय आई.एफ.एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर में अपलोड नहीं पाया जाना

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के भाग दो के सहायक नियम 85 के अंतर्गत प्रत्येक ऐसा शासकीय अधिकारी जो कोषालय पर भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों पर हस्ताक्षर अथवा प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत है, अपने आदर्श नमूना हस्ताक्षर किसी वरिष्ठ अथवा अन्य अधिकारी जिसके आदर्श नमूना हस्ताक्षर पहले से ही कोषालय अधिकारी के मार्फत कोषालय अधिकारी को भेजेगा। जब ऐसा कोई अधिकारी अपने कार्यालय का प्रभार अन्य को

सोपता है, वे उसी प्रकार कार्य मुक्त होने वाले अधिकारी से आदर्श नमूना हस्ताक्षर संबंधित कोषालय अधिकारी को भेजेगा। कोषालय अधिकारी इसे कोषालय साफ्टवेयर में अपलोड करेगा।

वर्ष 2023–24 के निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या—41** में कोषालय साफ्टवेयर/IFMIS साफ्टवेयर में नमूना हस्ताक्षर स्केन कर अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होना पाया गया।

3.9.19 सायबर कोषालय के तहत जमा राशियों का सत्यापन न किया जाना

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग—एक के नियम 9 (9) अनुसार राशियां जो किसी प्राधिकारी के पक्ष में जमा की गई हैं, की मासिक सूची कोषालय अथा कोषालय साफ्टवेयर पर ऑनलाइन उपलब्ध रिपोर्ट से डाउनलोड कर प्राप्त की जाना चाहिए एवं उसका सत्यापन कर अगले माह की 10 तारीख तक कोषालय को उपलब्ध कराई जाना चाहिए। राशियों के सत्यापन के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी का वेतन तभी आहरित किया जाएगा, जब सत्यापित सूची कोषालय को प्राप्त हो जाए। सूची में ऑनलाइन, ऑफ लाइन सभी प्रकार की जमा राशि सम्मिलित होगी। कोषालय सॉफ्टवेयर से प्राप्त सूची और विभाग की प्राप्तियों में अंतर होने पर विभागीय अधिकारी द्वारा अंतर का निराकरण बिना समय गंवाए त्वरित रूप से करना चाहिए।

वर्ष 2023–24 के निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या—42** में दर्शाये गये कोषालयों में विभिन्न डी.डी.ओ. द्वारा मासिकी रूप से सायबर चालान प्राप्ति होने के उपरांत भी सत्यापित सूची कोषालय को प्रेषित नहीं की जा रही थी।

3.9.20 माननीय विधायकों को माह जुलाई 2018 के वेतन का दोहरा भुगतान किये जाने बावत्।

म.प्र. शासन, विधानसभा सचिवालय मध्यप्रदेश के आदेष दि 01 18.05.2018 द्वारा माननीय विधानसभा सदस्यों के आहरण एवं संवितरण अधिकारी दिनांक 01.07.2018 से समाप्त कर दिये जाने का लेख किया गया था व साथ ही माननीय सदस्यों के वेतन भत्तों का भुगतान विधान सभा सचिवालय के माध्यम से आहरण कर माननीय सदस्यों के खाते में जमा किए जाने का लेख किया गया था जिसकी प्रति समस्त कोषालय अधिकारियों को पृष्ठांकित की गई थी।

वर्ष 2023–24 के निरीक्षण के दौरान कोषालय बालाघाट एवं शिवपुरी में संधारित विधायक पंजी की जांच में वेतन माह जुलाई 2018 का भुगतान जिला कोषालय (द्वारा अनाधिकृत रूप में) एवं विधानसभा सचिवालय, विध्याचल भवन कोषालय दोनों से किया गया है

जिसके कारण एक ही माह जुलाई 2018 के वेतन का दोहरा भुगतान परिलक्षित हो रहा था।
(परिशिष्ट संख्या—43)

3.9.21 असफल ई—भुगतान के पुर्णभुगतान से संबंधित विसंगतियां

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग दो के सहायक नियम 323 के अनुसार समस्त निक्षेपों को यथासंभव ऑनलाइन, पुस्तक अंतरण या साइबर कोषालय के माध्यम से जमा किया जायेगा। निक्षेप प्राप्तियों की पंजी एम.पी.टी.सी. 64 में जमा की प्रविष्टि हेतु आवश्यक सभी विवरण दिया जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग दो के सहायक नियम 326(2) के अनुसार कोषालय अधिकारी प्राप्ति की पंजी में दर्ज राशि का भुगतान राशि से मिलान करेगा तथा शेष पर्याप्त है, व पाने वाले की पॉवती लेगा, भुगतान करेगा तथा तुरंत प्रारूप एम.पी.टी.सी. 65 में संधारित की गई वापसी की पंजी में अभिलेखित करेगा तथा उसमें प्राप्ति की तारीख तथा वापसी की राशि भी लिखेगा।

वर्ष 2023–24 के निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या—44** में दर्शाये गये कोषालयों में असफल ई—भुगतान के पुर्णभुगतान से संबंधित विसंगतिया परिलक्षित हुई हैं।

3.9.22 वाहन किराये पर लिये जाने संबंधी निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किये जाने बावत्।

म.प्र. शासन वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र कं. एफ—11—16/2012/नियम/चार, दि 06.10.2012, दि 0 24.12.2013 एवं दिनांक 28.12.2017 द्वारा मासिक आधार पर वाहन किराये पर लिये जाने हेतु शासकीय धन के उचित उपयोग एवं एकरूपता की दृष्टि से विभिन्न विभागों/कार्यालयों को मासिक आधार पर वाहन किराये पर लिये जाने हेतु निर्देष प्रसारित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त म.प्र. शासन वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक एफ—6—14/2012/अ—ग्यारह दि 0 28.07.2015 द्वारा मध्य प्रदेश भण्डार क्य नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि राशि ₹ 5 लाख से अधिक के अनुमानित मूल्य के कार्य/सेवा के लिए विभाग द्वारा खुली निविदा आमंत्रित की जायेगी। इस हेतु व्यापक रूप से परिचलित एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में संक्षिप्त विज्ञापन दिया जायेगा। विज्ञापन का

विस्तृत विवरण विभाग के ई-पोर्टल पर उपलब्ध कराया जायेगा। प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु निविदा प्रकाष्ठन दिनांक से न्यूनतम 21 दिवस का समय दिया जायेगा।

इसके अतिरिक्त धरोहर राशि व निविदा का विस्तृत विवरण यथा सेवा उपलब्ध कराने के लिए नियम व शर्तें, निविदा की प्रस्तुति, उनका मूल्यांकन, भुगतान की शर्तें व अनुबंध की अवधि एवं शर्तें के उल्लंघन के कारण दण्ड की स्थिति आदि तैयार किया जाना होता है।

वर्ष 2023–24 के निरीक्षण के दौरान जिला कोषालय बालाघाट में जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय के प्रमाणकों की नमूना जांच दौरान कुल 06 किराये के वाहनों प्रतिमाह ₹ 29600 की दर (₹ 42000/- संशोधित दर) से भुगतान किया जाना पाया गया जिसके अनुसार किराये के वाहनों हेतु लगभग राष्ट्रीय 21 लाख वार्षिकी व्यय किया जा रहा है। जिनका नमूना विवरण निम्नानुसार हैः—

S.No.	Month	V.No.	Amount	Paid to	Duration	for which officer	Vehicle No.	
1	03/2023	18	118000	Rakesh Mishra	08-2022 to 11/2022	-	MP50T1081	First
2	03/2023	15	29600	Himanshu Pataiya	12/2022	-	MP50T1094	Second
3	03/2023	17	56000	Phulchand Tiwari	11/2022 to 12/2022	-	MP50T1058	Third
4	03/2023	19	88800	Rakesh Mishra	09/2022 to 11/2022	-	MP50T1082	Fourth
5	03/2023	13	41800	Mahesh Das Parwar Tour & Travels	01/2023	-	MP51T0940	Fifth
6	03/2023	14	41800	Mahesh Das Parwar Tour & Travels	02/2023	-	MP51T0940	
7	02/2023	8	173400	Khelchand Maskare	07/2022 to 09/2022	-	MP50T1032	Sixth
8	02/2023	9	29600	Rakesh Mishra	08/2022	-	MP50T1082	
9	02/2023	10	88800	Himanshu Pataiya	09/2022 to 11/2022	-	MP50T1094	
10	12/2022	1	263440	Rakesh Mishra	04/2022 TO 07/2022 & 11/2021 TO 03/2022	-	MP50T1082	
11	12/2022	2	202300	Khelchand Maskare	12/2021 to 06/2022	-	MP50T1032	
12	12/2022	3	196000	Phulchand Tiwari	04/2022 to 10/2022	-	MP50T1058	
13	12/2022	4	148000	Himanshu Pataiya	04/2022 to 08/2022	-	MP50T1094	
14	12/2022	5	118000	Rakesh Mishra	04-2022 to 07/2022	-	MP50T1081	

उपरोक्त प्रक्रिया व भुगतानों में निम्नानुसार विसंगतियां परिलक्षित हैंः—

01. राष्ट्रीय 5 लाख से अधिक व्यय किये जाने व वाहनों को किराये पर लिये जाने हेतु विभागाध्यक्ष की स्वीकृति/सहमति नहीं पाई गई।
02. वित्तीय वर्ष 2022–23 में भुगतान किये गये किराये वाहनों क्रमांक MP50T1094, MP50T1058, MP50T1082, MP51T0940, MP50T1032 एवं MP50T1081 से संबंधित विस्तृत निविदा दस्तावेज व राष्ट्रीय एवं राज्यीय अखबार में संक्षिप्त विज्ञप्ति/व्यापक प्रचार किये जाने की कोई प्रति उपलब्ध नहीं करायी गई।

03. स.क. 07 से 14 तक के भुगतानों में 2 प्रतिशत GST-TDS 8658—139 का कटौत्रा नहीं करते हुए व सिर्फ 2 प्रतिशत IT-TDS का ही कटौत्रा करते हुए अधिक भुगतान किया जाना पाया गया।
04. स.क. 10 से संबंधित प्रमाणक कं. 01 12/2022 के Invoice NO. 5 में 29600×5 का गुणनफल 1,48,000 के स्थान पर 145040/- लेख पाया गया। अतः **Invoice** पर विसंगतिपूर्ण गणना लख है।
05. स.क. 2, 9 व 13 पर **Invoice** अनुसार फर्म के स्थान पर व्यक्तिगत रूप से श्री हिमांशु पटेया स्वयं किराये वाहन हेतु दावा प्रस्तुतकर्ता हैं, किन्तु संबंधित वाहन कं. MP50T1094 किसी अन्य व्यक्ति श्री यधोराव धाकड़ के नाम पर रजिस्टर्ड है। अतः दूसरे के स्वामित्व का वाहन स्वयं के नाम से (फर्म/संस्था नहीं) निविदा प्रस्तुत कर किराये पर लगाया जाना व कार्यालय द्वारा निविदा स्वीकार कर देयकों का भुगतान किया जाना आपत्तिजनक है।

3.9.23 माह 09/2022 से 07/2023 तक चार बार नासिक से इंदौर मुद्रांक परिवहन हेतु कुल राशि ₹ 2,39,548/- का अनियमित आहरण, होटल स्टे के विसंगतिपूर्ण/फर्जी उपप्रमाणकों पर भी भुगतान एवं कोषालयीन कर्मचारियों के यात्रा देयक मुख्य वेतन शीर्ष 2054 के स्थान पर मुख्य शीर्ष 2030 से आहरित किया जाना।

मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र कमांक एफ 6—14/2012/अ—ग्यारह भोपाल, दि 0 28.07.2015 द्वारा जारी मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (संशोधित 2022) अनुसार— राशि ₹ 50000 से ₹ 2.5 लाख तक की सामग्री क्रय हेतु विभागीय क्रय समिति की अनुशंसा एवं GeM के माध्यम से उक्त क्रय होना अनिवार्य है।

म.प्र. वित्तीय संहिता भाग—एक के नियम 310 अनुसार — “The travelling allowance of a Government servant on whatever duty he may be employed shall be debited to the same head as his pay.”

वर्ष 2023—24 में जिला कोषालय इंदौर के निरीक्षण दौरान माह 09/2022 से 07/2023 तक कुल चार बार नासिक से इंदौर मुद्रांक लाने हेतु निम्नवत् प्रमाणकों का आहरण किया जाना पाया गया है:—

स.कं.	नासिक से इंदौर हेतु मुद्रांक लाने का दिनांक	भुगतान राशि प्रमाणक व दिनांक	भुगतान शीर्ष
01.	तीन उपप्रमाणकों में अलग—अलग तिथि 06.09.2022 (As per Sanction) 07.09.2022 (As per 8000/- paid by me claim of ATO) 08.09.2022 (As per Invoice)	परिवहन भाड़ा व्यय 49,000 भुगतान प्रमाणक कं. 2694 दि 0 28.09.2023	2030–02–101–4612–31–007
		हम्माली व्यय 8,000 भुगतान प्रमाणक कं. 2696 दि 0 28.09.2023	2030–02–101–4612–31–007
		कर्मचारी यात्रा व्यय 1,120 भुगतान प्रमाणक कं. 2695 दि 0 28.09.2023	2030–02–101–4612–31–007
02.	Invoice अनुसार – 19 / 20.12.2022	परिवहन भाड़ा व्यय 49,000 हम्माली व्यय 7,000 कर्मचारी यात्रा व्यय 448 कुल व्यय 56,448 भुगतान प्रमाणक कं. 1076 दि 0 10.02.2023	2030–02–101–4612–31–007
03.	25.04.2023 (Invoice अनुसार)	परिवहन भाड़ा व्यय 55,000 हम्माली व्यय 7,000 कुल व्यय 62,000 भुगतान प्रमाणक कं. 723 दि 0 18.05.2023	2030–02–101–4612–31–007
04.	Invoice अनुसार – 27.07.2023 / 31.07.2023 (दो तिथियां उल्लेखित)	परिवहन भाड़ा व्यय 56,000 हम्माली व्यय 7,000 कुल व्यय 63,000 भुगतान प्रमाणक कं. 385 दि 0 08.08.2023	2030–02–101–4612–31–007
कुल व्यय राशि		2,46,120 / –	

उपरोक्त भुगतानों में निम्नवत् त्रुटियां/विसंगतियां परीलक्षित हो रही हैं:-

01. उपरोक्त तालिका के स.कं. 1 पर यात्रा व्यय के रूप में होटल बिल कं. 10093 / 06.09.2022 पर कर्मचारी श्री संजय देशपाण्डे, भृत्य को कुल राशि ₹ 1120 / – का भुगतान किया गया है जबकि उक्त बिल में समान समय में दो रुम बुकिंग का चार्ज लेख है। अतः एक ही कर्मचारी द्वारा एक ही समय होटल के दो रुम बुक किये आपत्तिजनक हैं व भुगतान योग्य नहीं है। अतः उक्त त्रुटिपूर्ण होटल बिल की पूर्ण राशि ₹ 1120 / – का भुगतान किया जाना (672 अथवा 448 के स्थान पर) पाया गया है। अतः अधिक भुगतान स्पष्ट है।

इसी प्रकार स.क. 2 पर यात्रा व्यय के रूप में होटल बिल कं. 10257 दि० 19.12.2022 एवं 10258 दि० 19.12.2022 दोनों ही श्री जोगेन्द्र कुमार रजक, भृत्य के होटल बिल हैं व एक ही अवधि के हैं। अतः स्पष्टः एक ही अवधि में एक ही कर्मचारी द्वारा होटल में ठहरने के दो अलग—अलग बिल (जिनमें से एक स्पष्टतः फर्जी बिल है) प्रस्तुत किया जाना व कोषालय द्वारा उसे एक ही देयक के साथ स्वीकार भुगतान किया जाना आपत्तिजनक है।

02. स.कं. 01 पर हम्माली का भुगतान, हम्माली के खाते में न करते हुए Paid by Me के आधार पर सुश्री नेहा गोयल, सहायक कोषालय अधिकारी के निजी खाते में भुगतान किया जाना पाया गया। जो कि आपत्तिजनक होते हुए म०प्र० कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 150 अनुसार स्थायी अग्रिम से व्यय किये जा सकने की सीमा राशि ₹ 5,000/- से भी अधिक है।
03. स.कं. 1 से 4 अनुसार कोषालयीन कर्मचारी का यात्रा व्यय राशि $1120+448=1568/-$ एवं हम्माली व्यय राशि $8,000+7000+7000+7000=29000/-$ के व्यय को विभागीय शीर्ष 2054 के स्थान पर शीर्ष 2030 के अधीन 31-007-परिवहन व्यवस्था पर विकलनीय किया जाना आपत्तिजनक परीलक्षित हो रहा है।
04. कोषालयीन कर्मचारियों द्वारा की गई यात्रा हेतु समस्त यात्रा देयक त्रुटिपूर्ण रूप से MPTC-24-A के स्थान पर FVC देयकों—MPTC-34 पर ही आहरित किया जाना पाया गया व यात्रा कार्यक्रम संलग्न नहीं पाया गया।
05. उपरोक्त तालिकानुसार प्रति 3-4 माह में नासिक डिपो से स्टाम्प लाये जाने हेतु व्यय (जो कि प्रतिवर्ष किया जा सकता है), के संबंध में शासन के निर्देश की कोई प्रति न तो स्वीकृति आदेश में उल्लेखित है एवं न ही देयक के साथ अवलोकित हुई।

3.9.24 बिना विभागीय समिति की अनुशस्ता एवं बिना GeM पोर्टल का प्रयोग किये माह जनवरी 2023 में राशि 68670+50581=1,19,251/- का Office Stationery/ Computer peripherals का क्य खुले बाजार से किया जाना व जारी की गई सामग्री का लेखा नहीं रखा जाना।

(क) म.प्र. वित्तीय संहिता खण्ड-1 चैप्टर 7 के नियम 15 अनुसार “Purchase orders should not be split up to avoid the necessity for obtaining the sanction of higher authority required with reference to the total amount of the orders.”

(ख) मध्यप्रदेश भण्डार कय तथा सेवा उपार्जन नियम-2015 (यथा संशोधित-2022) के नियम 8 व 9 अनुसार कमशः राशि 50,000/- तक का अनारक्षित सामग्री का कय GeM पोर्टल/स्थानीय बाजार के माध्यम से द्वारा किया जा सकता है एवं राशि रु. 50,001 से 2.5 लाख तक की अनारक्षित सामग्री का कय विभागीय कय समिति द्वारा GeM पोर्टल पर ही उपलब्ध विभिन्न विक्रेताओं में से न्यूनतम दर के निर्माता/विक्रेता से उत्पाद कय किया जाना अपेक्षित है।

(ग) म.प्र. शासन, वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ3/2010/नियम/चार दि 14.12.2012 द्वारा जारी मध्यप्रदेश वित्तीय अधिकार पुस्तिका के Section-V Purchase of Goods & Services के बिन्दु क्रमांक 5.2 अनुसार कार्यालय प्रमुख को Office Supplies & Equipment पर राशि 01 लाख प्रतिवर्ष तक व्यय करने का अधिकारी प्राप्त है। वहीं एपेंडिक्स-3 व नियम 5.4 अनुसार Computer Hardware & Peripherals including printers, Memory Space for Electronic Storage कय हेतु सक्षम प्राधिकारी विभागाध्यक्ष व उसकी मरम्मत व वार्षिक संरक्षण अनुबंध हेतु कार्यालय प्रमुख को अधिकार प्राप्त है।

(घ) म.प्र. वित्तीय संहिता खण्ड-1 के अध्याय-7 के नियम 17 व 18 अनुसार कय व जारी की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में विधिवत् प्रविष्टियां की जाकर शेष सामग्रियों का अद्यतित लेखा/खाता रखा जाना है व निर्धारित प्रारूप में Indent प्राप्त होने पर ही सामग्री जारी की जानी है। इसके अतिरिक्त नियम 29 व 30 अनुसार वर्ष में एक बार उक्तानुसार शेष सामग्री का भौतिक सत्यापन किये जाकर सत्यापन का प्रमाण-पत्र अंकित किया जाना है।

वर्ष 2023-24 में जिला कोषालय इंदौर के निरीक्षण दौरान प्रमाणकों की नमूना जांच में निम्न विवरण अनुसार सामग्री का अनियमित कय व लेखांकन कोषालय द्वारा किया जाना पाया गया:—

S.No.	Voucher No., Month & Sanction order Amount	Invoice No. & Date	Amount ₹	Vendor (from whom bought)	Item Type
(1)	05 06.02.2023 68,670/-	279 16.01.2023	21,146/-	Shree Hanumant Graphics & Printers	Stationery
		280 16.01.2023	47,524/-	--do--	--do--
		282	20,257/-	--do--	<u>Computer Peripherals</u> (Mouse Pad, Pen Drive,

(2)	06 06.02.2023 50,581/-	28.01.2023			<i>Key Board, Mouse, wireless keyboard & mouse, computer cable & calculator)</i>
		283 28.01.2023	30324/-	--do--	<i>Computer Peripherals (Hard Disk, RAM, Mechanical Keyboard)</i>
(3)	29 14.02.2023 13,999/-	284 02.02.2023	13,999/-	--do--	<i>Computer Peripherals (03 SSD Storage Devices)</i>

उपरोक्त सामग्रियों के क्रय एवं भण्डार पंजियों के अवलोकन में निम्नवत् विसंगतियां परीलक्षित हो रही हैं:-

01. स.क्रं. 01 व 02 पर प्रति प्रकरण ₹ 50,000/- से अधिक की सामग्री का क्रय बिना विभागीय क्रय समिति की सिफारिश पर एवं GeMs के स्थान पर खुले बाजार से क्रय किया जाना बिन्दु (ख) पर लेख नियम के अनुरूप नहीं है।
02. उपरोक्त तालिका के Invoice No.-279 द्वारा 03 पेनड्राइवें(932×3), Invoice No.-282 द्वारा 6 पेनड्राइवें (850×6) आदि, Invoice No.-283 द्वारा 03 हार्ड डिस्क (3406×3), 02 रैम 4 जीबी (4,360×2), 02 मैकेनिकल कीबोर्ड (3380×2) एवं Invoice No.-284 द्वारा 03 SSDs के रूप में Memory Spaces for E-Storage & other Computer peripherals का अधिक मात्रा में क्रय बिन्दु (ग) पर लेख नियम के विपरीत सक्षम प्राधिकारी (विभागाध्यक्ष) के अनुमोदन के बिना किया जाना दर्शित हो रहा है।
03. उक्त व पूर्व क्रय किसी भी सामग्री के जावक/जारी की कोई प्रविष्टि स्टॉक पंजी में नहीं पाई गई। जिसके कारण स्टॉक रजिस्टर में सामग्रियों का वास्तविक शेष परीलक्षित नहीं हो रहा है एवं न ही संबंधित स्टॉक रजिस्टरों के शेष का कोई वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। जो कि बिन्दु (घ) पर लेख नियम के अनुरूप नहीं है।

3.9.25 जी.एस.टी की राशि की पार्किंग गलत मुख्य शीर्ष में कर भुगतान किया जाना।
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्रमांक 50/2018-सेंट्रल टैक्स दिनांक 13.09.2018 के अनुसार विभिन्न कॉन्ट्रैक्टर/सप्लायर्स को भुगतान की जाने वाली राशि से काटी गई जीएसटी की राशि को सीजीएसटी एक्ट-2017 के अनुच्छेद-51 के अनुसार अगले माह की 10 तारीख तक सरकार के खातें में जमा करवाया

जाकर जीएसटीआर-7 रिटर्न फाइल किया जाना है। इस हेतु भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के द्वारा मुख्य एवं लघुशीर्ष की सूची में शीर्ष 8658-139 का प्रावधान किया गया है। जिसमें जीएसटी की राशि की कटौती एवं भुगतान किया जाना है।

वर्ष 2023-24 में कोषालय वल्लभ भवन के निरीक्षण के दौरान पाया गया आहरण एवं संवितरण अधिकारीयों द्वारा विभिन्न कॉन्ट्रैक्टर/सप्लायर्स के द्वारा जमा राशि अथवा क्य-विक्रय की राशियों को उनके व्यक्तिगत निक्षेप खाते में जमा की जा रही है अर्थात् जी.एस.टी की राशि की पार्किंग पी.डी. खातों में किया जा रहा है। तदोपरांत उसका भुगतान जीएसटी मद्देमें किया जा रहा है। जिसका उदाहरण निम्नानुसार है।

DDO	VC/8443-106	Month	Amount of GST refunded from pd account ₹
Divisional forest office bhopal division bhopal	39	August 2022	96,858.00

भाग—चार

**कोषालयों के निरीक्षण के दौरान एकीकृत वित्तीय
प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) में आई.टी.
नियंत्रण एवं आई.टी. सुरक्षा जांच बिन्दु संबंधी
जानकारी**

4.1 मध्य प्रदेश में कोषालयों का कम्प्यूटरीकरण

मध्य प्रदेश में कोषालयों का कम्प्यूटरीकरण मैनुअल प्रणाली की कमियों को दूर करने एवं बेहतर बजटीय नियंत्रण प्राप्त करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। कम्प्यूटरीकरण प्रणाली के क्रियान्वयन एवं संचालन की प्रभावशीलता के आंकलन हेतु कोषालयों का सूचना प्रौद्योगिकी निरीक्षण किया जाता है जिसके कुछ मुख्य बिन्दु निम्न हैं :—

- System requirements specification (SRS), User requirements specification (URS) आदि का निरीक्षण
- सामान्य नियंत्रण (General Control) का निरीक्षण
- अनुप्रयोग नियंत्रण (Application Control) का निरीक्षण

कम्प्यूटरीकरण का उद्देश्य शासन के मानवीय भूल की घटनाओं को कम करने, बेहतर बजटीय नियंत्रण स्थापित करने, लेखा की स्वच्छ एवं पठनीय प्रतियां तैयार करने तथा उपलब्ध निधि के प्रयोग की स्थिति एवं धन के व्यय से संबंधित वास्तविक समय की स्थिति प्राप्त करने के लिये कोषालयों को कम्प्यूटीकृत किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी निरीक्षण का उद्देश्य

कोषालय कार्यालयों का सूचना प्रौद्योगिकी निरीक्षण, कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम की कार्यक्षमता, मितव्ययता एवं प्रभावशीलता के आंकलन के उद्देश्य से किया जाता है जिसे निम्न उद्देश्यों में विभाजित किया गया है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या :—

- प्रणाली का संचालन एवं क्रियान्वयन प्रभावशील है।
- साफ्टवेयर की नियंत्रण की सुविधायें पर्याप्त हैं।
- आपदा प्रबंधन योजना/व्यापार निरंतरता योजना प्रभावशील है।
- विभिन्न स्तर पर बजटीय नियंत्रण प्रभावशील है।
- सूचना प्रौद्योगिकी वातावरण में व्यापार नियमों का अनुपालन किया जा रहा है।
- निधि के आवंटन के अंतर्गत ही बिलों को पास किया जाता है।
- आवश्यकता पड़ने पर आवंटन के विरुद्ध व्यय की प्रगति की निगरानी हो सके।
- कोषालय में प्राप्त बिलों एवं दावों का त्वरित निपटान हो।

4.2 कोषालयों के सूचना सुरक्षा/भौतिक सुरक्षा के दौरान पायी गयी विसंगतियां

वर्ष 2023–24 में सभी कोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोषालयों में कार्य के त्वरित क्रियान्वयन हेतु कम्प्यूटर प्रणाली लागू तो की गई है परंतु प्रणाली के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु व्यापक उपाय नहीं किये गये। इस संबंध में कम्प्यूटर की भौतिक सुरक्षा एवं डाटा प्रणाली में मुख्य रूप से निम्न कमियां पाई गई :—

- (i) कम्प्यूटर कक्ष तथा इसमें स्थापित कम्प्यूटर वस्तुओं, सर्वर आदि को आग से बचाने के लिए अग्निशामन यंत्र कम्प्यूटर कक्ष में पर्याप्त मात्रा में स्थापित नहीं किये गये और न ही धूल जो कि कम्प्यूटर की बोर्ड एवं अन्य कम्प्यूटर हार्डवेयर का मुख्य अवरोध है, से बचाने के लिये कोई पर्याप्त उपाय किये गये थे।
- (ii) कम्प्यूटर सिस्टम में विद्युत व्यवस्था बाधित न होने की दृष्टि से यू.पी.एस. एवं बैटरियों को अलग स्विच रूम में स्थापित नहीं किया गया था।
- (iii) डिजास्टर अथवा डाटा बेस कैश होने की स्थिति में डाटा प्राप्त करने के लिये डिजास्टर रिकवरी प्लान तैयार नहीं किया गया और न ही दैनिक डाटा को रिट्रीव करने संबंधी कोई उपाय किये गये थे।
- (iv) मूल साफ्टवेयर, नवीनतम संस्करण तथा बैकअप आदि को अग्नि, अन्य क्षतिकारक यंत्रों एवं जोखिमों से बचाने के लिये अग्नि-रक्षित कैबिनेटों में रखने हेतु कोई सुविधा नहीं है और न ही अग्नि पहचान यंत्रों, श्रव्य संकेतों की व्यवस्था कोषालयों में रखी गई थी।
- (v) कम्प्यूटर प्रणाली की सुरक्षा हेतु सुरक्षा कक्ष एवं सुरक्षा मैनेजर की स्थापना नहीं की गई थी।
- (vi) बैकअप की उपलब्धता को जांचने के लिये डाटा को नियमित अंतराल पर जांच किये जाने संबंधित कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया था।

4.3 कोषालयों के सूचना तकनीकी के निरीक्षण में पाई गई विभिन्न कमियां

मध्य प्रदेश स्थित कोषालयों में कम्प्यूटर प्रणाली का नेटवर्क आयुक्त कोष एवं लेखा, भोपाल के मुख्य सर्वर से जुड़ा हुआ है। अतः साफ्टवेयर में किसी भी प्रकार की कमी को कोषालयों के निरीक्षण के समय पाये जाने पर कोषालय/उपकोषालय अधिकारियों द्वारा उत्तर

दिया गया है कि साप्टवेयर में आवश्यक सुधार आयुक्त कोष एवं लेखा के कार्यालय द्वारा किया जाना है। वर्ष 2023–24 में निरीक्षण के दौरान सभी कोषालयों अर्थात् 35 कोषालय (परिशिष्ट संख्या—1 में दिये गये विवरण अनुसार) के साप्टवेयर में मुख्य रूप से निम्न कमियां पाई गईः—

- (1) कम्प्यूटर के उपयोग में आने से मुद्रांक विक्रेताओं को कम्प्यूटर के माध्यम से मुद्रांक जारी किये जाते हैं परंतु प्रणाली में मुद्रांकों के जारी किये जाने में कमीशन की राशि को मुख्य शीर्ष 2030 के अंतर्गत आवंटित बजट की राशि से घटाया नहीं जा रहा है, जिससे प्राप्त बजट के विरुद्ध व्यय पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। अतः प्रणाली में उक्त बजटीय नियंत्रण की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है।
- (2) कम्प्यूटर प्रणाली में सिंगल लॉक पंजियां संधारित करने का कोई प्रावधान नहीं पाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 94 एवं 95 (अ,ब) अनुसार आवश्यक है।
- (3) म0प्र0 शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक एफ—15/24/2003 /ई—4/दिनांक 11.11.03 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार फन्ट डेस्क काउन्टर्स पर लगे कम्प्यूटर्स पर आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के स्केन किये हुए प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर तथा अधिकृत देयक वाहकों के पहचान स्वरूप उनके स्केन किये गये फोटो ग्राफ तथा हस्ताक्षर रखे जाने चाहिए जो निरीक्षण के दौरान नहीं पाये गये हैं।
- (4) नॉन बजटेड राशियों जैसे सा.भ.नि. अग्रिम, समूह वीमा योजना आदि से संबंधित स्वीकृतियों बिल पारित होने के पश्चात भी लम्बित/अदावा स्वीकृतियों की सूची में लम्बित रहती है।
- (5) संचालक कोष एवं लेखा के पत्र क्रमांक मुद्रांक पंजी 2010/248 भोपाल दिनांक 4—12—2010 में दर्शित परिशिष्ट एक एवं दो में दिए बिन्दु अनुसार स्टाम्प जारी करने के फील्ड में डिनोमिनेशन वार मुद्रांक दर्ज करने का फील्ड नहीं है।
- (6) कर्मचारी का स्थानान्तरण एक कोषालय से दूसरे कोषालय में होने पर उसे कार्यमुक्त करते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उसका यूजर लॉगिन निष्क्रिय कर दिया गया है अन्यथा उसका दुरुपयोग सम्भव है।

- (7) प्रधान महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त लेखा अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षरों को प्रणाली में स्केन करने का फार्मेट नहीं है जिससे सा.भ.नि.अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्र का भुगतान करते समय हस्ताक्षरों का मिलान नहीं किया जा सकता है ।
- (8) प्रणाली में व्हीकल मास्टर में प्रविष्टि अनिवार्य रखी जानी चाहिये ।
- (9) कोषालय में सी.सी.टी.वी. एवं इमरजेन्सी सायरन जैसी व्यवस्था नहीं की गई है । तथा भवन की विद्युत व्यवस्था का प्रमाणीकरण लोक निर्माण विभाग के ई एण्ड एम डिवीजन से प्राप्त नहीं किया गया है ।
- (10) कम्प्यूटर के पेंशन फार्मेट पी०पी०ओ० मोडीफाई आफ्टर एप्रूवल फार्मेट में किसी पेंशनर के एक से अधिक बार एक कोषालय से दूसरे कोषालय में स्थानान्तरण होने पर स्थानान्तरण की प्रविष्टि दर्ज नहीं होती है । इसी प्रकार दूसरे कोषालय के उपरोक्त फार्मेट में भी यह प्रविष्टि कि पेंशनर किस कोषालय से आया है, दर्ज नहीं होती है । इस हेतु पी०पी०ओ० विस्तार फार्मेट में ही स्थानान्तरण की प्रविष्टि दर्ज होती है । अतः पी०पी०ओ० मोडीफाई आफ्टर एप्रूवल फार्मेट में संशोधन की आवश्यकता है ।

4.4 सूचना प्रौद्योगिकी के नियंत्रण और सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार की आवश्यकता:-

वर्तमान समय में प्रत्येक कोषालयों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग होने के कारण इसके प्रभावी नियंत्रण एवं सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए । कोषालयों के निरीक्षण उपरांत सूचना प्रौद्योगिकी के नियंत्रण एवं सुरक्षा संबंधी बिन्दुओं पर टिप्पणी निम्नानुसार है-

IT controls and IT Security

Sl.No.	Area	Points	Remarks
1.)	Information Security	<p>1. The Treasury Inspection team needs to check for the Information Security (IS) Policy Manual in which the procedures to govern and guide the treasuries' IS practices would have been stated.</p> <p>2. The Treasury Inspection team should verify whether the IS policy was as per applicable standard and subjected to review by a 3rd party auditor (TPA).</p> <p>3 Whether the government department is adhering to the IS Policy Manual throughout the transactions.</p>	Information Security control needs to be improve and IS policy should be review by 3 rd party auditor.

2.)	Physical Security	<p>1. The Treasury Inspection team should check whether physical security measures for the systems dedicated to perform the transactions are in place for Treasuries & Sub-Treasuries.</p> <p>2. The Treasury Inspection team should check whether all IT assets of the Treasuries & Sub-Treasuries forming part of the IT system or connected to it, are governed and managed by physical access control policies.</p> <p>3. Perform checks to ensure whether these policies prohibit unauthenticated and unauthorized access to the IT system or any of its components.</p>	Inspeciton team found lack of physical security measures for the system dedicated to perform the transactions.
3.)	Application Security	<p>1. Whether login credentials/biometric authentication or digital certificate are a compulsory requirement for the Internal Users (Users / Operators) to login to the application.</p> <p>2. Whether for biometric login, password etc. are captured and stored under a 500 dpi resolution.</p> <p>3. Whether the application has the inbuilt capability to enforce required password policy (minimum password length, complexity requirements, password age, etc.).</p> <p>4. Whether the application locks out user Id after a configurable number of unsuccessful attempts.</p> <p>5. Whether the application user authentication & authorization related transactions are encrypted.</p> <p>6. Whether the application restricts the user authentication whose password has expired until the user changes the expired password.</p> <p>7. Whether the application displays an appropriate message upon successful login/or a warning after failed login attempt.</p> <p>8. Whether the application supports role based access control to enforce segregation of duties.</p> <p>9. Whether the application enables the creation of different user groups and the assignment of different privileges to each group.</p>	Biometric login, password, should be stored. There should be alert/warnning messege after failed login attempts.

		<p>10. Whether the application displays the last login status (successful/ unsuccessful, time).</p> <p>11. Whether the system performs due authentication when accessed by other systems / web services / interfaces.</p> <p>12. Whether any direct access to the database is provided to any external agency. If so, whether such access was authorised and approved by the competent authority.</p> <p>13. What internal controls viz., data totalling / control totalling / checksums are deployed to ensure that the data transfer is complete and accurate while uploading data (e.g. upload of a XML file / Excel file / ASCII file) or data transfer.</p> <p>14. Whether the system is capable of secure File Transfer Protocol (FTP) ports.</p> <p>15. Whether data transfer to and from the application / web server is encrypted using SSL 3.1 128-bit encryption / AES or later encryption algorithm. If so, whether the encryption process ensures point to point encryption from the client to the application/web server.</p> <p>16. Whether the data generated by the system such as MIS or any other information is time stamped and digitally signed so as to ensure non-repudiation.</p> <p>17. Whether the uploaded file to the application system is scanned thoroughly before allowing it to reach application system for storage.</p> <p>18. Whether the control of Maker-Checker concept is implemented so that a user who creates a record or request is not be able to approve or update the record or request.</p>	
4.)	Computing Environment	<p>The Treasury Inspection team has to check the following as to whether</p> <p>1. All workstation hardware and associated peripheral equipment are marked with a unique asset identification code. The asset identification code to follow a defined naming convention that would uniquely and</p>	<p>There should be latest version of anti-virus be installed on all workstations, laptops and servers.</p> <p>USB ports should be deactivated in all</p>

		<p>appropriately identify the asset.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. USB ports are deactivated in all desktops / laptops, used by the treasury personnel, so as to prevent use of pen drives, external disk drives, etc. 3. To check whether no CD-R drives are being used except with the prior approval of the TO. 4. Any unauthorized connections (without prior permission) to the Internet are available by using external or inbuilt modems, broadband connections data card etc. 5. Inbuilt modems in desktops / laptops are disabled. <p><i>General guidelines on computer virus control</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. To ensure that the latest version of anti-virus be installed on all workstations, laptops and servers. 2. To ensure that the anti-virus software is run on network file servers on a regular basis, preferably daily. 3. To ensure that all servers and desktops be automatically updated with the virus definitions from centralized server on daily basis. 4. To ensure that the Antivirus solution is with automatic support and manual program and definition update. 	desktops/laptops, use by the treasury personnel to prevent use of external data devices.
5.)	Backup and Recovery	<ol style="list-style-type: none"> 1. Whether the backup and restoration policy has been framed and provided to the treasuries/sub treasuries as a deliverable. 2. Whether the role and responsibility for taking backup of all data that is stored within the new system in accordance with the backup policy has been assigned. 3. Whether the required backup solution for regular / scheduled backups is implemented. 4. Whether any planning for offsite storage of the backup media is implemented and the offsite location identified and logistics planned for transportation of backup media. 5. Whether asymmetric encryption of data backup files using private key of sender and decryption with public key of the sender is in vogue. 	Periodical test of the backed up data by restoring the data to a media device should be carried out in order to check its consistency. A plan for offsite storage of the back up media should be identified alongwith logistics for transpertaion of back up media.

		<p>6. Whether periodical test of the backed up data by restoring the data, to a media device, in order to check its consistency is being carried out.</p>	
6.)	System Security	<p><i>General guidelines on logical access control</i></p> <p>1. Whether access control procedures have been framed and followed.</p> <p>2. Whether, while framing access control procedures, the requirement to secure the entire IFMS system physically and logically has been considered.</p> <p>3. Whether the access control procedures cover all stages in the life-cycle of user access, from the initial registration of new users to the final de-registration of users who no longer require access to information systems and services.</p> <p>5. Whether any special needs which allow users to override system controls had been initiated as per the requirement; if so, what is the control mechanism in place to check the allocation of privileged access rights.</p> <p>6. Whether the external users (user outside the treasuries/sub treasuries) are given access to the system; if so, whether they are routed through the DMZ only.</p> <p>7. Whether the access for internal users are secure through Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) and appropriate authentication services.</p> <p>8. Whether every component of the IFMS system, including the computers, printers, users, application and any other peripheral equipment have been identified within the directory server and whether the access is governed by policies.</p> <p>9. Whether access to users was restricted according to their requirement to read, write or execute data or software on the basis of the desired role. If so, whether it allowed controlling actions and access to resources of all users including privileged accounts such as root / administrator.</p> <p>10. Whether care had been taken to ensure that there was no mechanism available to delete data or information and all activities of deletion lead</p>	All these given points must be followed for system security purposes.

	<p>the data to be moved to a secondary place earmarked for storing deleted data.</p> <p>11. Whether a single sign on into the entire IFMS system is implemented, wherein one identity is being used to login into a PC and the same identity can be used for working within the application, database and other software and hardware part of the IFMS system.</p> <p>12. Whether the entire IT system is governed by a single user management policy which should be defined & deployed centrally using a centralized administration panel. If so, a one-to-one relationship between user Ids and individuals is incorporated.</p> <p>13. Whether System Administrator (SA) role has been identified to define the user policies which would enable the following list of indicative activities.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perform password management functions including controlled password expirations, b. forced password change with optional grace logins, c. minimum password lengths (eight characters), d. alphanumeric password standards, e. password history logging, f. user lockout from failed login attempts, etc. <p>14. Whether all desktops / laptops, which are to be used for accessing information, are protected with a combination of user Id / password.</p> <p>15. Whether the mechanism exists to revoke the system access rights prior to or as soon as possible, when a Department employee or third party contract employee resigns/ retires.</p> <p>16. Whether any time period is specified for reconciliation of all active user ID's to ensure removal of redundant / unauthorized user IDs.</p> <p>17. Whether provisions have been incorporated to log and report all access violation attempts (user and resource authentication).</p> <p>General guidelines on Internet access and mail security</p> <p>18. Whether access to mailing service is strictly controlled using an access control policy within the IFMS system.</p>	
--	--	--

		<p>19. Whether access to chat services is strictly prohibited within the IFMS system.</p> <p>20. Whether the access to Internet content is controlled using access control & content filtering policies and procedures.</p> <p><i>General guidelines on patch management</i></p> <p>21. Whether a centralized patch management solution is deployed for the desktops and servers.</p> <p>22. Whether each desktop at Treasuries / Sub-treasuries/Disaster Recovery/Business Continuity Pan is configured for automatic updation of patch from the centralized patch management server.</p>	
7.)	Audit Trails & Logs	<p>Event logging is extremely helpful in documenting user activity and creates an accurate record of user activity so as to know which users accessed which system, as well as the respective websites they visited when and for how long. The system audit should invariably check for inbuilt control of logging all types of events especially those related to security and transactions.</p> <p>The IFMS should be checked for the following log collection methods:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Windows Management Instrumentation (WMI) for remote collection from the Windows Event Log. b. Syslog. c. Open Database Connectivity (ODBC). d. Text Log (flat file). e. Open Platform for Security (OPSEC). <p>1. Whether any methodology is adopted by the treasuries/sub treasuries on a timeframe for which old audit logs will be maintained for ready reference in the system. If so, after what time the old records are to be archived.</p> <p>2. Whether the application logs all application transaction details including time stamp, operator, approver IDs, update/modifications trail etc.</p> <p>3. Whether any methodology has been adopted and controls built in the application</p>	Audit Trails & logs should be enabled for all sensitive data to prevent loss, modification, or misuse of user data.

		<p>to protect the logs/ audit trails from unauthorized deletion, modification, or disclosure.</p> <p>4. Whether the system has inbuilt audit trails for tracking creation, updation/modification and deletion for critical application areas.</p> <p>5. Whether any critical log information requiring urgent attention, viz., issues which can lead to downtime are captured and an appropriate alert is generated and sent to the technical team of the government departments.</p>	
8.)	Data Protection	<p>1. Whether the passwords/ other key data content is stored in encrypted form.</p> <p>2. Whether there is any control mechanism to ensure that data in any form is not copied on to any external media without authorization.</p> <p>3. Whether encryption of the backup of database using an asymmetric algorithm similar to the key for decrypting lies with one single individual and is traceable.</p> <p>4. Whether complete end point data protection is inbuilt so as to prohibit any type of data pilferage using unauthorized copying, storing and emailing.</p> <p>5. Whether any data copied or moved out of the IFMS system is encrypted with public key encryption.</p>	Adequate mechanism for data protection should be inbuilt for unauthorized access.

उक्त दर्शाए गए बिन्दुओं पर सूचना प्रौद्यौगिकी के नियंत्रण एवं सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। साथ ही नियंत्रण को प्रभावी बनाये रखने के लिए सुरक्षा नीति बनाई जानी चाहिए एवं सामान्य नियंत्रण को भी प्रभावी ढंग से मजबूत बनाया जाना चाहिए।

परिशिष्ट संख्या – 1
(पैरा–1.2 एवं 3.1)

मध्यप्रदेश स्थित कोषालयों की सूची जिनका निरीक्षण वर्ष 2023–24 में किया गया

स.क्र.	कोषालय
1	झाबुआ
2	बालाघाट
3	राजगढ़
4	उज्जैन
5	बैतूल
6	रतलाम
7	भिण्ड
8	मुरैना
9	शिवपुरी
10	सिंगरौली
11	बड़वानी
12	आगरमालवा
13	नरसिंहपुर
14	सीहोर
15	मण्डला
16	उमरिया
17	रायसेन
18	अलीराजपुर
19	इंदौर
20	जबलपुर
21	दमोह
22	पन्ना
23	रीवा
24	भोपाल
25	हरदा
26	डिण्डोरी
27	वल्लभ भवन
28	सिवनी
29	सतना
30	छिन्दवाड़ा
31	धार
32	विन्ध्याचल भवन
33	सागर
34	खरगौन
35	ग्वालियर

परिशिष्ट संख्या-2
(पैरा-1.3)

**कोषालयों का उच्च जोखिम (High risk) एवं मध्यम जोखिम (Medium risk) के रूप में
 वर्गीकरण**

उच्च जोखिम (High risk) वाले कोषालय		मध्यम जोखिम (Medium risk) वाले कोषालय	
स.क्र.	कोषालय	स.क्र.	कोषालय
1	विन्ध्याचल भवन	1	मुरैना
2	जबलपुर	2	शिवपुरी
3	वल्लभ भवन	3	सिवनी
4	भोपाल	4	रतलाम
5	ग्वालियर	5	सीहोर
6	इन्दौर	6	भिण्ड
7	धार	7	मण्डला
8	रीवा	8	रायसेन
9	सागर	9	सिंगराली
10	खरगोन	10	बड़वानी
11	छिन्दवाड़ा	11	दमोह
12	उज्जैन	12	पन्ना
13	सतना	13	नरसिंहपुर
14	बालाघाट	14	झाबुआ
15	राजगढ़	15	डिण्डोरी
16	बैतूल	16	अलीराजपुर
		17	उमरिया
		18	हरदा
		19	आगरमालवा

परिशिष्ट संख्या-3(i)
(पैरा-2.10)

वर्ष 2019–20 के अप्राप्त तथा असमायोजित व्ही.डी.एम.एस. का विवरण

स.क्र.	कोषालय	उपकोषालय	बैंक कोड	माह
1	VINDHYACHAL BHOPAL	DENA BANK	0092	05/19,09/19

परिशिष्ट संख्या-3(ii)
(पैरा-2.10)

वर्ष 2020–21 के अप्राप्त तथा असमायोजित व्ही.डी.एम.एस. का विवरण

स.क्र.	कोषालय	उपकोषालय	बैंक कोड	माह
01	BHOPAL	ORIENTAL BANK PENSION	0717	07/2020
02	BHOPAL	AZAD MARKET BHOPAL DENA BANK	0125	09/2020
03	VINDHYACHAL BHOPAL	DENA BANK T.T. NAGAR	0092	06/2020 TO 01/2021

परिशिष्ट संख्या-3(iii)
(पैरा-2.10)

वर्ष 2022–23 के अप्राप्त तथा असमायोजित व्ही.डी.एम.एस. का विवरण

स.क्र.	कोषालय	उपकोषालय	बैंक कोड	माह
01	VINDHYACHAL BHOPAL	T.T. NAGAR BANK OF MAHARASHTRA	0753	06/2022,07/2022,02/2023
	VINDHYACHAL BHOPAL	MLA REST HOUSE S.B.I.	6159	07/2022, 09/2022,10/2022,11/2022, 12/2022,01/2023,02/2023,03/2023
	VINDHYACHAL BHOPAL	M.P. NAGAR BHOPAL I.C.I.C.I BANK	2011	12/2022

परिशिष्ट संख्या-3(iv)
(पैरा-2.10)

वर्ष 2023–24 के अप्राप्त तथा असमायोजित व्ही.डी.एम.एस. का विवरण

स.क्र.	कोषालय	उपकोषालय	बैंक कोड	माह
01	VINDHYACHAL BHOPAL	T.T. NAGAR BANK OF MAHARASHTRA	0753	06/2023,07/2023,10/2023,11/2023,12/2023, 01/2024
	VINDHYACHAL BHOPAL	MLA REST HOUSE S.B.I.	6159	04/2023,10/2023,11/2023,12/2023,01/2024, 02/2024

	VINDHYACHAL BHOPAL	CANARA BANK	2075	09/2023
	VINDHYACHAL BHOPAL	M.P. NAGAR BHOPAL I.C.I.C.I BANK	2011	12/2023
	VINDHYACHAL BHOPAL	I.D.B.I. BANK T.T.NAGAR	9173	02/2024
02	SHIVPURI	R.B.I. BHOPAL E- KUBER	01585801070	01/2024

परिशिष्ट संख्या-4 'अ'

(पैरा-2.11)

कोषालयों द्वारा मासिक लेखे में अंकित आर.बी.डी.राशि तथा आर.बी.डी.पत्रक में दर्शित राशि में अंतर
(माह 03 / 2024 तक समायोजित)

स.क्र.	कोषालय	माह	नगद लेखा अनुसार कोषालय की राशि	आर.बी.डी. पत्रक अनुसार कोषालय की राशि	अंतर	
					डेबिट	क्रेडिट
1.	Chhatarpur	03/24	2898844490 Cr.	2899471503 Cr.	627013	0.00
	TOTAL				627013	0.00

परिशिष्ट संख्या - 4'ब'

(पैरा-2.11)

31 मार्च 2024 की स्थिति में मुख्य शीर्ष 8675-रिजर्व बैंक डिपॉजिट (केन्द्रीय) के अंतर्गत विसंगतियों की लंबित मदों की सूची

1. (दिनांक 31.10.1990 के पूर्व की लंबित मदों)

क्र.	कोषालय	बैंक शाखा	माह	क्रेडिट	डेबिट	अभ्युक्तियां
1	सतना	सतना कोषालय	4 / 77	—	1062.48	Try. RBD 8386603.70 Try Cash A/c 837541.22 It is a Cash A/c & RBD difference.
2	सीहोर	एस.बी.आई. 1264 / नसरुल्लागंज	2 / 83	300	—	The bank figure of Rs.300 for Nasrullaganj branch was wrongly posted against kurwai in 02/83 in this office. The bank figure of kurwai 02/83 Rs. 300 was adjusted in 02/96 by RBI hence the difference of Rs. 300 (Treasury figure of Nasrullaganj is still outstanding for want of adjustment.)
3	दमोह	एस.बी.आई. 1332 / हटा	12 / 87	—	1526	Due to lack of relevant record the amount could not be adjusted by this office.

2. (दिनांक 01.4.1990 के बाद की लंबित मर्दे)

क्र.	कोषालय	बैंक शाखा	माह	क्रेडिट	डेबिट	अभ्युक्तियां
1	शहडोल	एस.बी.आई. 0481 / शहडोल	4 / 90	24569	00	बैंक परिशोधन
2	—“—	—“—	7 / 90	00	38068.75	—“—
3	—“—	—“—	10 / 90	00	21824	—“—
4	रतलाम	एस.बी.आई. 6983 (0466 पुराना) / रतलाम	7 / 90	00	64265	—“—
5	विदिशा	स्टेट बैंक इंदौर 3075 / विदिशा	7 / 90	00	26780	—“—
6	इंदौरसिटी	एस.बी.आई. 0387 / मुख्य शाखा	7 / 90	33005.30	00	—“—
7	—“—	—“—	4 / 91	790166	00	—“—
8	—“—	—“—	5 / 92	00	191105	—“—
9	—“—	—“—	6 / 92	00	216233	—“—
10	—“—	—“—	7 / 92	00	63000	—“—
11	—“—	—“—	2 / 93	00	76524	—“—
12	सीधी	एस.बी.आई. 1262 / सीधी	8 / 90	00	43771	—“—
13	—“—	—“—	5 / 91	28048	00	—“—
14	रायसेन	एस.बी.आई. 0462 / रायसेन	12 / 90	00	24129	—“—
15	जिला भोपाल	एस.बी.आई. 0332 / सुल्तानियां रोड	3 / 91	00	931065	—“—
16	होशंगाबाद	एस.बी.आई. 0383 / होशंगाबाद	3 / 91	00	133893	—“—
17	सतना	एस.बी.आई. 0474 / सतना	6 / 91	134404	00	—“—
		योग		1010492.30	1830657.75	

परिशिष्ट-5

(पैरा-2.12)

व्यक्तिगत जमा खातों में ऋणात्मक शेष पाया जाना

स.क्र.	कोषालय	स.क्र.	प्रशासक का नाम	राशि ₹ (-)
1	AGR	1	COLLECTOR AND DISTT. RIT OFFICER AGAR MALWA	-347426
2	ALI	2	MINI ITI ALIRAJPUR ALI	-47250
3	ASH	3	COLLECTOR & CHIF JANGADNA OFFICER ASHOKNAGAR COLL. & CHIF JANGANDNA OFF. ASH	-829992
4	BAL	4	DIV.FOREST OFFICER (GEN) SOUTH BALAGHAT	-252131
	BAL	5	DFO NARTH T BALAGHAT BALAGHAT	-435721
	BAL	6	DFO NARTH PRODUCTION BAL BALAGHAT	-8183753
5	BET	7	LAND AQUISITION OFFICER BETUL	-2835362633
	BET	8	COLLECTOR CENSUS BETUL BETUL	-282
	BET	9	DY. DIR. FARMAR WEL. & AGRI. DEV. BETUL	-16744230
	BET	10	A . S. C. O. BHAINSADEHI	-38100
6	CHA	11	DIVISIONAL FOREST OFFICER (GEN.)CHA. CHHATARPUR	-16840776
	CHA	12	COLLECTOR AND SUPDT. SUB JAIL LAUNDI CHHATARPUR	-60766
	CHA	13	KRASHI PRASHIKCHHAN SANSTHAN NAOGAON CHHATARPUR	-372788
	CHA	14	COLLECTOR CENSUS 2011CHHATARPUR COLLECTOR CENSUS 2011 CHA.	-24627664
	CHA	15	DISTT. FOOD. OFFICER CHHATARPUR	-221835
	CHA	16	ASSTT DIRECTOR FISHERIES TRAINING INSTITUTE CHA CHHATARPUR	-1097326
	CHA	17	PRINCIPAL HSS LUGASI CHHATARPUR	-1272
7	CHI	18	DFO (EAST) FOREST DIV. CHI. CHHINDWARA	-1134714
	CHI	19	DFO SOUTH, GEN, DIV. CHI. CHINDWARA	-579508
	CHI	20	DFO WEST GEN, DIV. CHI. CHINDWARA	-49682943
	CHI	21	ASSTT. LAND CONSERVATION OFFICER CHHINDWARA ASSTT. LAND CONSERVATION OFFICER CHHINDWARA	-5004383
	CHI	22	DFO WEST P CHHINDWARA CHHINDWARA	-49075338
	CHI	23	DFO EAST TERRITORIAL CHHINDWARA CHHINDWARA	-5659105
8	DEW	24	TRIBAL OFFICER DEWAS TRIBAL OFFICER DEWAS	-118208
	DEW	25	ASSTT. SOIL CONSERVATION DEWAS ASSTT. SOIL CONSERVATION DEWAS	-39800
	DEW	26	JILA NIRVACHAN ADIKARI DEWAS	-565939

9	DHA	27	LAO (REHIBILITATION)MANAWAR DHAR	-931537
	DHA	28	DIV FOREST OFFICER DHAR DHAR	-6691950
	DHA	29	COLLECTOR L,A,O,D,M,I,C PROJECT DHAR	-728378634
10	DIN	30	EE PWD DINDORI DINDORI	-100
	DIN	31	DY DISTRICT ELECTION OFFICER DIN DINDORI	-23755
11	GUN	32	ASTT. DIRECTOR SERICULTURE GUNA	-1505183
12	GWL	33	RASHTRIYA PRI. SCHOOL GWALIOR	-489745
13	HAR	34	SADHNA HSS HARDA HARDA	-167687
	HAR	35	ADARSH BAL MANDIR HARDA	-17593
	HAR	36	ASSTT.SOIL CONSERVATION OFF. SUB. DIV. HARDA ASSTT. SOIL CONSERVATION OFF. SUB. DIV. HARDA	-833976
	HAR	37	JANGANA 2010-2011 HARDA JANGANA 2010-2011 HARDA	-270846
	HAR	38	COLLECTOR FOOD BRANCH HARDA	-139733
	HAR	39	DY. DIR. FARMER WEL. & AGRI.DEV. HARDA	-172930
	HAR	40	D.F.O.PRODUCTION HARDA HARDA	-211072056
14	HOS	41	DFO (GENERAL) HOS. HOSHANGABAD	-179515
15	INC	42	M.P. BLIND ASSOCIATION INDORE	-13647
	INC	43	ITI INDORE INDORE	-4954131
	INC	44	DIV.FOREST OFFICER INDORE INDORE	-971700
16	IND	45	DY.COMMISSIONER INDORE INDORE	-9914602
	IND	46	LAO SANWER INDORE INDORE	-40835563
	IND	47	CHIEF CONSERVATOR OF FOREST (ANUSHANDHAN VISTAR) INDORE	-821683
	IND	48	DFO INDORE INDORE	-11341639
	IND	49	RENT CONTROL OFFICE INDORE INDORE	-693080
17	JBC	50	D. F. O. TRAINING JBC JABALPUR	-1199226
18	JBP	51	A. E. AGRICULTURE, ADHARTAL JABALPUR	-1825857
	JBP	52	ASSANT SOIL CONSORVATION OFFICER SUB DN ASSANT SOIL CONSORVATION OFFICER SUB DN	-840715
19	JHA	53	S.D.O. & L.A.O. JHABUA JHABUA	-86581973
	JHA	54	CHIEF CONSERVATOR OF FOREST (ANUSHANDHAN VISTAR) JHABUA	-196436
20	KAR	55	DIV. FOREST OFFICER(GEN) KHARGONE KHARGONE	-13504758
	KAR	56	DIV. FOREST OFFICER(GEN) BADWAH KHARGONE	-130527198
	KAR	57	S.D.O. REVENUE KHARGONE KHARGONE	-55755190

	KAR	58	S.D.O. REVENUE BHIKANGAON KHARGONE	-134112649
	KAR	59	S.D.O. & LAO(REVENUE) KASRAWAD KHARGONE	-32520642
	KAR	60	DIST. SMALL SAVING OFFICER KHARGONE KHARGONE	-683341
	KAR	61	LAO MAHESHWAR JAL VIDYUT PARIYOJNA MANDLESH. KAR.	-3992777307
	KAR	62	L.A.O. S.S.P.OMKAESWER KHARONE	-286434549
	KAR	63	LAO SSP IINDIRA SAGAR KHARGONE KHARGONE	-1092313
	KAR	64	DIST. TREASURY OFFICER KHARGONE KHARGONE	-11657203
	KAR	65	SENIOR SUB JAIL SUPRINTENDENT SUB JAIL MAHESHWER KHARGONE	-18200
21	KAT	66	DIV. FOREST OFFICER KATNI KATNI	-1781748
	KAT	67	COLLECTOR AND DISTRICT ELECTION KATNI KATNI	-1185253
22	KHA	68	COLL. KHA KHA	-6758578
	KHA	69	L AO. IINDIRA SAGAR PROJECT NO.2 KHANDWA KHANDWA	-37967980
23	MAN	70	D.F.O., EAST (G)MANDLA MANDLA	-820
	MAN	71	D.F.O., WEST (G)MANDLA MANDLA	-25252
24	MML	72	AGRICULTURE ENGINEER AGRI. DEPTT. MOTIMAHAL GWALIOR	-64462
25	MND	73	HARAKCHAND CHORADIYA COLLEGE BHANUPURA MANDSAUR	-84736
	MND	74	LAND ACQUISITION OFFICER MANDSAUR MANDSAUR	-30777513
	MND	75	LAND ACQUISITION OFFICER MALHARGARH MANDSAUR	-1817249
	MND	76	DIST. SMALL SAVING OFFICER MANDSAUR MANDSAUR	-816199
	MND	77	DIV. FOREST OFFICER MANDSAUR MANDSAUR	-155690
	MND	78	SUPDT. SUB JAIL GAROTH MANDSAUR	-948163
	MND	79	DISTT. SUPPLY OFFICER MANDSAUR	-646406
26	NAR	80	MUKHYA KARYA PALAK ADHI.GOTE GAON NARSINGHPUR	-152123
	NAR	81	COLL. SMALL SAVING N'PUR NARSINGHPUR	-1102145
	NAR	82	COLLECTOR LAND RECORD N'PUR NARSINGHPUR	-925646
	NAR	83	BAL MANDIR NARSINGHPUR NARSINGHPUR	-232128
27	NEE	84	RENT CONTROLLING OFFICER NEEMUCH NEEMUCH	-1895996
	NEE	85	DIV. FOREST OFFICER (GEN.DIV.)NEEMUCH NEEMUCH	-7536
	NEE	86	COLLECTER L A O NEEMUCH COLLECTER L A O NEEMUCH	-15400071
28	PAN	87	DIV. FOREST OFFICER NORTH DIV. PANNA PANNA	-14868

29	RAJ	88	LAND AQUISITION OFFICER RAJGARH RAJGARH	-3916181609
	RAJ	89	SUPDT.SUB.JAIL DIST.MAGISTRATE SARANGPUR RAJGARH	-586169
	RAJ	90	DY.DIR. FARMAR WEL. & AGRI. DEV. RAJGARH	-3815000
30	REW	91	MANAGER GOVT. POULTRY FORM REWA MANAGER GOVT. POULTRY FORM REWA	-1684431
	REW	92	ASSTT C. F. RESEARCH DEVELOPMENT CIRCLE REWA REWA	-1956473
	REW	93	COLLECTORAND LAND ACQUISITION OFFICER REWA REWA	-1380827151
	REW	94	COLLECTOR AND DISTT ELECTION OFFICER REWA REWA	-256487
31	RIS	95	COLLECTOR RAISEN RAISEN	-294258206
	RIS	96	S.D.M. BARELI RAISEN	-1747581
	RIS	97	S.D.O.GOHARGANJ RAISEN	-168438282
	RIS	98	S.D.M.BEGAMGANJ RISEN	-34456033
	RIS	99	COLLECTOR JANGANDA RAISEN COLLECTOR JANAGNDA RIS.	-3814846
32	SAG	100	PRI ITI SAGAR SAGAR	-452240
	SAG	101	COMM. WORKSMAN COMP. L.C. SAGAR SAGAR	-179816
	SAG	102	ASS. LABOUR COMM. SAGAR SAGAR	-68920
	SAG	103	COLLECTOR LAND RECORD SAGAR SAGAR	-227732059
	SAG	104	PRI. ADERSH MUSIC COLLAGE SAGAR SAGAR	-94189
	SAG	105	SUPDT. SUB. JAIL BANDA SAGAR SUPDT. SUB. JAIL BANDA SAGAR	-26150654
	SAG	106	DISTRICT ELECTION OFFICER SAGER SAGER	-226603
33	SAJ	107	P.O. , I.C.D.S. NALKHEDA SHAJAPUR	-108010
34	SAT	108	COMMERCE DEGREE COLLEGE SATNA SATNA	-625075
	SAT	109	SRI JANKI SANSKRIT VIDYALAYA OLD LANKA CHITRAKOOT SATNA	-176747
	SAT	110	DIS. TREASURY OFFICER SATNA	-816769
35	SEH	111	DFO SEHORE SEHORE	-69483313
	SEH	112	SDO & LAO FOR COLLECTOR SEHORE SEHORE	-464894286
	SEH	113	S.D.O. ASHTA SEHORE	-1029654
36	SEO	114	DFO (T)NORTH SEONI SEONI	-73658
	SEO	115	SUPDT. ITI KURAI SEONI	-194525
	SEO	116	SUPDT. ITI GHANSAUR SEONI	-77945
	SEO	117	CHIEF CONSERVATOR OF FOREST (ANUSHANDHAN VISTAR) SEONI	-628431
37	SHA	118	DFO SOUTH SHAHDOL SHAHDOL	-16621414

	SHA	119	DIS. SMALL SAVING OFFICER SHAHDOLE	-500956
	SHA	120	DISTRICT TREASURY OFFICER SHAHDOLE	-50000
	SHA	121	COLLECTOR SHAHDOL SHAHDOL	-32472268
38	SHI	122	COLL. JANGANNA OFFICER SIV SHIVPURI	-4890605
39	SID	123	DIST. SMALL. SAVING OFFICER SIDHI SIDHI	-52326
40	SNG	124	COLL AND DISTRICT ELECTION OFFICER SINGROLI SINGROLI	-513343
41	TIK	125	COLL. & LAND AQUISITION OFFICER TIK. TIKAMGARH	-726625272
	TIK	126	A D FISHRIES TIK TIKAMGATH	-698059
42	UJJ	127	DFO UJJAIN UJJAIN	-289608
	UJJ	128	COLLECTOR ELECTION SECTION UJJ UJJAIN	-84123
43	UMA	129	DIV. FOREST OFFICER UMARIA UMARIA	-2148003
44	VAL	130	DIV. FOREST OFFICER(GEN)BHOPAL VALLABH BHAWAN	-66570
	VAL	131	COMM. TRIBAL DEV.,BPL BHOPAL	-204465602
	VAL	132	DEPUTY DIRECTOR ADVT. DIRECTT PUBLIC RELATION VAL	-146654595
	VAL	133	SACHIV URJA VIBHAG VALLABH BHAVAN	-2500000000
	VAL	134	AYUSHMAN BHARAT VALLABHBHAVAN BHOPAL	-9664753
45	VIN	135	DIRECTOR TREASURY & ACCOUNTS VIN. VINDHYACHAL BHAWAN	-111467
	VIN	136	DGB. (PHQ) BHOPAL VIN. VINDHYACHAL BHAWAN	-75094263
	VIN	137	DIR. ARCHEOLOGY & MUSIUM VIN. VINDHYACHAL BHAWAN	-20700
	VIN	138	COMM. HANDLOOM VIN. VINDHYACHAL BHAWAN	-76487964
	VIN	139	COMMISSIONER RESHAM VINDHYACHAL BHAVAN BHOPAL VINDHYACHAL	-19974
	VIN	140	DIR. PENSION OFFICE BHOPAL BHOPAL	-148365
	VIN	141	DY.DIR.SERICULTURE VIN VINDHYACHAL	-50000000
	VIN	142	COMMISSIONER PANCHAYAT RAJ BHOPAL VIN	-8714751046
	VIN	143	DIRECTOR HANDLOOM VINDHYACHAL	-3413467
	VIN	144	DIRECTOR GEOLOGY AND MINING VIN BHOPAL B	-25
	VIN	145	EXECUTIVE ENGG NARMADA DIV 23 BHOPAL	-148592000

परिशिष्ट संख्या—6

(पैरा—3.2.1)

निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रथम पालन प्रतिवेदन प्राप्त न होना अथवा विलंब से प्राप्त होने का विवरण

स.क्र.	कोषालय	निरीक्षण अवधि	निरी.प्रति.जारी दिनांक	पालन प्रति. प्राप्ति दिनांक	विलम्ब/रिमार्क
1	झाबुआ	4/21 से 3/23	11.5.2023	18.9.2023	3 माह 5 दिन
2	बालाघाट	3/22 से 3/23	11.5.2023	11.10.2023	3 माह 24 दिन
3	राजगढ़	10/21 से 3/23	12.5.2023	29.9.2023	3 माह 12 दिन
4	भिण्ड	8/21 से 3/23	01.6.2023	अप्राप्त	—
5	बैतूल	1/22 से 4/23	02.6.2023	—“—	—
6	रतलाम	7/21 से 4/23	08.6.2023	—“—	—
7	उज्जैन	4/22 से 3/23	26.6.2023	—‘—	—
8	मुरैना	8/21 से 5/23	26.6.2023	—“—	—
9	सिंगरौली	10/21 से 5/23	03.7.2023	—“—	—
10	शिवपुरी	9/21 से 5/23	05.7.2023	—“—	—
11	बड़वानी	10/21 से 5/23	14.7.2023	—“—	—
12	आगरमालवा	9/21 से 6/23	21.7.2023	—“—	—
13	नरसिंहपुर	10/21 से 6/23	28.7.2023	04.3.2024	6 माह
14	सीहोर	11/21 से 6/23	10.8.2023	13.12.2023	3 माह
15	मण्डला	11/21 से 6/23	22.8.2023	30.10.2023	1 माह 3 दिन
16	उमरिया	11/21 से 7/23	28.8.2023	अप्राप्त	—
17	रायसेन	12/21 से 7/23	12.9.2023	30.1.2024	3 माह 5 दिन
18	अलीराजपुर	12/21 से 7/23	18.9.2023	अप्राप्त	—
19	हरदा	2/22 से 8/23	22.9.2023	20.3.2024	4 माह 22 दिन
20	जबलपुर	10/22 से 8/23	09.10.2023	अप्राप्त	—
21	दमोह	1/22 से 8/23	05.10.2023	08.4.2024	5 माह
22	पन्ना	1/22 से 8/23	17.10.2023	08.4.2024	4 माह 15 दिन
23	रीवा	11/22 से 9/23	30.10.2023	अप्राप्त	—
24	डिंडोरी	2/22 से 11/23	01.1.2024	—“—	—
25	इंदौर	9/22 से 11/23	09.1.2024	—“—	—
26	भोपाल	11/22 से 11/23	05.1.2024	—“—	—
27	वल्लभ भवन	12/22 से 11/23	10.1.2024	20.3.2024	1 माह 3 दिन
28	सिवनी	6/22 से 11/23	17.1.2024	10.4.2024	1 माह 17 दिन
29	सतना	11/22 से 12/23	12.2.2024	अप्राप्त	—
30	धार	12/22 से 11/23	13.2.2024	—“—	—
31	विन्ध्याचल भवन	1/23 से 1/24	22.2.2024	—“—	—
32	सागर	2/23 से 1/24	01.3.2024	—“—	—
33	छिन्दवाड़ा	12/22 से 1/24	05.3.2024	—“—	—
34	खरगौन	2/23 से 1/24	05.3.2024	—“—	—
35	ग्यालियर	2/23 से 1/24	18.3.2024	—“—	—

परिशिष्ट संख्या—7

(पैरा—3.3.1)

राज्य शासन के अधीन दिनांक 1.1.05 एवं इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को परिभाषित
अंशदान पेंशन योजना के क्रियान्वयन में अनियमिततायें

स.क्र.	कोषालय का नाम	कर्मचारियों के वेतन से कटौती से प्राप्त अंशदान (क)	कोषालय द्वारा जमा शासन का समतुल्य अंशदान (ख)	शासन का शेष समतुल्य अंशदान (अंतर) (क—ख)
1	भिण्ड	1914293544	1843553854	70739690
2	शिवपुरी	2206302766	2087675252	118627514
3	सीहोर	1781476234	1717149592	64326642
4	पन्ना	900819991	901112981	(—) 292990
5	भोपाल	1613792924	1499284864	114508060
6	सागर	2087167073	2026489820	60677253
7	छिन्दवाड़ा	1801732026	1678453640	123278386
8	ग्वालियर	2076057573	1978186882	97870691
	योग	14381642131	13731906885	649735246

परिशिष्ट संख्या—8

(पैरा—3.3.2)

राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत शासकीय अंशदान की राशि का 14 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत जमा किये जाने वाले कोषालय की सूची

स.क्र.	कोषालय	10 प्रतिशत जमा किये जाने की अवधि
1	बालाघाट	अप्रैल 2021 से जुलाई 2021
2	राजगढ़	—“—
3	भिण्ड	—“—
4	बैतूल	—“—
5	उज्जैन	अप्रैल 2022
6	मुरैना	अप्रैल 2021 से जुलाई 2021
7	सिंगरौली	01.04.2021 से 31.03.2022
8	बड़वानी	01.10.2021 से 31.03.2023
9	मण्डला	01.04.2021 से 31.03.2022
10	उमरिया	01.04.2021 से 31.07.2021
11	रायसेन	01.01.2023 से 28.02.2023
12	अलीराजपुर	01.04.2021 से 29.07.2021
13	जबलपुर	04 / 2021 से 08 / 2023

14	दमोह	04 / 2021 से 03 / 2023
15	रीवा	11 / 2022 की नमूना जांच
16	डिण्डोरी	01.04.2023 से 31.05.2023
17	इंदौर	11 / 2023 की नमूना जांच
18	भोपाल	01.11.2022 से 30.11.2023
19	सिवनी	01.04.2021 से 29.07.2021
20	सतना	01.11.2022 से 31.12.2023
21	धार	01.04.2021
22	सागर	01.02.2023 से 31.01.2024
23	छिन्दवाड़ा	12 / 2023 की नमूना जांच
24	खरगौन	01.02.2023 से 31.01.2024

परिशिष्ट संख्या—9

(पैरा— 3.4—i)

सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान हेतु प्राप्त प्राधिकार पत्रों पर निर्धारित छःमाह की समयावधि में भुगतान न किया जाना

स.क्र.	कोषालय का नाम	मद संख्या	राशि ₹
1	बैतूल	04	2185440
2	मुरैना	01	1435348
3	सीहोर	07	6688493
4	मण्डला	08	4207417
5	उमरिया	04	4112001
6	रीवा	07	9844207
7	भोपाल	01	1927966
8	वल्लभ भवन	03	691087
9	सतना	04	3122956
10	खरगौन	03	1714685
11	ग्वालियर	01	2199195
	योग	43	38128795

परिशिष्ट संख्या-10

(पैरा- 3.5.1)

विभागीय प्राप्ति एवं भुगतानों का सत्यापन कोषालयीन अभिलेख से न किया जाना

स. क.	कोषा./उपकोषा. का नाम	चालान से जमा राशि का पुष्टि न किया जाना	कोषालय से आहरित राशि का प्रमाणीकरण न किया जाना
1	झाबुआ	नहीं किया जा रहा है	नहीं किया जा रहा है
2	बालाघाट	—“—	—“—
3	राजगढ़	—“—	—“—
4	भिण्ड	—“—	—“—
5	बैतूल	—“—	—“—
6	रतलाम	—“—	—“—
7	उज्जैन	—“—	—“—
8	सिंगराली	—“—	—“—
9	शिवपुरी	—“—	—“—
10	मण्डला	—“—	—“—
11	उमरिया	—“—	—“—
12	जबलपुर	—“—	—“—
13	दमोह	—“—	—“—
14	पन्ना	—“—	—“—
15	रीवा	—“—	—“—
16	इंदौर	—“—	—“—
17	वल्लभ भवन	—“—	—“—
18	धार	—“—	—“—
19	सागर	—“—	—“—
20	छिन्दवाड़ा	—“—	—“—
21	खरगौन	—“—	—“—

परिशिष्ट -11

(पैरा-3.5.2)

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार दो पासबुकों का संधारण न किया जाना

स.क.	कोषा./उपकोषा. का नाम	स.क.	कोषा./उपकोषा. का नाम
1	राजगढ़	5	आगरमालवा
2	भिण्ड	6	उमरिया
3	रतलाम	7	अलीराजपुर
4	शिवपुरी	8	इंदौर

परिशिष्ट संख्या—12

(पैरा—3.6.1)

तीन वर्षों से अधिक समय से अदावाकृत राजस्व/प्रतिभूति/अन्य जमा की राशि नियमानुसार शासन के खाते में व्यपगत नहीं किया जाना

स.क्र.	कोषालय का नाम	राशि	स.क्र.	कोषालय का नाम	राशि ₹
1	बालाघाट	363579718	15	हरदा	60423951
2	राजगढ़	14668830	16	दमोह	362816217
3	भिण्ड	297745703	17	पन्ना	21376723
4	बैतूल	57544921	18	रीवा	14411891
5	रतलाम	50580072	19	डिण्डोरी	257461778
6	उज्जैन	331208187	20	इंदौर	17672931
7	मुरैना	392017112	21	भोपाल	504295952
8	सिंगरौली	22041259	22	सिवनी	8791142
9	बड़वानी	485822775	23	सतना	48184723
10	आगरमालवा	85539596	24	धार	646522921
11	सीहोर	10702408	25	विन्ध्याचल भवन	254742575
12	मण्डला	202392276	26	सागर	158071872
13	रायसेन	199846567	27	छिन्दवाड़ा	98140228
14	अलीराजपुर	6896029		योग	4973498357

परिशिष्ट संख्या—13

(पैरा— 3.6.2)

वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना एक से अधिक व्यक्तिगत जमा खातों का खोला जाना

स.क्र.	कोषालय का नाम	व्यक्तिगत जमा खाताधारकों का नाम	कुल खातों की संख्या
1	राजगढ़	भूअजेन अधिकारी राजगढ़	02
		अधीक्षक जिला जेल एवं कलेक्टर राजगढ़	02
		प्रिंसिपल आई.टी.आई. ब्यावरा	02
2	उज्जैन	कलेक्टर भूअजेन उज्जैन	02
		भाड़ा नियंत्रण अधिकारी उज्जैन	02
		सेन्ट्रल जेल उज्जैन	02
3	मुरैना	कलेक्टर भूअजेन अधिकारी मुरैना	03
4	सिंगरौली	कलेक्टर एवं भूअजेन अधिकारी सिंगरौली	02
		कलेक्टर एण्ड जिला निवोचन अधिकारी सिंगरौली	02
		डिवीजनल फोरस्ट ऑफिसर सिंगरौली	02

5	शिवपुरी	भूअजेन अधिकारी शिवपुरी अधीक्षक जिला जेल शिवपुरी कलेक्टर शिवपुरी अधीक्षक सवजेल करैरा अधीक्षक सवजेल कोलारस	04 02 03 02 02
6	नरसिंहपुर	डिवीजनल फोरेस्ट ऑफिसर नरसिंहपुर कलेक्टर भूअजेन नरसिंहपुर	03 02
7	सीहोर	डिवीजनल फोरेस्ट ऑफिसर सीहोर कलेक्टर एण्ड लैण्ड एक्यूजिशन ऑफिसर प्रिंसिपल आई.टी.आई. बुदनी	02 03 03
8	मण्डला	डी.एफ.ओ. प्रोडक्शन मण्डला	02
9	रायसेन	पी.डी. डी.एफ.ओ. जे. ओबेदुल्लागंज कलेक्टर लैण्ड एक्यूजिशन	02 02
10	हरदा	लैण्ड रिक्यूजिशन आफिसर हरदा डी.एफ.ओ. जनरल हरदा	04 02
11	जबलपुर	प्रिंसिपल गर्वमेंट कॉलेज मझौली जबलपुर सुपरेंडेंट आफ आई.टी.आई. मझौली एण्ड अधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मझौली	02 02
		प्रिंसिपल गर्वमेंट एस.एस.ए. पी.जी. कॉलेज सिहोरा जबलपुर एण्ड प्राचार्य शा.श्याम सुन्दर अग्रवाल पी. जी. कॉलेज सिहोरा	02
		भूअर्जन अधिकारी जबलपुर	02
		अधीक्षक सेन्ट्रल जेल	02
12	दमोह	कलैक्टर लैण्ड एक्यूजिशन आफिसर दमोह	03
13	पन्ना	कलैक्टर भूअर्जन अधिकारी पन्ना	03
14	रीवा	कलैक्टर लैण्ड एक्यूजिशन आफिसर रीवा	02
15	इंदौर	भूअर्जन अधिकारी इंदौर लेवर कमिशनर इंदौर सी.पी. रिसर्च एक्सटेंशन इंदौर एस.डी.ओ. रेवेन्यू जेल सांवेर	02 02 02 02
16	भोपाल	लैण्ड एक्यूजिशन ऑफिसर फॉर कलैक्टर भोपाल	03
17	वल्लभ भवन	उपसंचालक कुकुट अनुसंधान भोपाल स्टेट आयुष मिशन समिति सचिव उर्जा विभाग संचालक पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा मण्डला	03 04 02 02
		चीफ कन्सरवेटर आफ फोरेस्ट सी.पी.ए. वनमण्डा डी.डी.ओ. रिसर्च एण्ड एक्सटेंशन सर्किल भोपाल	02 02
18	सिवनी	डी.एफ.ओ. साउथ टी. डी.एन. सिवनी डी.एफ.ओ. प्रोडक्शन सिवनी कलैक्टर लैण्ड एक्यूजिशन आफिसर सिवनी अधीक्षक जिला जेल सिवनी	02 02 03 02

19	सतना	अधीक्षक सेन्ट्रल जेल सतना वन मण्डल अधिकारी सतना भूअजेन अधिकारी सतना	02 02 03
20	विन्ध्याचल भवन	संचालक हथकरघा एवं हस्तशिल्प कमिशनर पंचायती राज भोपाल	02 02
21	खरगौन	कलैक्टर खरगौन एल.ए.ओ. महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर खरगौन	02 03
		प्रिंसिपल गवर्मेंट डिग्री कॉलेज बड़वाह	02
22	ग्वालियर	मैनेजर गवर्मेंट रीजनल पोलिट्री फासे ग्वालियर रेन्ट कंट्रोलर आफीसर ग्वालियर श्रीजनल लाइब्रेरियन सेन्ट्रल लाइब्रेरी ग्वालियर कलैक्टर लैण्ड एक्यूजिशन ग्वालियर	04 02 02 04
		प्रिंसिपल व्ही.एस. कॉलेज डबरा	02

परिशिष्ट संख्या—14

(पैरा—3.6.3)

तीन वर्षों से अधिक समय से निष्प्रभावी व्यक्तिगत / शैक्षणिक जमा की राशि नियमानुसार

राजस्व जमा (0075) में अंतरित न करना

स.क्र.	कोषालय का नाम	मद संख्या	राशि ₹
1	राजगढ़	10	11828204
2	भिण्ड	29	22123296
3	बैतूल	01	335505
4	रतलाम	11	25352592
5	उज्जैन	08	12062507
6	मुरैना	01	300980
7	सिंगरौली	03	1935358
8	शिवपुरी	12	60394360
9	बड़वानी	03	17312459
10	नरसिंहपुर	03	3220688
11	सीहोर	07	6024798
12	उमरिया	02	2574110
13	रायसेन	04	5657602
14	अलीराजपुर	01	9744
15	हरदा	05	1129625
16	दमोह	02	2307047
17	रीवा	03	25338406
18	डिण्डोरी	01	2141780
19	इंदौर	14	45553323

20	भोपाल	03	18794445
21	वल्लभ भवन	07	128038613
22	सिवनी	04	9235028
23	सतना	02	5016992
24	धार	02	2063773
25	विन्ध्याचल भवन	03	489122921
26	छिन्दवाड़ा	01	6268363
27	खरगौन	06	7518848
28	ग्वालियर	04	39812884
	योग	152	951474251

परिशिष्ट संख्या-15

(पैरा-3.6.4)

वन मण्डल द्वारा प्राप्त वन राजस्व आय को राज्य शासन की संचित निधि में जमा न करते हुये व्यक्तिगत निक्षेप खातों में रखा जाना

कोषालय बालाघाट

Statement of Forest Receipts deposited in 8443-106 (PD Accounts) from 01-03-2022 to 31-03-2023

S.No.	Forest Division/Name of PD A/cs	Opening Balance as on 01.03.2023	Total Forest Revenue & GST Receipt both were credited in PD Account 8443-106 (From 01.03.2022 to 31.03.2023)	Total GST Paid	Transfer to 0406	Other Payments from PD A/cs to individuals	Forest Receipt yet to be transferred in Govt. A/cs (3+4-5-6-7=8)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DFO NORTH PRODUCTION	2,70,16,104	15,96,20,318	5,65,43,331	12,83,27,395	81,63,872	-63,98,176
2	DFO NORTH T BALAGHAT	3,85,518	47,61,940	-	51,06,573	-	40,885
3	DFO SOUTH PRODUCTION	3,35,32,118	25,75,19,696	7,81,12,132	20,48,85,773	50,11,745	30,42,164
4	DFO SOUTH T	1,57,56,027	1,43,18,793	16,554	1,26,89,193	-	1,73,69,073
TOTAL							1,40,53,946.00

कोषालय मण्डला

Statement of Forest Receipt (0406) Wrongly Deposited in PD Accounts (8443-106)

S.N o.	Name of the Forest Division & PD Account	Previous Balance	Total forest Revenue Receipt	By transfer to 0406	Remaining Forest Receipt which has not been deposited in Govt. Account(3+4-5=6)
1	2	3	4	5	6
1	DFO PRODUCTION MANDLA PD/230/0417/50	17,61,72,969.00	1,38,75,97,206.00	1,41,13,07,113.00	15,24,63,062.00

कोषालय रायसेन

Statement of forest receipt deposited in PD Accounts from 01.04.2022 to 31.03.2023

Name of Forest Divison & PD Accounts	Previous Balance	Total Forest Revenue & GST Receipt credited in PD account	GST Paid	By transfer to 0406	Payment to Vendors/ Malik Makbuja	Remaining Forest Receipt which has not been deposited in Govt. A/cs as on 31.03.23 (3+4-5-6-7)
2	3	4	5	6	7	8
DFO P Raisen	4,15,30,129	29,54,32,057	43,686,835	14,57,32,484	2,02,80,413	12,72,62,454
					Total	12,72,62,454
						12.72 Cr.

कोषालय हरदा

Statement of forest receipt deposited in PD Accounts from 01.04.2022 to 31.03.2023

Name of Forest Divison & PD Accounts	Previous Balance	Total Forest Revenue & GST Receipt credited in PD account	GST Paid	By transfer to 0406	Payment to Vendors/ Malik Makbuja	Remaining Forest Receipt which has not been deposited in Govt. A/cs as on 31.03.23 (3+4-5-6-7)
2	3	4	5	6	7	8
DFO P Harda	3,89,96,976	38,11,17,046	15,63,58,895	203735627	1,24,23,620	4,75,95,880
			Total			4,75,95,880
						4.75 Cr

कोषालय जबलपुर

Statement of Forest Receipts deposited in 8443-106 (PD Accounts) from 01-04-2022 to 31-08-2023

S.No.	Forest Division/Name of PD A/cs	Opening Balance as on 01.03.2023	Total Forest Revenue & GST Receipt both were credited in PD Account 8443-106 (From 01.03.2022 to 31.03.2023)	Total GST Paid	Transfer to 0406	Other Payments from PD A/cs to individuals	Forest Receipt yet to be transferred in Govt. A/cs (3+4-5-6-7=8)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DFO T Division Jabalpur	1,80,44,752	14,56,67,096	67,01,056	3,43,44,776	4,20,65,571	8,06,00,445
TOTAL							8,06,00,445.00

कोषालय पन्ना

Statement Of Forest Receipts Deposited in 8443-106 (PD ACCOUNT) From 01.04.2022 to 25.09.2023

S.No.	Name Of Forest Division & PD Accounts	Previous Balance as on 01.04.2022	Total Forest Revenue Receipt during 01.04.2022 to 25.09.2023	By Transfer to 0406/GST/Aaruji payment during 01.04.2022 to 25.09.2023	Remaining Forest Receipt Which has not been Deposited In Govt A/cs yet (3+4-5)=6 as on 25.09.2023
1	2	3	4	5	6
1	DFO SOUTH PANNA PD/280/0206/24	8828945/-	51249938/-	57996609/-	2082274/-

योग:- (बालाघाट+मण्डला+रायसेन+हरदा+जबलपुर+पन्ना)

(14053946+152463062+127262454+47595880+80600445+2082274)=424058061/-

परिशिष्ट संख्या-16

(पैरा-3.6.6)

सिविल न्यायालय जमा खातों के न्यायालयीन अभिलेख, कोषालयीन अभिलेख एवं घणऋण पत्रक में अंतर

सं. क्र.	कोषालय का नाम	न्यायालयीन अभिलेख के अनुसार शेष ₹	कोषालयीन पंजी/अभिलेख के अनुसार शेष ₹	कम्प्यूटर/घणऋण पत्रक अनुसार शेष ₹
1	राजगढ़	—	6837512	—
2	भिण्ड	—	48394442	44559684
3	रतलाम	—	—	137765497
4	उज्जैन	—	116983467	118049150
5	सिंगरौली	—	1783488	5445424
6	शिवपुरी	—	14591960	39870909
7	बड़वानी	—	249784	29910573
8	सीहोर	—	15589112	10270165
9	मण्डला	690440	—	4338997
10	अलीराजपुर	—	1463052	1498733
11	पन्ना	—	175510	232660
12	डिण्डोरी	44900	—	868400
13	सिवनी	—	8436391	939426
14	धार	—	24886282	15541806
15	सागर	—	3699370	86837894
16	छिन्दवाड़ा	—	53351428	58064429

परिशिष्ट संख्या—17 'अ'
(पैरा—3.6.7)

**प्रधान महालेखाकार कार्यालय तथा कोषालय में संधारित पी.डी./ई.डी. खातों के शेषों में अंतर
पाया जाना**

स.क्र.	कोषालय का नाम	प्र.म.ले.कार्यालय अनुसार शेष ₹	(IFMIS)कोषालय अनुसार शेष ₹
1	राजगढ़	3785229799	5070027459
2	भिण्ड	24966702	93547745
3	बैतूल	(-)2666811143	952568739
4	रतलाम	103474207	352044398
5	उज्जैन	402667596	539780429
6	मुरैना	557564990	1414749552
7	सिंगरौली	8597541036	7196478197
8	शिवपुरी	289689616	3375882538
9	बड़वानी	56259501	55139833
10	आगरमालवा	521203656	366460120
11	नरसिंहपुर	764761004	288441901
12	सीहोर	(-)1148150004	1519062456
13	मण्डला	80710540	83387053
14	उमरिया	137077721	669830343
15	अलीराजपुर	9552167	9991606
16	हरदा	17968650	171813515
17	जबलपुर	696494272	757231161
18	दमोह	615318175	625261785
19	रीवा	(-)560540182	1680062812
20	डिण्डोरी	39074123	1844552758
21	इंदौर	25139901001	1187790479
22	भोपाल	883463212	801717009
23	सिवनी	702378395	584943100
24	सतना	1980118857	2254477600
25	धार	5404339070	2672175022
26	विन्ध्याचल भवन	(-)6685008539	1261959472
27	छिन्दवाड़ा	1837443282	1955488556
28	खरगौन	(-)3402018163	563008493
29	ग्वालियर	718355196	925323311

परिशिष्ट संख्या-17 'ब'
(पैरा-3.6.9)

**संभागीय वन मण्डल अधिकारी इंदौर (DIVISIONAL FOREST OFFICER, INDORE) के
व्यक्तिगत निक्षेप खाता क्र. PD/170/0721/2074-1001 में जमा कुल 116 चालानों
की प्रविष्टि पी.डी. पासबुक में दर्शित न होना।**

01/09/2022 TO 30/11/2023				
S.n.	Date	Challan No.	DDO Name	Amount ₹
1	08-Sep-22	8443/000072	DFO INDORE	2,00,000.00
2	12-Sep-22	8443/000123	DFO INDORE	97,500.00
3	12-Sep-22	8443/000124	DFO INDORE	1,30,000.00
4	12-Sep-22	8443/000125	DFO INDORE	14,800.00
5	12-Sep-22	8443/000126	DFO INDORE	49,000.00
6	12-Sep-22	8443/000127	DFO INDORE	4,500.00
7	12-Sep-22	8443/000128	DFO INDORE	30,000.00
8	12-Sep-22	8443/000129	DFO INDORE	13,000.00
9	12-Sep-22	8443/000130	DFO INDORE	25,000.00
10	12-Sep-22	8443/000131	DFO INDORE	70,500.00
11	12-Sep-22	8443/000132	DFO INDORE	60,000.00
12	16-Sep-22	8443/000150	DFO INDORE	85,625.00
13	26-Sep-22	8443/000181	DFO INDORE	18,900.00
14	26-Sep-22	8443/000182	DFO INDORE	24,650.00
15	03-Oct-22	8443/000062	DFO INDORE	37,000.00
16	14-Oct-22	8443/000146	DFO INDORE	16,740.00
17	21-Oct-22	8443/000276	DFO INDORE	1,96,230.00
18	21-Oct-22	8443/000277	DFO INDORE	1,64,610.00
19	21-Oct-22	8443/000278	DFO INDORE	44,680.00
20	31-Oct-22	8443/000281	DFO INDORE	39,060.00
21	31-Oct-22	8443/000282	DFO INDORE	1,65,200.00
22	05-Nov-22	8443/000105	DFO INDORE	4,24,671.00
23	05-Nov-22	8443/000106	DFO INDORE	88,870.00
24	11-Nov-22	8443/000102	DFO INDORE	6,49,836.00
25	13-Jun-23	8443/000278	DFO INDORE	9.00
26	13-Jun-23	8443/000279	DFO INDORE	9.00
27	13-Jun-23	8443/000280	DFO INDORE	9.00
28	13-Jun-23	8443/000281	DFO INDORE	9.00
29	13-Jun-23	8443/000282	DFO INDORE	9.00
30	13-Jun-23	8443/000283	DFO INDORE	9.00
31	13-Jun-23	8443/000284	DFO INDORE	9.00
32	13-Jun-23	8443/000285	DFO INDORE	9.00
33	13-Jun-23	8443/000286	DFO INDORE	9.00
34	13-Jun-23	8443/000287	DFO INDORE	9.00
35	13-Jun-23	8443/000288	DFO INDORE	9.00
36	19-Jun-23	8443/000359	DFO INDORE	9.00
37	19-Jun-23	8443/000360	DFO INDORE	9.00

38	19-Jun-23	8443/000361	DFO INDORE	9.00
39	19-Jun-23	8443/000362	DFO INDORE	9.00
40	19-Jun-23	8443/000363	DFO INDORE	9.00
41	19-Jun-23	8443/000365	DFO INDORE	9.00
42	27-Jun-23	8443/000444	DFO INDORE	9.00
43	27-Jun-23	8443/000445	DFO INDORE	9.00
44	07-Jul-23	8443/000134	DFO INDORE	9.00
45	07-Jul-23	8443/000135	DFO INDORE	9.00
46	25-Jul-23	8443/000533	DFO INDORE	23,904.00
47	31-Jul-23	8443/000536	DFO INDORE	2,670.00
48	01-Aug-23	8443/000033	DFO INDORE	9.00
49	01-Aug-23	8443/000034	DFO INDORE	9.00
50	01-Aug-23	8443/000035	DFO INDORE	9.00
51	01-Aug-23	8443/000036	DFO INDORE	9.00
52	01-Aug-23	8443/000037	DFO INDORE	9.00
53	16-Aug-23	8443/000291	DFO INDORE	33,876.00
54	16-Aug-23	8443/000292	DFO INDORE	29,300.00
55	16-Aug-23	8443/000293	DFO INDORE	9.00
56	16-Aug-23	8443/000294	DFO INDORE	9.00
57	16-Aug-23	8443/000295	DFO INDORE	9.00
58	16-Aug-23	8443/000296	DFO INDORE	9.00
59	16-Aug-23	8443/000297	DFO INDORE	12,510.00
60	17-Aug-23	8443/000298	DFO INDORE	3,007.00
61	17-Aug-23	8443/000299	DFO INDORE	70.00
62	17-Aug-23	8443/000300	DFO INDORE	650.00
63	21-Aug-23	8443/000446	DFO INDORE	56,420.00
64	21-Aug-23	8443/000456	DFO INDORE	46,332.00
65	25-Aug-23	8443/000505	DFO INDORE	9.00
66	07-Sep-23	8443/000110	DFO INDORE	440.00
67	13-Sep-23	8443/000123	DFO INDORE	11,664.00
68	13-Sep-23	8443/000124	DFO INDORE	38,448.00
69	28-Sep-23	8443/000355	DFO INDORE	1,38,480.00
70	28-Sep-23	8443/000356	DFO INDORE	14,184.00
71	09-Oct-23	8443/000122	DFO INDORE	13,824.00
72	13-Oct-23	8443/000185	DFO INDORE	7,930.00
73	21-Oct-23	8443/000315	DFO INDORE	190.00
74	09-Nov-23	8443/001359	DFO INDORE	270.00
75	13-Nov-23	8443/001361	DFO INDORE	13,608.00
76	13-Nov-23	8443/001362	DFO INDORE	2,790.00
77	13-Nov-23	8443/001363	DFO INDORE	65,100.00
78	20-Nov-23	8443/001367	DFO INDORE	270.00
79	20-Nov-23	8443/001368	DFO INDORE	270.00
80	23-Nov-23	8443/003007	DFO INDORE	270.00
81	23-Nov-23	8443/003008	DFO INDORE	270.00
82	23-Nov-23	8443/003009	DFO INDORE	270.00
83	23-Nov-23	8443/003010	DFO INDORE	270.00

84	23-Nov-23	8443/003011	DFO INDORE	270.00
85	23-Nov-23	8443/003012	DFO INDORE	270.00
86	23-Nov-23	8443/003013	DFO INDORE	270.00
87	23-Nov-23	8443/003014	DFO INDORE	270.00
88	23-Nov-23	8443/003015	DFO INDORE	270.00
89	23-Nov-23	8443/003016	DFO INDORE	270.00
90	23-Nov-23	8443/003017	DFO INDORE	270.00
91	23-Nov-23	8443/003018	DFO INDORE	270.00
92	23-Nov-23	8443/003019	DFO INDORE	270.00
93	23-Nov-23	8443/003020	DFO INDORE	270.00
94	23-Nov-23	8443/003021	DFO INDORE	270.00
95	23-Nov-23	8443/003022	DFO INDORE	270.00
96	23-Nov-23	8443/003023	DFO INDORE	270.00
97	23-Nov-23	8443/003024	DFO INDORE	270.00
98	23-Nov-23	8443/003025	DFO INDORE	270.00
99	23-Nov-23	8443/003026	DFO INDORE	270.00
100	23-Nov-23	8443/003027	DFO INDORE	270.00
101	23-Nov-23	8443/003028	DFO INDORE	270.00
102	23-Nov-23	8443/003029	DFO INDORE	270.00
103	23-Nov-23	8443/003030	DFO INDORE	270.00
104	23-Nov-23	8443/003031	DFO INDORE	270.00
105	23-Nov-23	8443/003032	DFO INDORE	270.00
106	23-Nov-23	8443/003033	DFO INDORE	270.00
107	23-Nov-23	8443/003034	DFO INDORE	8,252.00
108	28-Nov-23	8443/003053	DFO INDORE	270.00
109	28-Nov-23	8443/003054	DFO INDORE	270.00
110	28-Nov-23	8443/003055	DFO INDORE	270.00
111	28-Nov-23	8443/003056	DFO INDORE	270.00
112	28-Nov-23	8443/003057	DFO INDORE	270.00
113	28-Nov-23	8443/003058	DFO INDORE	270.00
114	28-Nov-23	8443/003059	DFO INDORE	31,950.00
115	28-Nov-23	8443/003060	DFO INDORE	12,770.00
116	28-Nov-23	8443/003061	DFO INDORE	270.00
		TOTAL		32,29,010/-

परिशिष्ट संख्या—18

(पैरा— 3.7.1—iii)

खजांची/भण्डार लिपिक से प्रतिभूति राशि जमा न कराई जाना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम
1	बालाघाट	7	दमोह
2	सिंगरौली	8	इंदौर
3	शिवपुरी	9	सतना
4	नरसिंहपुर	10	विन्ध्याचल भवन
5	सीहोर	11	सागर
6	जबलपुर		

परिशिष्ट संख्या—19

(पैरा— 3.7.2— i)

बहुमूल्य वस्तुओं के पैकेटों को निर्धारित समयावधि के पश्चात वापस नहीं लिया जाना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	लंबित पैकेटों की संख्या
1	झाबुआ	203
2	राजगढ़	129
3	भिण्ड	229
4	बैतूल	160
5	रतलाम	1705
6	उज्जैन	553
7	मुरेना	185
8	सिंगरौली	281
9	शिवपुरी	03
10	बड़वानी	117
11	नरसिंहपुर	19
12	सीहोर	260
13	मण्डला	188
14	उमरिया	135
15	रायसेन	148
16	अलीराजपुर	185
17	हरदा	176
18	जबलपुर	345
19	पन्ना	345
20	रीवा	760
21	डिण्डोरी	99

22	इंदौर	369
23	भोपाल	994
24	सिवनी	348
25	सतना	478
26	धार	118
27	सागर	126
28	छिन्दवाड़ा	432
29	खरगौन	135
30	ग्वालियर	35
	योग	9260

परिशिष्ट संख्या—20

(पैरा—3.7.2—ii)

राशि ₹ 50000/- से कम कीमत के बहुमूल्य वस्तुओं के पैकेटों को कोषालय/उपकोषालय में रखा जाना

स.क्र.	कोषालय	पैकेट
1	राजगढ़	254
2	बैतूल	40
3	रतलाम	384
4	उज्जैन	97
5	सिंगरौली	273
6	शिवपुरी	597
7	बड़वानी	193
8	आगरमालवा	139
9	नरसिंहपुर	360
10	सीहोर	457
11	मण्डला	447
12	उमरिया	29
13	रायसेन	574
14	अलीराजपुर	450
15	हरदा	173
16	दमोह	602
17	पन्ना	535
18	डिण्डोरी	118
19	सतना	90
20	धार	615
21	सागर	928
22	छिन्दवाड़ा	578
	योग	7933

परिशिष्ट संख्या—21
(पैरा—3.7.3)

दृढ़ कक्ष की दोहरी चाबियों का अभिरक्षण नियमानुसार न किया जाना

स.क्र.	कोषालय / उपकोषालय का नाम	स.क्र.	कोषालय / उपकोषालय का नाम
1	बालाघाट	6	जबलपुर
2	मुरैना	7	पन्ना
3	सिंगरौली	8	इंदौर
4	शिवपुरी	9	ग्वालियर
5	उमरिया		

परिशिष्ट संख्या—22
(पैरा— 3.8.1)

मुद्रांकों का निर्धारित सीमा से अधिक भण्डारण

स.क्र.	कोषालय का नाम	मुद्रांकों के अधिक भण्डारण की राशि ₹		
		अदालती	गैरअदालती	योग
1	झाबुआ	00	94691650	94691650
2	बालाघाट	111502186	00	111502186
3	भिण्ड	16922390	00	16922390
4	सिंगरौली	61469250	00	61469250
5	शिवपुरी	9980026	00	9980026
6	मण्डला	120886414	532731809	653618223
7	उमरिया	65942265	284601460	350543725
8	अलीराजपुर	7286640	00	7286640
9	दमोह	1002360	20893120	21895480
10	डिण्डोरी	69999199	00	69999199
11	भोपाल	4471635	275453103	279924738
12	सिवनी	121251765	40897597	162149362
13	सतना	78712371	00	78712371
14	ग्वालियर	372638692	5903658777	6276297469
	योग	1042065193	7152927516	8194992709

परिशिष्ट संख्या—23

(पैरा— 3.8.2)

अप्रचलित मुद्रांकों का सुदृढ़ कक्ष में अनावश्यक भण्डारण

स.क्र.	कोषालय का नाम	मुद्रांकों का प्रकार	अंतिम लेन देन की तिथि	राशि ₹
1	झाबुआ	नानज्यूडिशियल मुद्रांक (500 से 15000 तक)		190874000
2	उज्जैन	नानज्यूडिशियल मुद्रांक (5000X1002)		5010000
3	शिवपुरी	इन्श्योरेंस पॉलिसी		2536442
4	सीहोर	मनोरंजन		1293856
		इन्श्योरेंस पॉलिसी		3800000
		रेवेन्यू		387900
5	मण्डला	नानज्यूडिशियल मुद्रांक (2 X 425, 1 X 1850)		2700
		मनोरंजन		45784
6	दमोह	इन्श्योरेंस पॉलिसी		118841
		शेयर ट्रांसफर		200725
		नानज्यूडिशियल मुद्रांक (500 से 25000 तक)		208028500
7	धार	ज्यूडिशियल कोर्टफीस (1000 x 108)		108000
		वाटरमार्क (व्हाइट)		3500
8	सागर	ज्यूडिशियल कोर्टफीस		1168900
		लाइसेंस फीस		57340
		शेयर ट्रांसफर		1349938
		हुण्डी		1955
		वाटरमार्क (व्हाइट)		1000
9	खरगौन	मनोरंजन		304164
		वाटरमार्क		3000
		इन्श्योरेंस पॉलिसी		5471094
10	ग्वालियर	मनोरंजन		643100
		इन्श्योरेंस पॉलिसी		279335915
		शेयर ट्रांसफर		6770585
		हुण्डी		542995
		योग		708060234

परिशिष्ट संख्या—24
(पैरा—3.9.1)
पुराने अभिलेखों का विनष्टीकरण न करना

स.क्र.	कोषालय / उपकोषालय	स.क्र.	कोषालय / उपकोषालय
1	झाबुआ	15	जबलपुर
2	बालाधाट	16	दमोह
3	राजगढ़	17	पन्ना
4	बैतूल	18	रीवा
5	रतलाम	19	डिण्डोरी
6	सिंगरौली	20	इंदौर
7	शिवपुरी	21	भोपाल
8	बड़वानी	22	धार
9	नरसिंहपुर	23	विन्ध्याचल भवन
10	सीहोर	24	सागर
11	मण्डला	25	खरगौन
12	रायसेन	26	ग्वालियर
13	अलीराजपुर		
14	हरदा		

परिशिष्ट संख्या—25
(पैरा—3.9.3)
मृत स्कंध पंजी का सत्यापन न किया जाना

स.क्र.	कोषालय / उपकोषालय	स.क्र.	कोषालय / उपकोषालय
1	राजगढ़	6	मण्डला
2	सिंगरौली	7	जबलपुर
3	शिवपुरी	8	इंदौर
4	नरसिंहपुर	9	वल्लभ भवन
5	सीहोर		

परिशिष्ट संख्या—26
(पैरा—3.9.5)

आबकारी विभाग (मु0शी0—0039) के विभागीय आय एवं कोषालयीन आय में अंतर

कोषालय	माह	विभाग के अनुसार आय ₹	कोषालय अनुसार आय ₹
शिवपुरी	04 / 2020	92896805	93668805
	06 / 2020	182605463	253416693
	03 / 2021	253411693	184863050
	06 / 2021	184862950	179223943
बड़वानी	06 / 2022	139411760	137808426
	07 / 2022	107542014	106744314
	08 / 2022	95994368	95477768
	09 / 2022	87000232	86671532
	10 / 2022	116718908	116416208
नरसिंहपुर	04/2022	144165951	151693275
	05/2022	246156291	247095856
	06/2022	233852678	236437456
	07/2022	188447281	192711072
	08/2022	161214165	164697142
	09/2022	153658996	155909106
	10/2022	185493585	186066426
	11/2022	208903662	210334889
	12/2022	207226172	208292313
	01/2023	204722423	205155825
	02/2023	196476285	199106073
	03/2023	410667552	419676811
खरगौन	04 / 2023	277361955	286565489
	05 / 2023	336486523	336965243
	06 / 2023	270508449	270638440
	07 / 2023	243723354	251579335
	08 / 2023	232590032	237145175
	09 / 2023	222528241	222320593
	10 / 2023	276328004	282736063
	11 / 2023	318699435	319077981
	12 / 2023	281154552	280525614
योग		6260809779	6319020916

परिशिष्ट संख्या—27
(पैरा—3.9.6)

**महालेखाकार को लेखा प्रेषण उपरांत IFMIS पर कोषालयीन लेखा के भुगतान/प्राप्ति/
आर.बी.डी. आंकड़ों में परिवर्तन पाया जाना**

कोषालय का नाम	माह / वर्ष	महालेखाकार को पूर्व प्रेषित लेखा अनुसार आंकड़े	IFMIS अनुसार आंकड़े
शिवपुरी	12 / 2021	प्राप्ति— 1,88,03,92,702 /— आर.बी.डी.— 1,32,96,20,358 /—	प्राप्ति— 1,88,03,70,642 /— आर.बी.डी.— 1,32,96,42,418 /—
	05 / 2022	भुगतान— 2,36,94,30,929 /— आर.बी.डी.— 1,21,78,64,668 /—	भुगतान— 2,36,94,24,929 /— आर.बी.डी.— 1,21,78,58,668 /—
	09 / 2022	प्राप्ति— 2,28,79,92,351 /— भुगतान— 4,39,33,26,622 /— आर.बी.डी.— 2,10,53,34,271 /—	प्राप्ति— 2,28,80,18,253 /— भुगतान— 4,39,33,55,831 /— आर.बी.डी.— 2,10,53,37,578 /—
	01 / 2023	प्राप्ति— 75,11,96,372 /— भुगतान— 1,70,83,10,181 /— आर.बी.डी.— 95,71,13,809 /—	प्राप्ति— 75,19,58,487 /— भुगतान— 1,70,83,12,181 /— आर.बी.डी.— 95,63,53,694 /—
रीवा	11 / 2022	प्राप्ति—1395478139 आर.बी.डी.—1127608753 भुगतान—2523086892	प्राप्ति—1395478139 आर.बी.डी.—1127609428 भुगतान—2523087567
	03 / 2023	प्राप्ति—2900409866 आर.बी.डी.—2858850366 भुगतान—5759260232	प्राप्ति—2900478008 आर.बी.डी.—2858782224 भुगतान—5759260232
विन्ध्याचल भवन	04/2023	प्राप्ति — 51275556853.27 भुगतान - 78748194189 RBD — 27472637335.73	प्राप्ति — 51283648214.27 भुगतान - 78748194189 RBD — 27464545974.73
	05/2023	प्राप्ति — 61501062278.40 भुगतान - 18339792726 RBD — 43161269552.40	प्राप्ति — 61501162278.40 भुगतान - 18339792726 RBD — 43161369552.40
	06/2023	प्राप्ति — 68543586750.36 भुगतान - 68698133701 RBD — 154546950.64	प्राप्ति — 68543672338.36 भुगतान - 68698133701 RBD — 154461362.64
	07/2023	प्राप्ति - भुगतान - RBD -	प्राप्ति — 60513786003.56 भुगतान - 35239991423 RBD — 25273794580.56
	08/2023	प्राप्ति — 53766553289.74 भुगतान - 46325648007 RBD — 7440905282.74	प्राप्ति — 53778050793.74 भुगतान - 46325648007 RBD — 7452402786.74
	09/2023	प्राप्ति - 65473618235.32 भुगतान - 72800753178 RBD — 7327134942.68	प्राप्ति — 65474283676.32 भुगतान - 72800753178 RBD — 7326469501.68
	10/2023	प्राप्ति — 58224522632.71 भुगतान - 39562785960 RBD — 18661736672.71	प्राप्ति — 59550330623.71 भुगतान - 39562785960 RBD — 19987544663.71
	11/2023	प्राप्ति — 62018064866.15 भुगतान - 37897478899	प्राप्ति — 62029724183.15 भुगतान - 37897478899

		RBD – 24120585967.15	RBD – 24132245284.15
	12/2023	प्राप्ति – 63801940049.06 भुगतान – 26240245717 RBD – 37561694332.06	प्राप्ति – 63801990790.06 भुगतान – 26240245717 RBD – 37561745073.06

परिशिष्ट संख्या-28

(पैरा-3.9.7)

भवन किराया, विद्युत, पेयजल, वेतन आदि भुगतान वास्तविक एजेंसियों/व्यक्तियों के स्थान पर मध्यस्थों को किया जाना

कोषालय रत्लाम

Deputy Director Agriculture द्वारा निम्न देयकों में भुगतान Paid by me के आधार पर किया जा रहा है जो कि तय सीमा से अधिक हैः—

Bill No./Date	Reference No.	Gross Amount ₹
136/13.03.2023	FVC Bill/200015031701	50000
138/17.03.2023	FVC Bill/200015087434	80000
141/18.03.2023	FVC Bill/200015096412	60000
142/18.03.2023	FVC Bill/200015096479	99950
147/19.03.2023	FVC Bill/200015099160	50000
151/20.03.2023	FVC Bill/200015115157	437600

परिशिष्ट संख्या-29

(पैरा-3.9.8)

आबकारी विभाग के निविदाकारों द्वारा जमा निविदा राशि का त्रुटिपूर्ण जमा एवं वापिसी किया जाना

कोषालय बड़वानी

स.क्र.	माह / वर्ष	प्रमाणक क्रमांक	रिफण्ड वर्गीकरण	जमा वर्गीकरण	राशि ₹
1	11-2021	0009	2039-800-4034-34-009	0039-00-101-1001	1492425
2	03-2022	0011	2039-800-4034-34-009	0039-00-103-1003	352600
3	08-2022	0004	2039-800-4034-34-009	0039-00-103-0000	664350
4	04-2022	0004	2039-800-4034-34-009	0039-00-101-1001	1155186
	कुल योग				3664561

कोषालय उमरिया

संख्या	माह / वर्ष	प्रमाणक क्रमांक	जमा वर्गीकरण	रिफण्ड वर्गीकरण	राशि ₹
01.	03 / 2023	007	0039-105-1005	2039-001	4,28,100/-
02.	03 / 2023	0011	0039-105-1005	2039-001	10,50,000/-
कुल योग					14,78,100/-

कोषालय रायसेन

संख्या	माह / वर्ष	प्रमाणक क्र.	रिफण्ड वर्गीकरण	जमा वर्गीकरण	राशि ₹
01	12 / 2021	0008	2039-00-104-4173-34-001	0039-800-0000	120000
02	12 / 2021	0007	2039-00-800-4034-34-009	0039-800-0000	120000
कुल योग					240000

कोषालय जबलपुर

संख्या	माह / वर्ष	प्रमाणक क्रमांक	जमा वर्गीकरण	रिफण्ड वर्गीकरण	राशि ₹
01.	03 / 2023	41	0039-105-1005	2039-001-0940	9,57,778/-
02.	03 / 2023	29	0039-105-1005	2039-001-0940	26,73,000/-
03.	03 / 2023	31	0039-105-1005	2039-001-0940	15,46,700/-
04.	03 / 2023	24	0039-105-1005	2039-001-0940	36,36,603/-
05.	03 / 2023	27	0039-105-1005	2039-001-0940	35,00,000/-
06.	03 / 2023	25	0039-105-1005	2039-001-0940	49,00,000/-
07.	03 / 2023	28	0039-105-1005	2039-001-0940	18,44,500/-
08.	03 / 2023	26	0039-105-1005	2039-001-0940	61,11,111/-
09.	03 / 2023	19	0039-105-1005	2039-001-0940	27,70,000/-
कुल योग					2,79,39,692/-

कोषालय छिन्दवाड़ा

संख्या	माह / वर्ष	प्रमाणक क्रमांक	जमा वर्गीकरण	राशि रु	रिफण्ड वर्गीकरण	राशि ₹
01.	03 / 2023	03	0039-105-1005	685278	2039-800-4034-34-00 9	2744603
			0039-105-1005	1498000		
			0039-105-9725	297700		
			0039-103-9724	78000		
			0039-101-9699	185625		
02.	03 / 2023	05	0039-105-1005	1762200	2039-800-4034-34-00 9	
			0039-105-1005	1738000		
			0039-105-1005	1505111		

		0039-105-1005	1388202		7926662 /-
		0039-105-1005	574468		
		0039-105-1005	330000		
		0039-105-1005	342980		
		0039-105-1005	100000		
		0039-105-1005	185700		
		कुल योग			10671264 /-

योग:- (बड़वानी+उमरिया+रायसेन+जबलपुर+छिन्दवाड़ा)

$$(3664561+1478100+240000+27939692+10671264)=43993617 /-$$

परिशिष्ट संख्या-30

(पैरा-3.9.9)

**कोषालयों में शासकीय धन की प्राप्ति मैन्युअल चालान के माध्यम से की जाना
कोषालय बड़वानी**

MHCD	Amount ₹ (By Transfer Included)
0028 : Other Taxes on Income and Expenditure	11890996
0029 : Land Revenue	20396506
0030 : Stamps and Registration Fees	2170736
0039 : State Excise	1910043
0040 : Taxes on Sales, Trade etc.	4400611
0041 : Taxes on Vehicles	53913458
0042 : Taxes on Goods and Passengers	143401
0043 : Taxes and Duties on Electricity	178086
0045 : Other Taxes and Duties on Commodities and Serv	206092
0049 : Interest Receipts	1455507
0055 : Police	2531451
0056 : Jail	379613
0058 : Stationery and Printing	440198
0059 : Public Works	35493
0070 : Other Administrative Services	5496550
0071 : Contributions and Recoveries towards Pension and	309687688
0075 : Miscellaneous General Services	90
0202 : Education, Sports, Art and Culture	332400
0210 : Medical and Public Health	1065755
0215 : Water Supply and Sanitation	108953
0216 : Housing	977356
0235 : Social Security and Welfare	50552
0250 : Other Social Services	2375211

0401 : Crop Husbandry	950406
0403 : Animal Husbandry	22880
0405 : Fisheries	22815
0406 : Forestry and Wild Life	1301083
0425 : Cooperation	17850
0435 : Other Agricultural Programmes	1305421
0700 : Irrigation	158913
0701 : Medium Irrigation	189843
0702 : Minor Irrigation	1119701
0851 : Village and Small Industries	1655804
0853 : Non-ferrous Mining and Metallurgical Industries	569284
1475 : Other General Economic Services	47473

परिशिष्ट संख्या-31

(पेरा-3.9.10-i)

डी०डी०ओ० के भौतिक प्रमाणकों की नमूना जांच में दर्शित विसंगतिया

कोषालय बालाघाट

S.no.	Month/Year	MHCD	VOU NO	NET AMOUNT₹	Remarks/Objections
DDO Code 0101704001-Chief Medical & Health Officer					
01.	03/2023	2210	182	6000	Incorrect & Manual Sr.No. Invoice are attached where Invoice Sr.No.52 date 26.02.2023 Invoice Sr.No. 50 date 27.02.2023 Invoice Sr.No. 47 date 28.02.2023 Invoice Sr.No. 42 date 28.02.2023 (Invoices are not authorised.)
DDO Code 0102003001-District Education Officer, Balaghat					
02.	03/2023	2071	0695	10875	<u>Minimum Pension not paid i.e. pension of Rs. 4550 was paid while as per 7th CPC minimum pension payable is Rs. 7750.</u> Case is thoroughly to be rectify & arrears to be paid as per eligibility.
DDO Code 0100504001-District Excise Officer, Balaghat					
03.	03/2023	2039	6	3089	मध्य प्रदेश कोषालय संहिता 2020 भाग-2 के सहायक नियम 157 (1) अनुसार- “शासकीय कार्यालयों के लिये किराये पर लिए गये निजी भवनों का शासन द्वारा वहन किया जाने वाला किराया, विद्युत और उससे संबंधित अन्य प्रभार हेतु किये जाने वाले भुगतानों के संबंधित वास्तविक एजेंसियों/व्यक्तियों के बैंक खातों में ई-भुगतान का दायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।” प्रकरण में मध्यस्थ (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी) के व्यक्तिगत खाते में Paid by me आधार पर भुगतान किया जाना पाया गया है।

कोषालय राजगढ़

1. निम्न के कटोत्रे सा.भ.नि के स्थान पर वि.भ.नि के अन्तर्गत किय गये हैं—

Department	Employee Name	Month
District Excise Officer	Shri Mohan Singh Yadav, Head Constable	03/2023
	Shri Gaurishankar Vijay, Constable	

2. भौतिक प्रमाणकों के साथ संलग्न उपप्रमाणकों पर भुगतान एवं निरस्त की सील अंकित होना नहीं पाया गया। जिसके कारण उनके दोहरे उपयोग व भुगतान किया जाने की संभावना बनी रहती है।
3. शासकीय अंशदान भुगतान से संबंधित देयक भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं पाये गये।
4. प्रमाणक क्र 5 दिनांक 04.02.2023 राशि रु 2950 का भुगतान, शीर्ष "33.002—मशीन एवं उपकरण का अनुरक्षण" के स्थान पर शीर्ष "33.003—वाहन अनुरक्षण" से किया गया।

कोषालय भिण्ड

S.no.	Month-Year		MHCD	VOU NO	NET AMOUNT ₹	Objections
1	03 2023		2054	127	330816	Paid and cancelled remark not found on subvoucher
2	03 2023		2054	128	3400	Paid and cancelled remark not found on subvoucher
3	07 2022		2054	40	770455	Classification for GPF withdrawal wrongly classified as 8009-01-101-0121 instead of 8009-01-101-0001

कोषालय मुरैना

S.no.	Month/Year	MHCD	VOU NO/	NET AMOUN₹	Remarks/Objections
01.	03/2023	2225	35	12291	Original Invoice not attached. Payment has been made on photocopies of cash memo. Paid and cancelled remark not found
02.	03/2023	2225	38	494335	Payment made without muster roll or any attendance sheet.
03.	03/2023	2225	84	55688	Original Invoice not attached. Payment has been made on photocopies of cash memo. Paid and cancelled remark not found
04.	03/2022	2225	Bill no. 763	50000	Payment made to shree mahendra singh jaatav suptdt. On his personal account on mantainace work

कोषालय शिवपुरी

S.no.	DDO	Month-Year		MHCD	VOU NO	AMOUNT₹	Remarks/Objections
1	3900504001	07	2021	2039	1	117456	Physical Voucher Not Found in File
2	3901003002	03	2021	2406	147	39245	Tyre Tube buying sub vouchers (having payment of Rs. 37445 & 1800) not mention GST.
3	3901003002	03	2021	4406	32	94923	All Sub vouchers not passed & verified.
4	3901003002	03	2021	2406	148	31615	No. of beneficiary not mentioned in sanction & payment was made to 10 beneficiaries as enclosed while payment was authorized for 13 beneficiaries.
5	3901003002	03	2021	4406	237	864225	No. of beneficiary not mentioned in sanction & one labour out of 30 made payment of Rs. 175500/- from wages head while all other having 23750 (approx). case is to be scrutiny.

उपरोक्त विसंगतियों के अतिरिक्त अन्य विसंगतियां निम्नानुसार हैं:-

01. नियमानुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा भौतिक प्रमाणकों पर प्रमाणक क्रमांक व भुगतान लेखा माह/दिनांक अंकित नहीं पाये गये।
02. भौतिक प्रमाणकों के साथ संलग्न उपप्रमाणकों पर भुगतान एवं निरस्त की सील एवं बिल रिफरेंस क्रमांक अंकित होना नहीं पाया गया। जिसके कारण उनके दोहरे उपयोग व भुगतान किया जाने की संभावना बनी रहती है।
03. शासकीय अंषदान भुगतान से संबंधित देयक भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं पाये गये।
04. कुछ भौतिक प्रमाणकों में संलग्न उप प्रमाणक एवं स्वीकृतियां छायाप्रति/कार्बन कॉपी पाई गईं।

कोषालय बड़वानी

S. No.	DDO	Month-Year		MHCD	VOU NO	NET AMOUNT₹	Remarks/Objections
1	0200204004-Suptd. of Police, Barwani	03	2022	2059	12	162167	GST and A/C details not mentioned, Sanction & passed for payment not verified on Cash memo No. 185 dated 07.10.2021.
2	0201902001-EE pwd (B&R) Barwani	12	2022	2071	276	36892	Wrong MPTC form (FVC bill) used for gratuity payment. Classification not mentioned or Office order.
3	0202506084-BEO Barwani	06	2023	2225	82	62869	Income tax TDS @2% under IT Act 194C, not deducted from the paid amount. Sanctioned & passed for payment not verified on Cash memo.
4	0202506094-AC Tribal welfare Barwani	03	2023	2225	274	1494440	(a) Shri Bhilatdev Seva Samiti Naggalwadi bill amt. 720000:- cash memo no. bank account and GST details not mentioned. (b) Sarda Gole bill amt 255000:-cash memo no. and GST details not mentioned (c) Annaprerna Tiffin centre amt

							224000 Bill/invoice not proper, prepared or plain paper without any details. Amount split in 02 bills (Rs. 112000 each) for same material on same date. (d) Puja Caterer amt 270000:-GST and A/C details not mentioned. Sanctioned & passed for payment not verified on Cash memo no.102 dated 05.12.2022 by competent authority. Note : GST TDS not deducted from all the forms, however IT TDS deducted without details.
5	0201402001 Dy Director Agriculture Barwani	03	2022	2401	124	436909	Payment amount is more than sanction amount for M/s. Holland Agritech by Rs. 7227/-.
6	0202702015-EE NVDA E/M DN Barwani	12	2022	2071	304	936785	Wrong classification mentioned on office order i.e. 8011-00-107. Correct classification for leave encashment is 2071-01-115.
7	0203502001-Dy Director veterinary services Barwani	02	2022	2403	19	284995	Sanctioned & vouchers not attached.
8	0200402001-Dis. pension officer Barwani	10	2021	2071	277	1265880	Sanctioned & calculation sheet not attached.
9	0200402001-Dist pension officer Barwani	10	2021	2071	275	403200	Sanctioned & calculation sheet not attached.

कोषालय रायसेन

S. no.	DDO	Month-Year		MHCD	VOU NO	NET AMOUNT ₹	Remarks/Objections
1	DFO T Raisen	02 2023		4406	0202	168000	The payment of wages to the outsource computer operator has been made by capital expenditure head i.e 4406 instead of Revenue exp. Head 2406.
2	Asst.Excise Commissioner Raisen	02 2023		2039	0001	1200000	Sanction order not enclosed for the payment of refund of revenue.
3	Asst.Excise Commissioner Raisen	02 2023		2039	0007 0008	2643 4583	The payment has been received by the Excise officer/inspector of the said dept. and further paid to the concern vendor which is not in order. payment should be made directly to the vendor's account.
4	Asst.Excise Commissioner Raisen	02 2022		2039	0005	299000	(a) Classification, TDS deduction details not mentioned on Sanction order. Actual payment is differed to the sanctioned amount. (b) Cash memo/Invoice not attached. payment has been made to individual instead of farms/vendors. Note: GST tds not deducted from all the forms, however IT tds deducted without details.
5	Asst.Excise Commissioner Raisen	02 2022		2039	0008	209825	-----do-----

6	Asst.Excise Commissioner Raisen	02	2022	2039	0009	210000	(a) Classification, TDS deduction details not mentioned on Sanction order. Actual payment is differed to the sanctioned amount. (b) GST no. not mentioned on Cash memo/Invoice. payment has been made to individual instead of farms/vendors.
7	Asstt. RTO Raisen	09	2022	2041	Bill No-200013 618242	75000	IT TDS @ 2% has not been deducted from the vendors
8	Dist. Treasury Officer	02	2022	2054	Bill no-200011 748400	49857	IT TDS @ 2% has not been deducted from the vendors

कोषालय अलीराजपुर

S.no.	Month-Year	MHCD	VOU NO	NET AMOUNT ₹	Objections
1	03 2023	2210	03/03.23	32500/-	Seamless Pipe, Stand Mount Metallic & Air Conditioner Purchased from उद्देश्य शीर्ष 22-003 (कार्यालय फर्नीचर का क्रय) से किया गया है जबकि उक्त कार्य हेतु उद्देश्य शीर्ष 22-013 कार्यालय उपकरणों का क्रय निर्धारित है।

कोषालय जबलपुर

S. no.	Month/ Year	MHCD	VOU NO	NET AMOUNT₹	Objections	डी.डी.ओ. प्रतिउत्तर
1	2	3	4	5	6	7

DDO Code 1801704002-Superintendent Ranidurgawati Hospital, Jabalpur

01.	03/2023	2210	222	9276	Invoice is incorrect as incorrect GST rate @16% (in place of 18%) were calculated on wheel cylinder/office supplies.	फर्म द्वारा बिल पर 18% के स्थान पर त्रुटिवश 16% जी.एस.टी. लगाये जाने के संबंध में शेष 2% का समायोजन भविष्य में कर लिया जायेगा।
02.	03/2023	2210	21	35819	NPS government contribution schedule not attached.	शासकीय अंगदान शेड्यूल IFMIS में जनरेट की प्रक्रिया अपेक्षित है।
03.	03/2023	2210	19	264983	NPS government contribution schedule not attached.	

DDO Code 1800504008-Asst. Commissioner Excise, Jabalpur

04.	03/2023	2039	43	186744	No Number is mentioned on Sanction order, 2% IT TDS & 2% GST TDS not deducted.	
-----	---------	------	----	--------	--	--

						उपरोक्त विसंगतियों के संबंध में वरिष्ठ कोषालय अधिकारी द्वारा प्रतिउत्तर लेख किया गया है कि संबंधित डी.डी.ओ. को पत्र जारी किया जा रहा है एवं जानकारी प्राप्त होते ही अवगत कराया जायेगा।
05.	03/2023	2039	34	3338	Whole year's Income Tax was deducted in a single month of March. IT was not deducted every month.	
06.	03/2023	2039	35	781732	01. Whole year's Income Tax was deducted in a single month of March. IT was not deducted every month. 02. DPF contributions in place of GPF of total 09 Head Constable are unauthorizedly being deducted & kept by Department in place of AGMP. Names are:- Shri Anil Kumar Jhariya, Shri Suresh Kumar Gautam, Shri Shiv Shankar Tiwari, Shri Kush Pratap Singh Mishra, Shri Nek Lal Bagri, Shri Rajesh Kumar Gurg, Shri Ramesh Kumar Kushram, Shri Narendra Singh Uikey & Shri Ravindra Kumar Kurel.	
07.	03/2023	2039	33	469306	2% GST-TDS was not deducted.	
08.	03/2023	2039	17	261352	Whole year's Income Tax was deducted in a single month of March. IT was not deducted every month.	
09.	03/2023	2039	12	6349	No Number is mentioned on Sanction order.	
10.	03/2023	2039	4	499800	2% GST-TDS not deducted.	
11.	03/2023	2039	2	18040	Office Dress Expenditure was made out from incorrect head	

					of accounts i.e. in Object Head 11-008 in place of 22-006.
<u>DDO Code 1803602005-Assistant Director, Matsyodog, Jabalpur</u>					
12.	03/2023	2405	6	114841	<p>01.Income Tax of Shri Chturbhuj Rahis Kabir, ADF & Shri Gyan Shankar Dubey AFO was wrongly deducted. Interest income on FD was wrongly shown under deductions by Rs. 30,000 & 50,000 respectively <u>while the same was not added in Pay.</u> Subsequently income tax was less deducted by Rs. 16,000/- (Rs. 6,000 & 10,000 respectively).</p> <p>02.Regular Income Tax is not being deducted from salary.</p>
13.	03/2023	2405	12	6,000	Monthly Payments to Sweeper is not in consonance with the Finance Department circular no. F 11-2/2022/Rule/4, dated 06.05.2022.
14.	03/2023	2405	11	2609	Invoice (Electricity Bills) not attached.
16.	03/2023	2405	22	7000	Arbitrary Payment of Wages of Rs. 7,000 for 15 days (from 15.12.2022 to 30.12.2022) was made to an individual which is not in accordance with Labour Rate fixed by Commissioner Labour, Collector & Finance Department, GoMP.

कोषालय रीवा

S.no.	DDO	Month-Year		MHCD	VOU NO	AMOUNT ₹	Remarks/Objections
1	3200704011	03	2023	2053	173	24092	भुगतान सम्बंधित मद में से न किया जाकर अन्य मद से किया गया जोकि वित्तीय नियमों के अनुरूप नहीं है भुगतान पेट्रोल तेल आदि से

							सम्बंधित है अतः उपरोक्त भुगतान 22-009 से विकलनीय किया जाना चाहिए।
2	3200704011	03	2023	2053	179	23850	भुगतान सम्बंधित मद में से न किया जाकर अन्य मद से किया गया जोकि वित्तीय नियमों के अनुरूप नहीं है भुगतान पेट्रोल तेल आदि से सम्बंधित है अतः उपरोक्त भुगतान 22-009 से विकलनीय किया जाना चाहिए।
3	3200704011	03	2023	2053	180	26696	भुगतान सम्बंधित मद में से न किया जाकर अन्य मद से किया गया जोकि वित्तीय नियमों के अनुरूप नहीं है भुगतान पेट्रोल तेल आदि से सम्बंधित है अतः उपरोक्त भुगतान 22-009 से विकलनीय किया जाना चाहिए।
4	3200704011	03	2023	2053	175	15810	भुगतान पेट्रोल तेल आदि से सम्बंधित है एवं 22-009 से विकलनीय किया गया है अतः स.क्र. 1 2 3 के प्रमाणकों को भी इसी मद से भुगतान किया जाना था।
5	3201704010	03	2023	2210	365	906784	उपरोक्त भुगतान में समलित उप प्रमाणक राशि रु 473252 में माह जुलाई 2017 के पूर्व में लागू TIN no का प्रयोग किया गया है जिसे वर्तमान में GSTIN no द्वारा स्थानान्तरित किया जा चूका है एवं सम्बंधित वेंडर द्वारा दो अलग अलग बिल का प्रयोग किया जा रहा जो कि वित्तीय नियमों के अनुरूप नहीं है।

				2210			उपरोक्त भुगतान में IfEefyr उप प्रमाणक राशि ₹ 473252 में माह जुलाई 2017 के पूर्व में लागू TIN no का प्रयोग किया गया है जिसे वर्तमान में GSTIN no द्वारा स्थानान्तरित किया जा चूका है एवं सम्बंधित वेंडर द्वारा दो अलग अलग बिल का प्रयोग किया जा रहा जो कि वित्तीय नियमों के अनुरूप नहीं है।
6	3201704010	03	2023	366	1009733		

टीप:- उपरोक्त विसंगतियों के अतिरिक्त कार्यालय CIVIL SIR, CUM CHIEF HOS, SUP, REWA and TEHSILDAR, SEMARIYA, REWA (म.प्र.) के भौतिक प्रमाणकों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के परिशिष्ट 3 के बिन्दु 11 का अनुपालन न होते हुए लगभग सभी मूल उप-प्रमाणकों पर “भुगतान और निरस्त” अंकित किया जाना नहीं पाया गया है। जिससे उनके दोहरे उपयोग किये जाने की संभावना है।

कोषालय इंदौर

S.no.	Month/ Year	MHCD	VOU NO	NET AMOUNT₹	Remarks/Objections
1703005001-Archeologist archaeology and museum, Indore					
01.	11/2023	8443	6	2,00,000	<p>असफल भुगतान के पुनर्भुगतान पर 8443-101 से राशि 2,00,000/- का आहरण किया गया है, किन्तु असफल भुगतान राशि शीर्ष 8443-101 में जमा किये जाने का चालान उक्त रिफण्ड प्रमाणक के साथ संलग्न नहीं पाया गया एवं न ही अक्टूबर एवं नवम्बर 2023 के Subsidiary Register अनुसार शीर्ष 8443-101 में उक्त राशि जमा की कोई प्रविष्टि पाई गई है।</p> <p>जबकि मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 326 (1) अनुसार— “वैध प्राधिकार प्रस्तुत करने पर पात्र व्यक्ति को, जिस विभागीय अधिकारी द्वारा शासकीय लेखा में जमा की गई है अथवा जिस प्राधिकारी के पक्ष में कोषालय में राशि जमा की गई थी, वापसी हेतु अनुरोध किया जाता है, तो विभागीय अधिकारी को चाहिए कि वह कोषालय से अपनी पावती पर राशि का आहरण करे तथा संबंधित आदाता को भुगतान करे। यदि विभागीय अधिकारी द्वारा आहरित कर भुगतान की जायेगी जिसके द्वारा विभागीय अधिकारी के अन्य व्ययों का आहरण किया जाता है। कोषालय अधिकारी विभागीय अधिकारी को भुगतान करने के पूर्व सहायक नियम 326 (2) में उल्लिखित विधि अनुसार जमा की उपलब्धता की जांच करेगा।</p> <p>अतः असफल भुगतान के एवज में बिना</p>

					चालान जमा की प्रारंभिक जांच किये शीर्ष 8443-101 से अनाधिकृत आहरण किया जाना दर्शित हो रहा है।
02.	11/2023	2205	52	4,43,710	सेवानिवृत्ति उपादान की राशि का भुगतान संबंधित मुख्य शीर्ष 2071 के स्थान पर विभागीय शीर्ष 2205 से किया गया है। जो कि त्रुटिपूर्ण है।
03.	11/2023	2205	2	1,37,604	<p>विलम्ब से विद्युत बिल भुगतान किये जाने के कारण कुल राशि 1699/- (235+1464) का विलम्ब अधिभार शासकीय धन से भुगतान करना पड़ा जबकि नियमानुसार मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खण्ड-1 के चैप्टर-2 अनुभाग-2 के नियम 15 अनुसार—“It is an important financial principle that money indisputably payable should not, as far as possible, be left unpaid and that money paid should under no circumstances be kept out of accounts a day longer than is absolutely necessary even through the payment is not covered by proper sanction. It is no economy to postpone inevitable payments even for the purpose of avoiding an excess over a grant or appropriation and it is very important to ascertain, liquidate and record the payment of all actual obligations at the earliest possible date. It must be borne in mind that if an inevitable payment is required to be made in the absence of funds the error lies not so much in the payment as in the entering into of the relevant liability.”</p> <p>अतः शासकीय देयताओं का सामयिक भुगतान न किये जाने के कारण शासन को कुल 1,699/- के अनावश्यक अधिभार का वहन करना पड़ा जो कि वित्तीय अनियमितता का उदाहरण परीक्षित करता है।</p>

DDO Code 1702506002-Tribal Welfare, Indore

04.	11/2023	2225	65	75417	01. उप प्रमाणक (कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी की प्रति) संलग्न नहीं पाई गई। 02. भौतिक प्रमाणकों पर प्रमाणक क्रमांक व दिनांक अंकित नहीं पाई गई। 03. स्वीकृति आदेश की प्रति किसी भी प्राधिकारी व महालेखाकार कार्यालय को पृष्ठांकित नहीं की गई जबकि मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खण्ड-1 के चैप्टर-4, अनुभाग-3 के नियम 20 (i) अनुसार “All financial sanctions and orders issued by a department within its own financial powers as a department of the State Government will be communicated direct to the accountant General by the department concerned. All other orders involving financial sanctions consultation with the Finance Department, i.e. sanction beyond their financial powers,
05.	11/2023	2225	77	130833	
06.	11/2023	2225	67	22500	
07.	11/2023	2225	68	129334	
08.	11/2023	2225	63	130833	
09.	11/2023	2225	69	163582	
10.	11/2023	2225	64	160928	
11.	11/2023	2225	66	130000	

					will be communicated to the Accountant General through the Finance Department. (ii) Sanctions and orders of any other authority to which the power of sanction has been delegated will be communicated to the Accountant General by the authority.”
					But <u>No Sanction order</u> is being endorsed to O/o A.G.M.P. & any other authority as mandatory under prevailed rule position.
12.	11/2023	2202	429	24803	माह नवम्बर 2023 माह के मानदेय की स्वीकृति माह पूर्ण होने से पूर्व ही दि 0 29.11.2023 को स्वीकृति आदेश पारित होना पाया गया।
13.	11/2023	2225	79	11,000	<p>दो अवमानना के न्यायिक प्रकरणों में अधिवक्ता फीस के रूप में अधिकता को 11,000/- फीस का भुगतान किया जाना पाया गया जबकि राज्य शासन के निर्देशानुसार न्यायालय की अवमानना के प्रकरणों में शासकीय अधिकारी/कर्मचारी की ओर से प्रतिरक्षण की कार्यवाही विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा म.प्र. उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के लिए बनाये गये अनुसूचित पैनल के अधिवक्ता से ही कराई जावे। तथा विवि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा बनाये गये पैनल के अधिवक्ताओं को शासकीय अधिकारी/कर्मचारी की ओर से प्रतिरक्षण के लिए फीस प्रति प्रकरण रूपये 2000/- के अतिरिक्त अन्य व्यय के रूप में 250/- की दर से देय होगा।</p> <p>अतः फलस्वरूप राष्ट्रि $5500 \times 2 - 2250 \times 2 = 6500/-$ का अधिक भुगतान अधिवक्ता को किया जाना परीलक्षित हो रहा है।</p>
14.	11/2023	2202	427	15000000	<p>01. कार्यालय द्वारा कुल राशि 15000000/- का भुगतान संस्थान (डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान) के खाते में जमा किया गया।</p> <p>02. उक्त भुगतान किस हेतु किया गया है का कोई विवरण स्वीकृति आदेश में लेख नहीं किया गया है।</p> <p>राशि 1.5 करोड़ का व्यय किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी की वित्तीय स्वीकृति आदेश की प्रति अवलोकित नहीं हुई है।</p>
15.	11/2023	2225	25	25,00,000	राशि 25 लाख का व्यय किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी की वित्तीय स्वीकृति संलग्न नहीं पाई गई जो कार्यालय आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास म.प्र. भोपाल के पत्र दि 0 25.09.2023 के पैरा 02 के अनुरूप परीलक्षित नहीं होता है।
16.	11/2023	22225	71	4,60,059	<p>विलम्ब से विद्युत बिल भुगतान किये जाने के कारण कुल राष्ट्रि 5679/- ($352+351+260+259+637+3059+761$) का विलम्ब अधिभार शासकीय धन से भुगतान करना पड़ा जबकि नियमानुसार</p> <p>मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खण्ड-1 के चैप्टर-2, अनुभाग-2 के नियम 15 अनुसार—“It is an important financial principle that money indisputably payable should not, as far as possible, be left unpaid and that money paid should under no</p>

					circumstances be kept out of accounts a day longer than is absolutely necessary even through the payment is not covered by proper sanction. It is no economy to postpone inevitable payments even for the purpose of avoiding an excess over a grant or appropriation and it is very important to ascertain, liquidate and record the payment of all actual obligations at the earliest possible date. It must be borne in mind that if an inevitable payment is required to be made in the absence of funds the error lies not so much in the payment as in the entering into of the relevant liability.” अतः शासकीय देयताओं का सामयिक भुगतान न किये जाने के कारण शासन को कुल 5679/- के अनावश्यक अधिभार का वहन करना पड़ जो कि वित्तीय अनियमितता का उदाहरण प्रस्तुत करता है।
--	--	--	--	--	---

1705302007-Dean M.G.M. Medical College, Indore

17.	11/2023	2210	351	2287497	एन.पी.एस. कर्मचारी एवं शासकीय अंशदान, जी.पी.एफ., डी.पी.एफ. एवं अन्य कटौत्रों की राष्ट्रियां शासकीय शीर्ष 2210 से आहरित की जाकर MGM Medical College के बैंक खाते में जमा किया जाना पाया गया, किन्तु इस बावत शासन के कोई भी निर्देश उपलब्ध नहीं कराये गये। साथ ही उक्त राष्ट्रियां चालान के माध्यम से संबंधित शीर्षों में जमा किये जाने से संबंधित प्रपत्र/चालान उपलब्ध नहीं कराये गये।
18.	11/2023	2210	114	3680520	कुल 893 कर्मचारियों (NPS कर्मचारी/अधिकारी शामिल) को भुगतान डी.ए. एरियर्स की राशि 3680520/- में से संबंधितों का 10 प्रतिशत एन.पी.एस. कर्मचारी अंशदान लगभग 3,68,052/- का कटौत्रा नहीं किया गया व पूर्ण/सकल एरियर राशि का भुगतान (बिना कटौत्रा) कर्मचारियों को कर दिया गया है। साथ ही उक्त कारणवश 14 प्रतिशत शासकीय अंशदान राशि लगभग 7,85,500/- का आहरण शासकीय मद से नहीं किया जा सका व संबंधितों के NPS खाते में जमा नहीं किया जा सका। अतः डी.ए. एरियर्स की राशि में से बिना कटौत्रे सकल राशि का भुगतान कर्मचारियों को किया जाना व शासनकीय अंशदान भी कर्मचारियों के NPS खाते में जमा न किया जाना आपत्तिजनक है।

उपरोक्त के अतिरिक्त डी.डी.ओ.-1705302007—महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के नमूना चयनित प्रमाणकों की जांच दौरान पाया गया कि उक्त कार्यालय में निम्न कर्मचारी को वेतनमान दिये जाने दौरान त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण किया जाना पाया गया है:-

क्रं.	कर्मचारी का नाम	समयमान से पूर्व का मूल वेतन (लेबल / ग्रेड पे)	समयमान देय दिनांक एवं ग्राह्य लेबल / ग्रेड पे	समयमान पश्चात् कोषालय द्वारा निर्धारित आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि व मूल वेतन (जो त्रुटिपूर्ण है)	सही आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि व मूल वेतन (जो निर्धारित होना चाहिए थी)		
1	2	3	4	5	6		
01.	सुश्री वीना चौहान, स्टॉफ नर्स	50,200 (लेबल-9) (3,600 ग्रेड पे)	15.03.2019 (लेबल-10) (4,200 ग्रेड पे)	15.03.2019	50200	15.03.2019	52500
				01.07.2019	54100	01.01.2020	54100
				01.07.2020	55700	01.01.2021	55700
				01.07.2021	57400	01.01.2022	57400
				01.07.2022	59100	01.01.2023	59100
				01.07.2023	60900	Next Increment on 01.01.2024	60900

कोषालय धार

S.no.	DDO	Month-Year	MHCD	AMOUNT₹	Remarks/Objections
1	1100204002	10 2023	2055	1,95,994	असफलीय चालान के भुगतान हेतु शीर्ष 8443-101-119 के स्थान पर 8443-102 से विकलनीय हेतु स्वीकृति आदेश त्रुटिपूर्ण जारी किया गया अपितु भुगतान 8443-101 से ही किया गया किन्तु संशोधित स्वीकृति आदेश जारी किया जाना नहीं पाया गया।
1	1100204002	10 2023	2055	1,54,73,362	श्री भगवान सिंह सिसौदिया, (ASI) के कटौती सा.भ.नि. के स्थान पर वि.भ.नि. में किये जा रहे हैं।
2	1100204002	10 2023	2055	1,39,629	73950 की राशि भुगतान सही शीर्ष 33-002 (मशीन एवं उपकरण के अनुरक्षण एवं मरम्मत पर होने वाले व्यय) के स्थान पर 34-006 से किया गया।
3	1100204002	10 2023	2055	84035	राशि का भुगतान सही शीर्ष 22-007 / 22-012 (लेखन सामग्री एवं फार्म/मुद्रण एवं प्रकाशन) के स्थान पर 34-006 से किया गया।
4	1100204002	10 2023	2055	206486	राशि का भुगतान सही शीर्ष 22-007 / 22-012 (लेखन सामग्री एवं फार्म/मुद्रण एवं प्रकाशन) के स्थान पर 34-006 से किया गया।

टीप:- उपरोक्त विसंगतियों के अतिरिक्त कार्यालय पुलिस अधीक्षक, धार (म.प्र.) के भौतिक प्रमाणकों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि किसी भी भौतिक प्रमाणक पर प्रमाणक संख्या दर्ज नहीं थी।

कोषालय विन्ध्याचल भवन

S.no.	Month/Year	Mhcd	Vou no	Net Amount ₹	Remarks/Objections
<u>DD O Code 0511 603002 - Insurance medical Officer, ESI Services, I/C Center, vindhyachal</u>					
01.	03/2023	2210	0035	537679.00	Cash memo/tax invoice is not attached and Income tax TDS NOT DEDUCTED
02	03/2023	2210	0069	119859	Cash memo/tax invoice is not attached and Income tax TDS NOT DEDUCTED.
03	03/2023	2210	0046	2027797	Cash memo/tax invoice is not attached and Income tax TDS NOT DEDUCTED.
04	03/2023	2210	0036	131490	Cash memo/tax invoice is not attached and Income tax TDS NOT DEDUCTED.
05	03/2023	2210	0070	635823	Cash memo/tax invoice is not attached and Income tax TDS NOT DEDUCTED.
06	03/2023	2210	0047	80652	Cash memo/tax invoice is not attached and Income tax TDS NOT DEDUCTED.
07	03/2023	2210	0038	101606	Income tax TDS NOT DEDUCTED.
08	03/2023	2210	0072	871895	Income tax TDS NOT DEDUCTED
09	03/2023	2210	0062	1247023	Income tax TDS NOT DEDUCTED
10	03/2023	2210	0073	1590671	Income tax TDS NOT DEDUCTED
11	03/2023	2210	0063	197005	Income tax TDS NOT DEDUCTED
<u>DDO Code 0511202002-Director Geology minining Bhopal</u>					
12.	03/2023	2853	52	1408	Paid by me by sh.kishori lal
13.	03/2023	2853	50	233604	IT TDS not deducted.
14.	03/2023	2853	48	169920	IT TDS not deducted.
15.	03/2023	2853	41	1408	Paid by me by sh. Ashok kumar yadav.
16.	03/2023	2853	39	138060	IT TDS not deducted
17.	03/2023	2853	28	5110	Paid by me by sh. Ashok kumar yadav.
18.	03/2023	2853	30	3920	Paid by me by sh. Ashok kumar yadav
19.	03/2023	2853	13	5175	Paid by me by sh. Dhanraj katolkar.

कोषालय छिन्दवाड़ा

DDO- 0701704001 CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER CWA

S.no .	V.no/Mon th	MHC D	Amount₹	Remark
1	37/ 03.23	2210	49920	स्वीकृति आदेश के अनुसार गणतंत्र दिवस पर झाकी निर्माण व्यवस्था के लिए विभिन्न साइज के फ्लैक्स, स्लोगन बैनर इत्यादि पर पूर्ण राशि ₹ 49920 का आहरण वर्गीकरण 019-2210-01-001-0101-2283-35 द्वारा किया गया है जबकि विस्तृत शीर्ष 35 विज्ञापन एवं प्रचार हेतु अभिप्रेत है अतः योजना शीर्ष 2283-निदेशन और प्रशासन के अन्तर्गत बजट प्रावधान के विपरीत आहरण किया गया है।
2	52/03.23	2210	7850	स्वीकृति आदेश के अनुसार श्री लेखराम साइलवार, सहायक ग्रेड 3 को लीगल प्रकरण में जबलपुर हाई कोर्ट में जवाब दावा प्रस्तुत किये जाने हेतु फोटोकापी एवं नोटरी पर राशि ₹ 7850 का आहरण वर्गीकरण 019-2210-03-103-0101-2777-31-010 से किया गया है जबकि बजट प्रावधान के अनुसार योजना शीर्ष 2777 में बजट आवंटन स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन हेतु किया गया है। साथ हीं विस्तृत शीर्ष 31-010 ऐसी सेवाओं के लिए अभिप्रेत है जो अन्य सभी विस्तृत शीर्षों के अन्तर्गत परिभाषित नहीं की गई हैं। साथ हीं उपरोक्त भुगतान Paid by Me के आधार पर विभागीय कर्मचारी को किया गया है।

DDO- 0702506001 Asstt. Comm. Aadiwashi Vikash CWA

S.no .	V.no/Mon th	MHC D	Amoun t	Remark
1	23/ 02.23	2225	128388	स्वीकृति आदेश में मजदुरी ₹ 2500 प्रतिमाह उल्लेखित है एवं केवल दिसंबर 2022 एक माह के भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है जबकि 07 लाभार्थीयों को राशि ₹ 2500 से अधिक भुगतान होना पाया गया है।
2	37/02.23	2225	24350	स्वीकृति आदेश के साथ भुगतान संबंधि गणना पत्रक संलग्न नहीं पाया गया है तथा साथ हीं देय मजदुरी दर से संबंधित कोई आदेश संलग्न नहीं है।
3	36/02.23	2225	19448	पूर्ण राशि ₹ 19448 का भुगतान सीधे तौर पर श्री चित्रगुप्त सीसेदिया, सहा, ग्रेड 3 को Paid By Me आधार पर किया गया है जबकि उपरोक्त भुगतान (Relltel corporation of India LTD) को किया जा सकता था।
4	143/02.23	2225	43100	ठेकेदार हरिश तिवारी को राशि ₹ 16800 एवं 19000 का भुगतान एक हीं दिनांक 09.12.2022 के इनवाइस कमांक 594, 595 के विरुद्ध किया गया है जिससे कि Split Of bills की वित्तीय अनियमितता दर्शित हो रही है साथ हीं उपरोक्त इनवाइस को paid and cancelled भी नहीं किया गया है।
5	90/03.23	2225	41880	प्रमाणक में गुंजन स्टेशनरी छिन्दवाडा को स्टेशनरी क्य की राशि का भुगतान वर्गीकरण 33-2225-02-800-0102-5211-34-009 के द्वारा किया गया है। जबकि बजट में योजना शीर्ष 5211 का आई.टी.डी.पी / माडा पाकेट / क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु प्रावधान किया गया है। तथा डिटेल हेड 34-009 ऐसे व्ययों के लिए उपयोग किया जाता है जो अन्य सभी विस्तृत शीर्षों के अन्तर्गत परिभाषित नहीं किये गये हो।

6	88/03.23	2225	126524	उक्त प्रमाणक में व्यायाम शिक्षक श्री जितेन्द्र मिश्रा को पूर्ण राशि ₹ 126524 का भुगतान सीधे तौर पर paid by me के आधार पर किया गया है जबकि अधिकांश भुगतान संबंधित फर्मों को भी किया जा सकता था।
7	89/03.23	2225	19765	उक्त प्रमाणक में राशि ₹ 19765 के इनवाइस को paid and cancelled नहीं किया गया है।
8	82/03.23	2225	85934	श्री रजनीश गोहाडे को paid by me के आधार पर राशि ₹ 25954 को भुगतान किया गया जबकि अधिकांश भुगतान संबंधित फर्म को किया जा सकता था।
9	170/03.23	2225	530119	मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खण्ड-1 के चैप्टर-2, अनुभाग-2 के नियम 15 अनुसार—“It is an important financial principle that money indisputably payable should not, as far as possible, be left unpaid and that money paid should under no circumstances be kept out of accounts a day longer than is absolutely necessary even through the payment is not covered by proper sanction. It is no economy to postpone inevitable payments even for the purpose of avoiding an excess over a grant or appropriation and it is very important to ascertain, liquidate and record the payment of all actual obligations at the earliest possible date. It must be borne in mind that if an inevitable payment is required to be made in the absence of funds the error lies not so much in the payment as in the entering into of the relevant liability.” विभिन्न बिजली बिलों का विलम्ब से भुगतान किये जाने के कारण राशि ₹ 3640 का अतिरिक्त वित्तीय प्रभार शासन पर भारित हुआ जोकि वित्तीय मितव्ययता के नियम का उल्लंघन है।

कोषालय खरगौन

S.No.	DDO	Month-Year	MHCD	Vou. No.	AMOUNT (₹)	Remarks/Objections
1	2200504002	02/2023	2039	10	1850	Paid by me द्वारा भुगतान किया गया इसके साथ ही संलग्न उपप्रमाणकों पर बिल रिफरेंस क्रमांक अंकित होना नहीं पाया गया।
2		02/2023	2039	13	6300	Paid by me द्वारा भुगतान किया गया इसके साथ ही संलग्न उपप्रमाणकों पर बिल रिफरेंस क्रमांक अंकित होना नहीं पाया गया।
3		03/2023	2039	14	5000	पोस्ट टिकट खरीद का भुगतान शीर्ष 22-001 के स्थान पर 51 से किया गया।
4		03/2023	2039	15	2000	Paid by me द्वारा भुगतान किया गया इसके साथ ही संलग्न उपप्रमाणकों पर बिल रिफरेंस क्रमांक अंकित होना नहीं पाया गया।
5		03/2023	2039	19	1000	Paid by me द्वारा भुगतान किया गया इसके साथ ही संलग्न उपप्रमाणकों पर बिल रिफरेंस क्रमांक अंकित होना नहीं पाया गया।
6		07/2023	2039	15	2271	Paid by me द्वारा भुगतान किया गया इसके साथ ही संलग्न उपप्रमाणकों पर बिल रिफरेंस

						कमांक अंकित होना नहीं पाया गया।
7		06/2023	8009	91	134900	DPF का भुगतान GPF के शीर्ष से होना पाया गया।
8	2201003001	12/2023	2216	4	363319	प्रमाणक के साथ संलग्न उपप्रमाणकों में से राशि ₹10040/- के उपप्रमाणक की छायाप्रति संलग्न पायी गयी।

उपरोक्त विसंगतियों के अतिरिक्त अन्य विसंगतियां निम्नानुसार थी :-

05. नियमानुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा भौतिक प्रमाणकों पर प्रमाणक कमांक व भुगतान लेखा माह / दिनांक अंकित नहीं पाये गये।
06. भौतिक प्रमाणकों के साथ संलग्न उपप्रमाणकों पर भुगतान एवं निरस्त की सील एवं बिल रिफरेंस कमांक अंकित होना नहीं पाया गया, जिसके कारण उनके दोहरे उपयोग व भुगतान किये जाने की संभावना बनी रहती है।
07. शासकीय अंशदान भुगतान से संबंधित देयक भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं पाये गये।

कोषालय ग्वालियर

S.no.	Month-Year		MHCD	VOU NO	NET AMOUNT ₹	Objections
1	11	2023	2202	236	508100	Classification mismatch in the sanction order and Voucher.
2	11	2023	2225	42	226230	Payment of different types of Goods (i.e. Stationery items, furniture, IT goods & services, Rent etc.) of Rs. 226230 was wrongly debited to Obj. Head 22-008 (Other Contingent Expenditure) in place of respective object head.
3	11	2023	2225	41	65579	Payment of different types of Goods (i.e. Stationery items, Consumables, Banner Printing, IT goods & services, Rent, labour charges etc.) of Rs. 65579 was wrongly debited to Obj. Head 22-008 (Other Contingent Expenditure) in place of respective object head.
4	11	2023	2202	124	337105	Payment of Honorarium of Rs. 337105 was wrongly debited to Obj. Head 51-000 in place of Object head 11.
5	12	2023	2054	71	2830	Payment of IT items of Rs. 1650 & Stationary Items of Rs. 190 were wrongly debited to Obj. Head 22-008 in place of respective Heads.
6	01	2024	2054	02	26700	Payment of IT items of Rs. 300 was wrongly debited to Obj. Head 22-007 in place of respective Head.
7	01	2024	2054	26	1450	Payment of IT items of Rs. 1450 was wrongly debited to Obj. Head 22-007 in place of respective Head.

नोट:- नमूना जांच किये गये माह 12/2023 एवं 01/2024 के IT संबंधित देयकों का भुगतान विभिन्न Object Head से किया जाना पाया गया है (जैसे Object Head 27-003 से एवं Object Head 22-008)।

परिशिष्ट संख्या—32

(पैरा—3.9.10—ii)

कोषालयीन भौतिक प्रमाणकों की नमूना जांच में दर्शित विसंगतियां

कोषालय बालाघाट

S.no.	Month-Year		MHCD	VOU NO	NET AMOUNT ₹	Objections
1	03 2023		2071	666	9928	Provisional pension is not yet revised & minimum pension is not being paid (7750+38% DR) as per 7 th CPC.
2	03 2022		2071	43	9928	Provisional pension is not yet revised & minimum pension is not being paid (7750+38% DR) as per 7 th CPC.

कोषालय मुरैना

S.no.	Month-Year		MHCD	VOU NO	NET AMOUNT ₹	Objections
1	06 2022		2054	15	5910	1026-12 यह मद मजदूरी से सवाधित है। मजदूरी का भुगतान मद 1026-22-008 जो कि अन्य आकर्षिक व्यय हेतु है से किया जा रहा है। उपरोक्त दोनों मदों से साफ सफाई कार्य के हेतु भुगतान किया गया है। जबकि साफ सफाई कार्य की व्यवस्था हेतु वजट में 1026-31-006 में प्रावधान किया गया है।

कोषालय शिवपुरी

S.NO.	DDO	MONTH	YEAR	VOU NO	AMOUNT ₹	Remarks/Objections
1	3900405001	8	2021	11	4856	Sanction not attached with vouchers for Jio Fiber Payment for Home Paid & cancelled not found on sub vouchers
2	3900405001	8	2021	8	1898	Sanction not attached with vouchers & cancelled not found on sub vouchers
3	3900405001	8	2021	9	1180	Sanction not attached Paid & cancelled not found on sub vouchers
4	3900405001	8	2021	7	490	Sanction not attached Paid & cancelled not found on sub vouchers
5	3900405001	8	2021	6	720	Sanction not attached Paid & cancelled not found on sub vouchers

6	3900405001	8	2021	4	7839	Sanction not attached Paid & cancelled not found on sub vouchers
7	3900405001	8	2021	2	5000	Sanction not attached, Purpose of payment is not mentioned Paid & cancelled not found on sub vouchers
8	3900405001	7	2021	3	3000	Sanction & Sub vouchers not attached
9	3900405001	7	2021	10	22361	Sanction not attached
10	3900405001	7	2021	9	1868	Sanction not attached, paid & cancel not found
11	3900405001	7	2021	1	5450	Santion not attached, paid & cancel not found, Payment of Rs. 2,067/- made inspite of no due/Minus due of Picchore sub-treasury
12	3900405001	7	2021	8	64980	Purchasing sanction not attached
13	3900405001	6	2021	6	3000	Sanction & Sub vouchers not attached
14	3900405001	6	2021	2	860	Sanction not attached
15	3900405001	6	2021	1	1818	Sanction & Paid by me & claim certificate not found
16	3900405001	6	2021	31	500752	Service calculation sheet for allocation of figures mp, chhattisgarh & consolidated MP not attached
17	3900405001	6	2021	10	3301	Sanction not attached
18	3900405001	6	2021	11	3969	Sanction not attached
19	3900405001	6	2021	7	37554	Sanction not attached
20	3900405001	3	2021	22, 27	21359	PAYMENT WAS MADE EXCESS OF LIMIT FOR BUYING OF SENITIZERS & COVID PRECUTIONS

वर्तमान कोषालय निरीक्षण अवधि 09 / 2021 से 05 / 2023 की नमूना जांच के दौरान चयनित माह 03 / 2023 के आहरण अधिकारी जिला कोषालय शिवपुरी के भौतिक प्रमाणकों की जांच में निम्न विसंगतियां पायी गई है :-

S.NO.	DDO	MONTH	YEAR	VOU_NO	AMOUNT₹	Remarks/Objections
1	3900405001	03	2023	1	13303	Sanction not attached, sub voucher having amount of Rs. 14,160/- and payment has been made of Rs. 13,303/ only.
2	3900405001	03	2023	2	43999	MPTC Voucher not attached and only pay details are available.
3	3900405001	03	2023	3	357620	MPTC Voucher not attached only pay details are available.
4	3900405001	03	2023	4	225796	MPTC Voucher not attached only pay details are available.
5	3900405001	03	2023	5	6000	Sanction not attached, MPTC subsidiary rule 156 has not been followed.
6	3900405001	03	2023	6	7484	Sanction not attached
7	3900405001	03	2023	7	3751	Sanction not attached
8	3900405001	03	2023	8	1300	Sanction not attached
9	3900405001	03	2023	9	3000	Sanction not attached, MPTC subsidiary rule 156 has not been followed.
10	3900405001	03	2023	10	1100	Sanction not attached
11	3900405001	03	2023	11	7434	Sanction not attached and sub vouchers are not marked as paid and cancelled
12	3900405001	03	2023	12	2925	Sub vouchers not attached. Excess payment of Rs. 2700/- has been made as per record available in file.
13	3900405001	03	2023	13	26910	MPTC Voucher not attached only pay details are available.
14	3900405001	03	2023	14	7502	Sanction not attached and sub vouchers are not marked as paid and cancelled
15	3900405001	03	2023	15	19400	Sanction not attached and sub vouchers are not marked as paid and cancelled
16	3900405001	03	2023	16	29862	MPTC Voucher not attached only pay details are available.
17	3900405001	03	2023	17	1960	Sanction not attached, Sub vouchers not attached, Personal claim has not available in the file,

साथ ही पाया गया कि कोषालय द्वारा भौतिक प्रमाणकों के साथ स्वीकृतियां संलग्न न किया जाना, Beneficiary से बिना कार्य/भुगतान का क्लेम आवेदन लिये (सब व्हाउचर्स के) भुगतान किया जाना, पाया गया है।

कोषालय उमरिया

S.N.	Month-Year		MHCD	VOU NO	NET AMOUNT	Objection
1	02	2023	2054	04/23.02.23	3140/-	Motor Binding का कार्य उद्देश्य शीर्ष 31-006 (सफाई व्यवस्था संधारण व्यय) से किया गया है जबकि उक्त कार्य हेतु उद्देश्य शीर्ष 22-008 निर्धारित है।
2	01	2023	2054	001/06.01.23	16050/-	Awadesh Awasthi CA को कर सलाहकार का भुगतान उद्देश्य शीर्ष 31-006 (सफाई व्यवस्था संधारण व्यय) से किया गया है जबकि उक्त भुगतान हेतु उद्देश्य शीर्ष 31-002 निर्धारित है।
3	05	2022	2054	01/24.05.22	8284/-	विद्युत वितरण का भुगतान उद्देश्य शीर्ष 22-008 (अन्य आकस्मिक व्यय) से किया गया है जबकि उक्त कार्य हेतु उद्देश्य शीर्ष 22-005 (बिजली एवं अन्य प्रभार) निर्धारित है।

कोषालय जबलपुर

S.no.	Month-Year		MHCD	VOU NO	NET AMOUNT₹	Objections
1	03	2023	2054	16	605739	Lumpsum Income Tax was deducted in the Last month of Financial Year. Regular deductions of I.T. from salary was not made.
2	03	2023	2054	15	483294	
3	03	2023	2054	34	5460	मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खण्ड-1 के चैप्टर-4, अनुभाग-3 के नियम 20 (i) अनुसार “All financial sanctions and orders issued by a department within its own financial powers as a department of the State Government will be communicated direct to the Accountant General by the department concerned. All other orders involving financial sanctions consultation with the Finance Department, i.e. sanction beyond their financial powers, will be communicated to the Accountant General through the Finance Department. (ii) Sanctions and orders of any other authority to which the power of sanction has been delegated will be communicated to the Accountant General by the authority.”
4	03	2023	2054	43	4070	<i>No Sanction order</i> is being endorsed to O/o A.G.M.P. & any other authority as mandatory under prevailed rule position.

6	03	2023	2054	35	45873	As per Sanction order <u>Pay difference of Rs. 5,00,970/- & HRA difference of Rs. 1151/- was to be payable</u> whereas Pay difference of Rs. 50,970/- (Rs. 45873/- after deduction of 10% NPS-EC) & <u>Nil HRA difference was paid to beneficiary</u> . Therefore, the payment is not according to Sanction & objectionable.
7	03	2023	2054	36	3675	As per Subsidiary rule 73(4) of Part-II of MPTC 2020-corrections on sub-vouchers are not permitted whereas manual correction was made on original Sanction order & period/date of journey was altered manually.
8	03	2023	2054	38	185	Date of Journey on T.A. Bill (29.03.2022) & Date of Journey on Sanction order was not matched.
9	08	2023	2054	33	7500	Payment was made to incorrect beneficiary Shri/Smt. Tarun Tamiya whereas as per sanction order, payment was to be made to Shri Arjuna of Rs. 7500/-.
10	08	2023	2071	562	253308	Refund payment was made from Incorrect Major Head i.e. 2071 (in place of 2202) while challan was deposited into Major Head 0202. Subsequently figures were impacted & wrongly accounted under Major Head 0202 & 0071.
11	08	2023	2071	22	25529	Relevant/Correct Schedules are not attached.

अन्य विसंगतियां—

12. कोई भी स्वीकृति आदेष सक्षम प्राधिकारी व महालेखाकार कार्यालय को पृष्ठांकित नहीं किया गया।
 13. एक ही(समान) स्वीकृति आदेष पर दो से तीन अलग-2 प्रमाणक अंशों में आहरित किये जाने पाये गये।

कोषालय इंदौर

S.no.	Month-Year		MHCD	VOU NO	NET AMOUNT	Objections
01.	03	2023	2054	31	5000	स्वीकृति आदेश/उपप्रमाणक पर राशि ₹ 5,000/- के स्टाम्प आवक की प्रविष्टि पंजी में लेख कर लिये जाने का प्रमाण अंकित नहीं पाया गया।
02.	03	2023	2054	7	10409	विद्युत देयक कुल राशि ₹ 89603/- में से सिर्फ 10409/- का भुगतान किया जाना पाया गया जिसके कारण प्रतिमाह शासन पर अभिधार का अतिरिक्त दायित्व निर्मित हो रहा है जो उक्त बिल में 1106/- दर्शित हो रहा है। उक्त कार्यवाही मध्य प्रदेष वित्तीय संहिता खण्ड-1 के चैप्टर-2, अनुभाग-2 के नियम 15 के अनुरूप नहीं है।

03.	03	2023	2054	6	22872	स्वीकृति आदेश पर देयता अवधि/बिल माह का उल्लेख नहीं पाया गया। एवं बी.एस.एन.एल. द्वारा 18 माह से पुरानी देयता (माह जुलाई 2021) हेतु बिल प्रेषित किये जाने का कारण परीलक्षित नहीं हो रहा है।
04.	11	2023	2054	9	3480	
05.	11	2023	2054	7	2736	स्वीकृति आदेश अनुसार शीर्ष 11-003 में व्यय विकलनीय किये जाने का आदेश है किन्तु व्यय त्रुटिपूर्ण रूप से 11-001 में विकलनीय किया जाना पाया गया।
06.	11	2023	2054	30	40607	जनवरी 2023 से देय महंगाई भत्ते के एरियर्स देयक में दोनों एन.पी.एस. अंशदान (कर्मचारी एवं शासकीय दोनों) समान दर राशि ₹ 4513/- एवं 4513/- कटौत्रा/आहरण व 0071-500 में जमा किया जाना पाया गया।
07.	11	2023	2054	8	1577	जनवरी 2023 से देय महंगाई भत्ते के एरियर्स देयक में कर्मचारी व शासकीय दोनों अंशदान समान दर से कटौत्रे किये जाने जमा किया जाना पाये गये। कर्मचारी अंशदान राशि—175, शासकीय अंशदान राशि 175

कोषालय वल्लभ भवन

S.NO.	DDO	MONTH_IN	YEAR_IN	VOU_NO	AMOUNT₹	Remarks/Objections
1	0520405003	12	2022	42	18762	Payment of stationery has been done by head 06-2054-97-1026-22-008 instead of specific stationery head 06-2054-97-1026-22-007. Paid & cancelled not found on sub vouchers/cash memo
2	0520405003	12	2022	41	12390	Payment of stationery has been done by head 06-2054-97-1026-22-008 instead of specific stationery head 06-2054-97-1026-22-007. Paid & cancelled not found on sub vouchers/cash memo
3	0520405003	06	2023	29	19834	Payment of stationery has been done by head 06-2054-97-1026-22-008 instead of specific stationery head 06-2054-97-1026-22-007. Paid & cancelled not found on sub vouchers/cash memo

परिशिष्ट संख्या—33

(पैरा—3.9.11)

विद्युत प्रभारों का विलम्ब भुगतान होने से विलम्ब भुगतान अधिभार पाया जाना

कोषालय सिंगरौली

डी.डी.ओ	प्रमाणक क्रमांक व माह	विद्युत बिल में दर्शाई गयी वर्तमान भुगतान की राशि	नियत तिथि तक भुगतान किया जाना है	किया गया भुगतान	विलम्ब अधिभार भुगतान
5002506001 ASST COMM TRIBAL SINGROLI	245 / 03—20 23	7398	49948	50572	624
कुल अधिभार					624

कोषालय ग्वालियर

स.क्र.	डी.डी.ओ. कोड व नाम	मुख्य शीर्ष	प्रमाणक क्रमांक व माह	विद्युत प्रभार की राशि ₹	विलम्ब अधिभार भुगतान ₹
01.	1402506002 Assistant Commissioner Tribal Dev Gwalior	2225	10 11 / 2023	325863 /—	14824 /—
कुल योग					14824 /—

परिशिष्ट संख्या—34

(पैरा—3.9.12)

वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जी.एस.टी. शीर्ष 8658—00—139 की प्राप्ति एवं व्यय में अंतर

कोषालय	अवधि	वर्गीकरण	प्राप्ति	व्यय
भिण्ड	01.8.2021 से 31.3.2023	8658—00—139	2153699	1082714
सिंगरौली	01.4.2022 से 31.3.2023	—“—	3454198	2700498
सीहोर	01.4.2022 से 31.3.2023	—“—	8079905	8391984
मण्डला	01.4.2022 से 31.3.2023	—“—	3973816	4016495
पन्ना	01.4.2022 से 31.3.2023	—“—	2688428	2431794
सिवनी	01.6.2022 से 30.11.2023	—“—	13461118	11444916
सतना	01.4.2022 से 31.3.2023	—“—	4906236	3559572
छिन्दवाड़ा	01.4.2023 से 31.1.2024	—“—	5022607	3894019
ग्वालियर	01.4.2022 से 31.3.2023	—“—	14274963	11609123
योग			58014970	49131115

परिशिष्ट संख्या-35
(पैरा-3.9.13-(1))

शीर्ष 8658-00-101 P.A.O. सस्पेंस में अनाधिकृत प्रविष्टियां/वर्गीकरण

कोषालय	अवधि	वर्गीकरण	प्राप्ति	व्यय
उज्जैन	01.4.22 से 31.3.23	8658-00-101	512483	1836264
सिंगरौली	01.10.21 से 31.5.23	—'—	7622	00
शिवपुरी	09/21 से 08/22	—'—	80267	00
नरसिंहपुर	01.10.21 से 30.6.23	—'—	483184	430364
मण्डला	01.11.21 से 30.6.23	—'—	48084	174817
रीवा	01.11.22 से 30.9.23	—“—	1369	00
भोपाल	01.11.22 से 30.11.23	—“—	00	44661
राजगढ़	01.10.21 से 31.3.23	—“—	306332	89518
विन्ध्याचल भवन	01.01.23 से 31.12.23	—“—	233	00
सागर	01.02.23 से 31.01.24	—“—	1026633	784096
ग्वालियर	01.02.23 से 31.01.24	—“—	355891915	782210290
योग			358358122	785570010

परिशिष्ट संख्या-36
(पैरा-3.9.13-(2))
मुख्य शीर्ष 8658-101 में राशि जमा एवं भुगतान करवाया जाना

कोषालय बालाघाट

स.कं.	जमा दिनांक	जमाकर्ता का नाम	मु.श्री. जिसमें जमा किया गया	राशि ₹
01	07-03-2022	Lt CoL Officer Commanding 6 MP Indep Coy NCC Balaghat	8658-101	241/-
02	06-03-2023	Tahsildar Khairlanji	8658-101	880/-

इसी प्रकार उक्त निरीक्षण अवधि में ही शीर्ष 8658-101 पी.ए.ओ. सर्सेंस से ही कुल 118 प्रमाणकों के माध्यम से कुल राशि ₹ 5,94,133/- का रिफण्ड भुगतान किया जाना पाया गया है।

कोषालय भिण्ड

कोषालय निरीक्षण अवधि 01.08.2021 से 31.03.2023 तक के अभिलेखों की जांच दौरान पाया गया कि शीर्ष 8658-101 में कुल राशि ₹ 461994/- त्रुटिवश दर्ज किया जाना परीलक्षित हो रहा है।

इसी प्रकार उक्त निरीक्षण अवधि में ही शीर्ष 8658-101 पी.ए.ओ. सर्सेंस के माध्यम से कुल राशि ₹ 72743/- का रिफण्ड भुगतान किया जाना पाया गया है।

कोषालय मुरैना

कोषालय निरीक्षण अवधि 01.09.2021 से 31.03.2023 तक के अभिलेखों की जांच दौरान पाया गया कि शीर्ष 8658-101 में कुल राशि ₹ 242185/- त्रुटिवश दर्ज किया जाना परीलक्षित हो रहा है।

इसी प्रकार उक्त निरीक्षण अवधि में ही शीर्ष 8658-101 पी.ए.ओ. सर्सेंस के माध्यम से कुल राशि ₹ 201031/- का रिफण्ड भुगतान किया जाना पाया गया है।

कोषालय बड़वानी

S.No.	Name of DDOs	Month	Amount ₹
1	Karya, Civil Serjon Sah Mukhy, Hospital Adhi, Badw	Nov.-2021	117
2	Collector Barwani	Jan-2022	35536
		March-2022	48939
3	Principal Govt. Degree College, Barwani	Feb.-2022	33019

कोषालय नरसिंहपुर

दिनांक 01.10.2021 से दिनांक 30.06.2023 तक

Name of DDO	Date of GST refund	Amount ₹	Classification
<u>FINANCIAL YEAR 2021-22 (01.10.2021 TO 31.03.2022)</u>			
Dist Organizer tribal welfare N,pur Narsinghpur	24.02.2022	14284	8658-00-101
Dist Organizer tribal welfare N,pur Narsinghpur	30.03.2022	19936	8658-00-101
Total		34220	

FINANCIAL YEAR 2022-23

Dist Organizer tribal welfare N,pur Narsinghpur	30.09.2022	5391	8658-00-101
Dist Organizer tribal welfare N,pur Narsinghpur	27.10.2022	17294	8658-00-101
Dist Organizer tribal welfare N,pur Narsinghpur	21.12.2022	54376	8658-00-101
Dist Organizer tribal welfare N,pur Narsinghpur	13.01.2023	67946	8658-00-101

Dist Organizer tribal welfare N,pur Narsinghpur	23.02.2023	63626	8658-00-101
Dist Organizer tribal welfare N,pur Narsinghpur	15.03.2023	24690	8658-00-101
Dist Organizer tribal welfare N,pur Narsinghpur	16.03.2023	58467	8658-00-101
Dist Organizer tribal welfare N,pur Narsinghpur	24.03.2023	55924	8658-00-101
TOTAL		347714	
<u>FINANCIAL YEAR 2023-24 (UPTO 30.06.23)</u>			
Dist Organizer tribal welfare N,pur Narsinghpur	06.04.23	48430	8658-00-101
TOTAL		48430	
GRAND TOTAL		430364	

कोषालय सीहोर

Sl. No.	Name of DDOs	Date	Amount ₹
1.	CEO JANPAD PANCHAYAT, ASHTA	18-08-2022	219358
2.	PRINCIPAL WOMENS POLYTECHNIC SEHORE	07-10-2022	10224
		11-10-2022	12673
		20-10-2022	38763
		09-11-2022	18048
		16-11-2022	34752
		17-11-2022	50966
		17-03-2023	13672
		TOTAL	398456

कोषालय रायसेन

Sl. No.	Name of DDOs/Individual	Month	Amount ₹
1.	Insurance Medical officer Mandideep, Raisen	Jan-2022	4543/-
2.	Dy Director Veterinary, Raisen	Dec -2022	17542/-
		Dec -2022	461/-
		Dec -2022	514/-
		May -2022	18228/-
3.	Commercial Tax officer, Mandideep, Raisen	Mar -2022	5625/-
4.	Munna		

कोषालय अलीराजपुर

कोषालय निरीक्षण अवधि 01.12.2021 से 31.12.2023 तक के अभिलेखों की जांच दौरान पाया गया कि शीर्ष 8658-101 में कुल राशि ₹ 32465/- त्रुटिवश दर्ज किया जाना परीलक्षित हो रहा है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

इसी प्रकार उक्त निरीक्षण अवधि में ही शीर्ष 8658-101 पी.ए.ओ. सस्पेंस से ही कुल राशि ₹ 2492/- का रिफण्ड भुगतान किया जाना पाया गया है।

कोषालय जबलपुर

कोषालय निरीक्षण अवधि 01.10.2022 से 31.08.2023 तक के अभिलेखों की जांच दौरान पाया गया कि शीर्ष 8658-101-पी.ए.ओ. सर्सेंस में त्रुटिवश कुल राशि ₹ 79,119/- जमा व कुल राशि ₹ 17,44,402/- का भुगतान दर्ज किया जाना परीलक्षित हो रहा है। जमा राशियों का विवरण निम्नानुसार है:-

Receipt under HOA 8658-101 PAO Suspense from 01.10.2022 to 31.08.2023

S.N o.	Receipt/Ch allan Date	Receipt/Challa n No.	Deposited By/DDO name	Amount ₹
1	14-Oct-22	8658/000198	SUPRINTENDENT SUB JAIL PATAN	142
2	17-Oct-22	8658/000270	SUPRINTENDENT SUB JAIL PATAN	50
3	22-Oct-22	8658/001122	SUPRINTENDENT SUB JAIL PATAN	61
4	04-Nov-22	8658/000096	SUPRINTENDENT SUB JAIL PATAN	7
5	04-Nov-22	8658/000097	SUPRINTENDENT SUB JAIL PATAN	12
6	07-Nov-22	8658/000138	COMMANDANT GENERAL HOME GUARDS M.P., Jabalpur	3,559.00
7	07-Nov-22	8658/000139	COMMANDANT GENERAL HOME GUARDS M.P., Jabalpur	3,203.00
8	07-Nov-22	8658/000140	COMMANDANT GENERAL HOME GUARDS M.P., Jabalpur	4,745.00
9	11-Nov-22	8658/000237	SUPRINTENDENT SUB JAIL PATAN	61
10	02-Dec-22	8658/000215	S.P.(RADIO) ZONE JABALPUR	417
11	09-Dec-22	8658/000444	S.P.(RADIO) ZONE JABALPUR	3,482.00
12	12-Dec-22	8658/000512	SUPRINTENDENT SUB JAIL PATAN	113
13	12-Dec-22	8658/000513	SUPRINTENDENT SUB JAIL PATAN	216
14	13-Dec-22	8658/000538	Principal Govt. Sch. Caste Divisonal Res. School Jabalpur	3,177.00
15	19-Dec-22	8658/000688	SUPRINTENDENT SUB JAIL PATAN	320
16	23-Dec-22	8658/000768	S.P.(RADIO) ZONE JABALPUR	240
17	03-Jan-23	8658/000139	S.P.(RADIO) ZONE JABALPUR	158
18	03-Jan-23	8658/000145	S.P.(RADIO) ZONE JABALPUR	42
19	11-Jan-23	8658/000440	SUPRINTENDENT SUB JAIL PATAN	100
20	11-Jan-23	8658/000441	SUPRINTENDENT SUB JAIL PATAN	12
21	11-Jan-23	8658/000442	SUPRINTENDENT SUB JAIL PATAN	301
22	11-Jan-23	8658/000443	SUPRINTENDENT SUB JAIL PATAN	6
23	13-Jan-23	8658/000496	SUPRINTENDENT SUB JAIL PATAN	3
24	13-Jan-23	8658/000497	SUPRINTENDENT SUB JAIL PATAN	3
25	15-Feb-23	8658/000790	S.P.(RADIO) ZONE JABALPUR	684
26	03-Mar-23	8658/000353	SUPRINTENDENT SUB JAIL PATAN	20
27	03-Mar-23	8658/000354	SUPRINTENDENT SUB JAIL PATAN	11
28	03-Mar-23	8658/000355	SUPRINTENDENT SUB JAIL PATAN	88
29	10-Mar-23	8658/001022	SUPRINTENDENT SUB JAIL PATAN	17
30	17-Mar-23	8658/001309	S.P.(RADIO) ZONE JABALPUR	29

31	18-Mar-23	8658/001453	Pri Health AND Family welfare Training centre JBP	928
32	19-Mar-23	8658/001515	Asstt Labour Commissioner JBP	620
33	21-Mar-23	8658/001593	DISTT. ELECTION OFFICER, LOCAL, JABALPUR	766
34	21-Mar-23	8658/001595	DISTT. ELECTION OFFICER, LOCAL, JABALPUR	13,803.00
35	24-Apr-23	8658/000710	SUPRINTENDENT SUB JAIL PATAN	228
36	27-Apr-23	8658/000765	Principal Govt. Sch. Caste Divisional Res. School Jabalpur	4,662.00
37	27-Apr-23	8658/000769	Principal Govt. Sch. Caste Divisional Res. School Jabalpur	2,426.00
38	01-May-23	8658/000005	SUPRINTENDENT SUB JAIL PATAN	10
39	01-May-23	8658/000007	SUPRINTENDENT SUB JAIL PATAN	313
40	02-May-23	8658/000171	Principal Govt. Sch. Caste Divisional Res. School Jabalpur	4,006.00
41	02-May-23	8658/000187	Principal Govt. Sch. Caste Divisional Res. School Jabalpur	3,222.00
42	08-May-23	8658/000386	SUPRINTENDENT SUB JAIL PATAN	37
43	10-May-23	8658/000426	S.P.(RADIO) ZONE JABALPUR	4,111.00
44	10-May-23	8658/000427	S.P.(RADIO) ZONE JABALPUR	492
45	21-May-23	8658/000662	S.P.(RADIO) ZONE JABALPUR	175
46	21-May-23	8658/000664	S.P.(RADIO) ZONE JABALPUR	99
47	27-May-23	8658/000767	S.P.(RADIO) ZONE JABALPUR	221
48	09-Jun-23	8658/000334	SUPRINTENDENT SUB JAIL PATAN	14
49	09-Jun-23	8658/000353	S.P.(RADIO) ZONE JABALPUR	840
50	20-Jun-23	8658/000554	S.P.(RADIO) ZONE JABALPUR	840
51	28-Jun-23	8658/000823	SUPRINTENDENT SUB JAIL PATAN	167
52	03-Jul-23	8658/000140	SUPRINTENDENT SUB JAIL PATAN	4
53	03-Jul-23	8658/000143	SUPRINTENDENT SUB JAIL PATAN	40
54	03-Jul-23	8658/000144	SUPRINTENDENT SUB JAIL PATAN	35
55	13-Jul-23	8658/000615	Asstt Labour Commissioner JBP	713
56	21-Jul-23	8658/000785	Tehsildar, Gorakhpur, Jabalpur	1,714.00
57	23-Jul-23	8658/000826	S.P.(RADIO) ZONE JABALPUR	176
58	31-Jul-23	8658/001340	SUPRINTENDENT SUB JAIL PATAN	21
59	01-Aug-23	8658/000065	SUPRINTENDENT SUB JAIL PATAN	2
60	03-Aug-23	8658/000266	Principal Govt. Sch. Caste Divisional Res. School Jabalpur	5,242.00
61	04-Aug-23	8658/000315	S.P.(RADIO) ZONE JABALPUR	308
62	06-Aug-23	8658/000360	SUPRINTENDENT SUB JAIL PATAN	53
63	07-Aug-23	8658/000364	SUPRINTENDENT SUB JAIL PATAN	161
64	09-Aug-23	8658/000404	Principal Govt. Sch. Caste Divisional Res. School Jabalpur	2,207.00
65	11-Aug-23	8658/000459	Asstt Labour Commissioner JBP	713
66	11-Aug-23	8658/000461	S.P.(RADIO) ZONE JABALPUR	8,471.00
Total				79,119

इसी प्रकार निरीक्षण अवधि दि0 01.10.2022 से 31.08.2023 तक शीर्ष 8658-101 पी.ए.ओ. सर्सपेंस से ही कुल 48 प्रमाणकों के माध्यम से कुल राशि 17,44,402/- का रिफण्ड भुगतान किया जाना पाया गया है।

कोषालय दमोह

Sl. No.	Name of DDOs	Date	Amount ₹
1.	C S CUM SUPDT DISTRICT HOSPITAL DAMOH	26.03.2022	6942
		08.02.2023	478
		09.02.2023	5440
		16.03.2023	12551
2.	VARISHHTHATAM UPJAAII ADHIKSHAK JAILAR UPJAAI (HATTA), DAMOH	31.05.2022	3587
		27.07.2022	3455
		08.06.2023	4417
3.	C M AND H O DAMOH OLD COLLECTORATE	13.07.2023	1496
TOTAL			38366

कोषालय पन्ना

स.क्र.	जमा दिनांक	जमाकर्ता का नाम	मु.श्री. जिसमें जमा किया गया	राशि ₹
01	02-03-2022	DISTT. Education Officer Panna	8658-101	4825/-
02	16-06-2022	DISTT. Education Officer Panna	8658-101	30982/-
03	10-01-2023	Dy Dir Veterinary Services Panna	8658-101	66572/-
04	13-02-2023	Dy Dir Veterinary Services Panna	8658-101	9328/-
05	22-02-2023	Dy Dir Veterinary Services Panna	8658-101	8831/-
06	01-03-2023	Dy Dir Veterinary Services Panna	8658-101	14999/-
07	15-03-2023	Dy Dir Veterinary Services Panna	8658-101	31000/-
08	16-03-2023	Dy Dir Veterinary Services Panna	8658-101	1792/-
09	17-03-2023	Dy Dir Veterinary Services Panna	8658-101	8000/-
10	18-03-2023	Dy Dir Veterinary Services Panna	8658-101	8013/-
11	20-03-2023	Dy Dir Veterinary Services Panna	8658-101	2231/-
12	25-03-2023	Dy Dir Veterinary Services Panna	8658-101	10000/-
13	30-03-2023	Dy Dir Veterinary Services Panna	8658-101	8000/-
14	30-06-2023	Dy Dir Veterinary Services Panna	8658-101	30690/-
15	31-03-2023	Prin. Govt. College amanganj	8658-101	3932
			TOTAL	239195/-

इसके अतिरिक्त राशि ₹ 2085/- का उक्त शीर्ष से रिफण्ड भुगतान होना भी पाया गया है।

कोषालय डिप्डोरी

Sl. No.	Name of DDOs	Month	Amount ₹
1.		Feb-2022	3520/-
2.	Chief Medical and Health Officer, Dindori	Feb-2022	1355/-
3.		Feb-2022	5455/-

कोषालय इंदौर

Receipt under HOA 8658-101 PAO Suspense
from 01.09.2022 to 31.11.2023

S.No .	Receipt/ Challan Date	Receipt/ Challan No.	Deposited By/DDO name	Amount ₹
1	19.09.2022	8658/000503	SUPERINTENDENT MENTAL HOSPITAL INDORE MP	8776
2	22.09.2022	8658/000564	Deputy Director Aechiology and Museum W.R. Indore	633
3	22.09.2022	8658/000565	Deputy Director Aechiology and Museum W.R. Indore	633
4	07.10.2022	8658/000170	SUPERINTENDENT MENTAL HOSPITAL INDORE MP	2099
5	07.10.2022	8658/000171	SUPERINTENDENT MENTAL HOSPITAL INDORE MP	339
6	13.10.2022	8658/000308	SUPERINTENDENT MENTAL HOSPITAL INDORE MP	15394
7	02.11.2022	8658/000015	SUPERINTENDENT MENTAL HOSPITAL INDORE MP	15717
8	03.11.2022	8658/000054	SUPERINTENDENT MENTAL HOSPITAL INDORE MP	20793
9	03.11.2022	8658/000055	SUPERINTENDENT MENTAL HOSPITAL INDORE MP	19641
10	04.11.2022	8658/000097	Commandent (For Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	1066
11	04.11.2022	8658/000099	Commandent (For Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	434
12	04.11.2022	8658/000101	Commandent (For Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	596
13	04.11.2022	8658/000103	Commandent (For Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	464
14	04.11.2022	8658/000105	Commandent (For Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	1869
15	04.11.2022	8658/000107	Commandent (For Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	1140
16	04.11.2022	8658/000109	Commandent (For Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	631
17	04.11.2022	8658/000111	Commandent (For Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	1362
18	04.11.2022	8658/000114	Commandent (For Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	1086
19	07.11.2022	8658/000135	Commandent (for Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	354
20	07.11.2022	8658/000137	Commandent (for Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	370
21	11.11.2022	8658/000201	Commandent (for Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	296
22	11.11.2022	8658/000203	Commandent (for Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	40
23	11.11.2022	8658/000214	Commandent (for Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	1961
24	11.11.2022	8658/000216	Commandent (for Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	992
25	14.11.2022	8658/000241	Commandent (for Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	225
26	14.11.2022	8658/000243	Commandent (for Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	192

27	14.11.2022	8658/000245	Commandent (for Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	196
28	14.11.2022	8658/000247	Commandent (for Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	433
29	14.11.2022	8658/000249	Commandent (for Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	199
30	14.11.2022	8658/000251	Commandent (for Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	932
31	14.11.2022	8658/000257	Commandent (for Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	265
32	14.11.2022	8658/000263	Commandent (for Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	4885
33	16.11.2022	8658/000298	Commandent (for Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	73
34	17.11.2022	8658/000422	Commandent (for Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	742
35	21.11.2022	8658/000414	Commandent (for Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	52
36	22.11.2022	8658/000422	Commandent (for Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	1045
37	22.11.2022	8658/000424	Commandent (for Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	384
38	22.11.2022	8658/000426	Commandent (for Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	509
39	22.11.2022	8658/000428	Commandent (for Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	304
40	22.11.2022	8658/000430	Commandent (for Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	880
41	22.11.2022	8658/000432	Commandent (for Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	270
42	22.11.2022	8658/000438	Commandent (for Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	398
43	22.11.2022	8658/000440	Commandent (for Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	558
44	22.11.2022	8658/000442	Commandent (for Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	653
45	25.11.2022	8658/000485	Commandent (for Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	1056
46	25.11.2022	8658/000489	Commandent (for Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	959
47	25.11.2022	8658/000495	Commandent (for Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	3194
48	25.11.2022	8658/000508	Commandent (for Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	4116
49	01.12.2022	8658/000177	Commandent (for Commandent 1 st Batalian SAF) Indore	434
50	08.12.2022	8658/000342	Superintendent Mental Hospital Indore M.P.	12970
51	22.12.2022	8658/000719	Commandent (For Commandent 1 st Batalian)	189
52	22.12.2022	8658/000721	Commandent (For Commandent 1 st Batalian)	199
53	23.12.2022	8658/000777	Commandent (For Commandent 1 st Batalian)	234
54	24.02.2023	8658/001192	Deputy District Election Officer (local) Indore	5630
55	16.03.2023	8658/001298	District Excise Officer, Indore	16675
56	20.05.2023	8658/000590	District Excise Officer, Indore	8630
57	20.05.2023	8658/000592	District Excise Officer, Indore	4080
58	18.10.2023	8658/000699	Sr Jai Supdt Sub Jail Mhow	435
59	18.10.2023	8658/000701	Sr Jai Supdt Sub Jail Mhow	361
Total				1,69,043

Details of Re-payment from 8658-101 during 01.09.2022 to 30.11.2023

क्रं.	मुख्य शीर्ष व लघु शीर्ष	प्रमाणक क्रमांक एवं दिनांक	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	आहरित राशि ₹
01.	8658-101	20 08.09.2022	COMMANDENT (COMMANDENT 15 TH BATALIAN SAF) INDORE	588
02.	8658-101	21 09.12.2022	SUPERINTENDENT MENTAL HOSPITAL INDORE MP	56,151
TOTAL				56,739

कोषालय सिवनी

स.क्र.	जमाकर्ता का नाम	मु.श्री. जिसमें जमा किया गया	राशि ₹
01	Sr. SUB SUPDT JAILER DISTT JAIL DISTT SEONI	8658-00-101	4748.00
02	DISTT. REGISTRAR SEONI	8658-00-101	10180.00
03	DISTRICT SAINIK WELFARE OFFICER, SEONI.	8658-00-101	1750.00
04	TAHASILDAR CHHAPARA	8658-00-101	6150.00

कोषालय छिन्दवाड़ा

Receipt under HOA 8658-101 PAO Suspense
from 01.12.2022 to 31.01.2024

S.No.	Receipt/Challan Date	Receipt/C hallan No.	Deposited By/DDO name	Amount ₹
1	08.09.2023	8658/000249	S.P. Chhindwara	360/-
Total				360/-

Details of Re-payment from 8658-101 during 01.12.2022 to 31.01.2024

क्रं.	मुख्य शीर्ष व लघु शीर्ष	प्रमाणक क्रमांक एवं दिनांक	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	आहरित राशि ₹
01.	8658-101	16 28.07.2023	Distt. AND Session Judge CHINDWADA	5919/-
TOTAL				5919/-

परिशिष्ट संख्या—37
(पैरा—3.9.14)

बिना विभागाध्यक्ष स्वीकृति के Office supplies & equipment का क्रय किया जाना

कोषालय बैतूल

प्रमाणक संख्या	दिनांक	Invoice no & date	विक्रेता का नाम	सामग्री	राशि ₹
008	29/08/2022	3575/01.08.2022	Pagariya General Store	Stationary	8998/-
		3523/01.08.2022			17584/-

कोषालय उमरिया

संक्र.	प्रमाणक संख्या	दिनांक	Invoice no & date	विक्रेताका नाम	राशि ₹
1	08	29-03-23	58/18.03.2023	Mahamaya Welding work Umariya	18300/-
			59/18.03.2023		19800/-

इसी प्रकार फरवरी माह में भी एक ही वैण्डर को लगातार तीन दिनांकों में पृथक—पृथक इनवाईस के द्वारा भुगतान किया जाना पाया गया है। नमूना विवरण निम्नानुसार हैः—

संक्र.	प्रमाणक संख्या	दिनांक	Invoice no & date	विक्रेताका नाम	राशि ₹
1	006	23.02.2023	14/23.01.2023	Banvasi StationaryUmariya	19950/-
			15/24.01.2023		19980/-
			16/25.01.2023		9600/-

परिशिष्ट संख्या—38
(पैरा—3.9.15)

**आकस्मिक प्रभारों के भुगतान हेतु अनियमित पद्धति अपनाये जाकर Paid by me आधार पर
व बिना कोई राशि सीमा रखे किसी भी कर्मचारी को भुगतान किया जाना
कोषालय बालाघाट**

S. No.	V. NO.	Month/Year	MHCD	Voucher AMOUNT	PAID BY ME AMOUNT	PAID TO (Official Name)	Paid For (Description of Payment)
1	3	03/2023	2205	1828/-	1828/-	Shri Amit Rangare	Maintanance Work of Fixed Assets
2	12	03/2023	2039	2500/-	2500/-	Shri Ramakant Baghel	Office/Electricity Expenditure
3	6	03/2023	2039	3089/-	3089/-	Shri Sandeep Shriwas	Electricity Expenditure
4	11	03/2023	2054	9140/-	7900/-	Shri Chhavi Nageshwar	Photocopy Expenditure
5	6	03/2023	2054	19040/-	8640/-	Shri Uday Pal Sharma	Tea & Nashta (Jalpaan)
6	9	03/2022	2054	10,000/-	5000/-	Shri Bhawani Singh Bhalavi	Computer Exp.

कोषालय मुरैना

S. No.	V. NO.	DATE	MHCD	Voucher AMOUNT	PAID BY ME AMOUNT	PAID TO (Official Name)	Paid For (Discription of Payment)
1	001	01.03.2023	2054	19950	19950	Shri K P Verma, Asstt Grade-2	Paid ₹ 10000 to shree balaji mishthan
						Shri Divyanshu Shikarwar	Paid ₹ 9950 to Akash Bhojnalaya

कोषालय सीहोर

S. No.	V. NO.	DATE	MHCD	Voucher AMOUNT	PAID BY ME AMOUNT	PAID TO (Official Name)	Paid For (Discription of Payment)
1	9	22.03.2023	2054	8340	8340	Shri Sudheer khapre	Ashish D.J. amt. ₹ 5000/- Tea amt. ₹ 2000/- Disposal glass amt. ₹1340/-
2	13	30.03.2023	2054	28432	28432	1. Shri sudheer khapre amt. 2689/- 2. Shri Har Prasad Rathore amt. 9133/- 3. Shri Anil Patidar amt. 1200/- 4. Shri Om Prakash Thakur 440/- 5. Shri Sunil Kumar	Miscellaneous payments of Treasury

				Ojha Amt. 1710/- 6. Shri Laxmi Narayan Parmar amt. 240/- 7. Shri Kanchedi Lal Verma amt. 7520/- 8. Shri Rajendra Kumar Jatav amt. 5500/-	
--	--	--	--	---	--

कोषालय अलीराजपुर

S. No.	V. NO.	DATE	MHCD	Voucher AMOUNT	PAID BY ME AMOUNT	PAID TO (Official Name)	Paid For (Description of Payment)
1	70	09.03.2022	2225	121324	121324	Shri bahadur pita chamkela	49824
						Pracary akavy sejawada sunil goyal	14000
						Kpacary kanya sikcha prisr katthiwada sankar	21900
						Avinash vaghela	10800
						Pracary aklavy anju sisodiya	24800

कोषालय जबलपुर

S.No	DDO	V. No.	Month/ Year	MHCD	Voucher AMOUNT	PAID BY ME AMOUNT	PAID TO	Paid (Description of Payment)	For of
1	1801704002-Suptt. Ranidurgawati Hospital, Jabalpur	394	03/2023	2210	11682/-	11682/-	Office Employee	Courier Payment	
2		220	03/2023	2210	3086/-	3086/-	Office Employee	P.O.L. (Petrol) Payment	
3		151	03/2023	2210	8600/-	8600/-	Office Employee	Generator Reparing Expenses	
4	1803602005-Assistant Director, Matsyodog, Jabalpur	23	03/2023	2405	41920/-	41920/-	Office Employee	Expenditure on Fishermen's Training	
5		29	03/2023	2405	55000/-	18000/-	Office Employee	Expenditure on Fishermen's Training	
6	1800405001-District Treasury Office, Jabalpur	169	03/2023	2030	1,30,000/-	1,30,000/-	Office Employee	Stamp Transportation Expenses	

कोषालय दमोह

S. No.	V. NO.	Month	MHCD	Voucher AMOUNT	PAID TO (Official Name)
1	458	March 2023	2202	98750-	1. Shri Panna Lal Jain 1725/- 2 Ms. Aruna M Jain 8150/-
2	291	March 2023	2202	2800/-	Shri Uma Shankar Tantuway 1420/-
3	7	March 2023	2054	10790/-	Shri Ram Kumar Ahirwar 1450/-

कोषालय पन्ना

डी.डी.ओ. कोड—2800405001 जिला कोषालय अधिकारी, पन्ना

टेबल क्रमांक—01

S. No.	V. NO.	DATE	MHCD	Voucher AMOUNT	PAID BY ME AMOUNT	PAID TO (Official Name)	Paid For (Discription of Payment)
1	03	29.07.2022	2054	8350	3350	Shri Yogesh Khare (300)	Paid to Gulshan Battery and Radiator Panna
						Shri S.P. Dwivedi(1200)	Paid to gayatri electricals and electronics Panna
						Shri Rahman Khan(200)	Paid to mannu Dhobi
						Shri O.P. Gupta (1650)	Paid to Om Sai Kripa Photocopy,HC Jabalpur
2	86	29.07.2022	2054	11400	1200	Shri S.P. Prajapati	Paid for Stamp Loading Unloading Charges
3	06	20.10.2022	2054	1730	1730	Shri S.k. Vishwakarma(1510)	Paid To Aditi stationary and Offset printing (750) & M.S. Kishore Enp. (760)
						Shri Rahman Khan (220)	Paid to Mannu Dhobi
4	04	09.01.2023	2054	5000	5000	Smt. Kavita kushwaha	Paid for Stamp purchase
5	06	11.01.2023	2054	9940	9940	Shri S.k. Vishwakarma	Paid to Sandeep Sharma Furniture Mart Panna
6	11	23.01.2023	2054	1306	1306	Shri S.k. Vishwakarma	Paid for Office Supplies Items
7	04	01.02.2023	2054	17000	4000	Shri Lakhan Lal verma	Paid For Transportation Advance
8	05	03.03.2023	2054	20000	500	Shri S.k. Vishwakarma	Paid To Aditi stationary and Offset printing
9	14	03.03.2023	2030	10343	1825	Shri S.P. Prajapati	Paid To Transportation advance

डी.डी.ओ. कोड-2802506001 आदिम जाति कल्यान विभाग, पन्ना
टेबल कमांक-02

S. No.	V.No	DATE	MHCD	Voucher AMOUNT	PAID BY ME AMOUNT	PAID TO (Official Name)	Paid For (Discription of Payment)
1	49	07.02.2023	2225	9780	9780	Shri. R.K. Satnami (District Organiser Tribal Welfare Officer)	Paid For Maintenance work
2	94	10.03.2023	2225	45000	45000	Shri Virendra Kumar Pal(Adhikshak)	Paid for Rented Vehicle and poster
3	68	15.03.2023	2225	49800	49800	Shri. R.K. Satnami (District Organiser Tribal Welfare Officer)	Paid for Diesel
4	69	14.02.2023	2225	3000	3000	Smt. Priyanka Choubey	Paid for Book Purchase
5	-	24.03.2023	2225	1061	1061	Smt. Priyanka Choubey	Paid For Photocopy
6	121	25.03.2023	2225	18350	18350	Shri. R.K. Satnami (District Organiser Tribal Welfare Officer)	Paid For VIP Person Arrangement
7	119	25.03.2023	2225	9450	9450	Shri Sanand Kumar Pandey(Adhikshak)	Paid For Official supplies
8	120	25.03.2023	2225	7350	7350	Smt. Priyanka Choubey	For Coolar Prurchase
9	105	24.03.2023	2225	4400	4400	Shri. R.K. Satnami (District Organiser Tribal Welfare Officer)	Paid For Programme

कोषालय छिन्दवाड़ा

S. No.	V. NO.	Month	MHCD	Voucher AMOUNT (In Rs.)	PAID BY ME AMOUNT (In Rs.)	PAID TO (Official Name)	Paid For (Discription of Payment)
1	7	09/23	2054	2525	925	Shri Avirchand Invati-925	Payment for मैं गृहस्थी छिन्दवाड़ा
2	8	6/23	2054	18600	18600	Shri Arun kumar Ahake-2100	Payment To Shri Matri Chhaya Travels
						Shri Prakash Kumar Dukhhe-5900	Payment to Santosh Mini Transport,Matri Chhaya Travels
						Shri Lakshya Ratnam Karnewal-6800	Payment to New Rana Road Lines, Pandurna
						Shri Bhau Rao Sende-	Payment to

						3800	Matri Chhaya Travels
3	12	03/23	2054	16090	8090	Shri Krishnaraj singh Thakur-3090	Payment to Pradeep Decorators and pal Tea Center
						Shri Sharan Nandekar- 5000	Payment to Pradeep Decorators, Garba Sweets and Pal Tea Center
4	16	03/23	2054	9169	4149	Shri Abir Chand Invati- 300	Payment to मैं गृहस्थी छिन्दवाडा
						Smt Jaya Sharma-3849	Payment to Dinesh Steel Center
5	56	06/23	2030	19631	4000	Shri Sunny Lal Kamaria- 4000	Payment For Unloading Charges of Stamps

कोषालय र्वालियर

S. No.	V. NO.	DATE	MHCD	Voucher AMOUNT ₹	PAID BY ME AMOUNT
1	42	20.11.2023	2225	226230	226230 (paid to 7 employees)
2	41	20.11.2023	2225	65579	65579 (Paid to 3 employees)
3	04	05.12.2023	2054	2080	550 (Paid to 2 employees)
4	71	20.12.2023	2054	2830	1180 (Paid to 2 employees)

परिशिष्ट संख्या—39

(पैरा—3.9.16)

ठेकेदारों को किये गये भुगतान देयकों से आयकर एवं जी.एस.टी. की नियमानुसार कटौती न किया जाना

कोषालय भिण्ड

Statement of Over Payment to Contractor due to improper deductions of TDS Income Tax & Cess thereon							
Voucher no.	Date	Vendor name	Invoice date	Gross Bill Amount	Net Bill Amount (Excluding Tax)	G.S.T TDS @ 2% on Net Value (Excluding Taxes)	I.T. TDS to be Deducted @2%
113	31.03.2023	Kavyam traders gwalior	15.03.2023	400000	338982	6779	8000
		RK SELS AGENCY JAHANGEERABAD MP	19.03.2023	867000	734746	14694	17340
		Shriji Industries Jabalpur	14.03.2023	637200	540000	10800	12744
Total				1904200			

कोषालय बैतूल

कोषालय निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि जिला आबकारी कार्यालय बैतूल द्वारा ठेकेदार श्री सुमित आर्य एवं श्री दिनेश राठौर को वर्ष में क्रमशः राशि ₹ 717600/- एवं राशि ₹ 681600/- का भुगतान किया गया है एवं देयकों से नियमानुसार 2 प्रतिशत टीडीएस न काटते हुये 1 प्रतिशत टीडीएस ही काटा गया है।

कोषालय मुरैना

Statement of Over Payment to Contractor due to improper deductions of TDS-GST, Income Tax & Cess thereon							
V.NO./ MONTH	MHCD	GROSS PAID AMT	Vendor/contractor name	Deductions should be made on vouchers (IT-TDS & GST-TDS)	OVER PAYMENT		(In Rs.)
					IT-TDS 2%	CESS @4% on IT-TDS	
DDO CODE-2502506001							
157 Mar-22	2225	305620	Shreenathji furniture industries	6112	244	5180	11536

			jabalpur				
	528557	Himrag coir products private limited	10571	423	8959	19953	
	654098	ARB medical healthcare bhopal	13082	523	11507	25117	
Total							56601
DDO CODE-2506002005							
107,108 March 23	2210	290353		5807	232	4921	10960

कोषालय बडवानी

Statement of Over Payment to Contractor due to Improper deductions of TDS-GST, Income Tax thereon						
				Deductions of IT-TDS & GST-TDS on vouchers by DDOs		Remarks
Name of DDOs	Bill Ref. No/Month	MHCD	Gross amt.	GST-TDS @2% (CGST+SGST)	IT-TDS 2%	
EENVS Rajpur	200014755082 02/2023	4700	88620	Nil	Nil	TDS to be deducted as per rules
Pr. govt. college Rajpur	200014999037 03/2023	2202	499903	9998	Nil	IT TDS not deducted/GST Should be on net amount
DFO sendhwa	200014779487 02/2023	4406	1339856	25877	Nil	IT TDS not deducted
Tehsildar Badrwani	200015392229 04/2023	2053	75114	Nil	Nil	TDS to be deducted as per rules
Tehsildar Pati	200015623567 05/2023	2053	103136	Nil	Nil	TDS to be deducted as per rules
Dist Ayurved officer	200015374505 04/2023	2210	190610	Nil	Nil	TDS to be deducted as per rules
CMHO	200015588981 05/2023	2210	554769	9403	8322 @1.5%	IT TDS to be deducted @2% instead of 1.5%

कोषालय रायसेन

Statement of Over Payment to Contractor due to improper deductions of TDS-GST, Income Tax thereon

				Deductions of IT-TDS & GST-TDS on vouchers by DDOs		Remarks
Name of DDOs	Bill Ref. No./Month	MHCD	Gross Amount	GST-TDS @2% (CGST+S GST)	IT-TDS 2%	
Insurance Medical Officer, Mandideep	200015878729 06/2023	2210	305312	5452	Nil	IT TDS not deducted
Insurance Medical Officer, Mandideep	200015767526 06/2023	2210	315847	Nil	Nil	TDS to be deducted as per rules
CHMO Raisen	200015789946 06/2023	2210	416886	NIL	9832	GST TDS not deducted
CHMO Raisen	200015816912 06/2023	2210	380358	Nil	7606	GST TDS not deducted
CHMO Raisen	200015890453 07/2023	2210	578518	Nil	14705	GST TDS not deducted

कोषालय अलीराजपुर

Statement of Over Payment to Contractor due to improper deductions of TDS-GST, Income Tax & Cess thereon

V.NO./ MONTH	VENDOR NAME	GROSS PAID AMT	Incorrect/Incomplete Deductions of IT-TDS & GST-TDS on vouchers			Deductions should be made on vouchers (IT-TDS & GST-TDS)			OVER PAYMENT (In Rs.)
			IT-TDS 2%	CESS @4% on IT-TDS	GST-TDS @2% (CGST+SGST)	IT-TDS 2%	CESS @4% on IT-TDS	GST-TDS @2% (CGST+SGST)	
DDO CODE-4901704003 CMHO, Alirajpur									

60 Mar-22	Mp state powerloom weavers cop fed ltd.	357840	0	0	6390	7156	286	6390	7442
0071 Mar-22	Dynamic kare	398466	0	0	7115	7969	318	7115	8287
0070 Mar-22	Mayank enterprises	(214600+85000)	0	0	3637	4292	171	3637	4463
63 Mar-22	Geeta multi trading company	(215000+22500 0)	0	0	7857	8800	352	7857	9152
62 Mar-22	Barkha sales	499900	0	0	8473	9998	400	8473	10398
	Mayank	479970	0	0	8135	9599	383	8135	9982

	traders								
19 Mar-23	Mritunjay traders	300000	0	0	5085	6000	240	5085	6240
18 Mar-23	Advanced life science indore	(252000+94990 +149075)	0	0	8950	9921	396	5040	6407
								Total	62371

DDO CODE- 4902506061 Asstt. Commissioner Tribal development, Alirajpur

93 Mar-23	quick computer sajapur	511092	0	0	0	1022 1	408	8662	19291
	Bhavya enterprize indore	182750	0	0	0	3655	146	0	3801
	Mother traders indore	139947	0	0	0	2798	111	0	2901
134 Mar-23	Samriddhi infratech sajapur	484703	0	0	0	9694	387	8215	18296
	quick computer sajapur	108186	0	0	0	2163	86	0	2249
	Mahakal computer service	444500	0	0	0	8890	355	7533	16778
								Total	63316
								Grand Total	125687
उक्त दोनो DDO के सभी प्रमाणक पर paid and cancelled अंकित नहीं पाया									

कोषालय पन्ना

Statement of Over Payment to Contractor due to improper deductions of TDS-GST, Income Tax
thereon

Name of DDOs	Vendor Name	V.NO/Month/Year	MHCD	Gross Amount	Incorrect/Incomplete Deductions of IT-TDS & GST-TDS on vouchers	Deductions should be made on vouchers (IT-TDS & GST-TDS)	GST-TDS @2% (CGST+S GST)	IT-TDS 2%
D.O.T.W Officer Panna	MRS Chandrika Prashad Gupta	24,54-03/2023& 54-02/2023	2225	1784355	31782	35685	35685	35685
D.O.T.W	Shukla	55-	2225	699606	5180	13992	13992	13992

Officer Panna	Construction Panna	03/2023& 54-0220203						
D.O.T.W Officer Panna	Aradhyा Traders Ajaygarh	54-02/2023& 55-03/2023	2225	434431	NIL	8689	8689	8689
D.O.T.W Officer Panna	Rajnish Gautam, Bhawan Malik	89 03/2023	2225	344000	NIL	6880	6880	6880

कोषालय सिवनी

Statement of Over Payment to Contractor due to improper deductions of TDS-GST, Income Tax & Cess thereon

V.NO./ MONTH	MHCD	GROSS AMT	Incorrect/Incomplete Deductions of IT-TDS & GST-TDS on vouchers			Deductions should be made on vouchers (IT-TDS & GST-TDS)			OVER PAYMENT (In Rs.)
			IT-TDS 2%	CESS @4% on IT-TDS	GST-TDS @2% (CGST+S GST)	IT-TDS 2%	CESS @4% on IT-TDS	GST-TDS @2% (CGST+SGST)	
DDO CODE-3601704001 CM&HO, SEONI									
173 Mar-23	2210	501473	9552	0	9552	10028	400	9552	876
24 Mar-23	2210	275330	0	0	4977	5506	220	4916	5665
83 Mar-23	2210	399744	7138	0	7138	7994	160	7138	1016
32 Mar-23	2210	296399	5928	0	0	5928	236	4307	4543
170 Mar-23	2210	999450	17848	0	17848	19989	799	17848	2940
115 Mar-23	2210	499910	8919	0	8919	10000	400	8919	1481
								Total	16521

साथ ही अधिकांश उप प्रमाणकों पर PAID AND CANCELLED अंकित नहीं पाया गया ।

कोषालय धार

Statement of Over Payment to Contractor due to improper deductions of TDS-GST, Income Tax & Cess thereon									
V.NO./ MONTH	MHCD	GROSS PAID AMT	Incorrect/Incomplete Deductions of IT-TDS & GST-TDS on vouchers			Deductions should be made on vouchers (IT-TDS & GST-TDS)			OVER PAYMENT (In Rs.)
			IT-TDS 2%	CESS @4% on IT-TDS	GST-TDS @2%	IT-TDS 2%	CESS @4% on IT-TDS	GST-TDS @2%	
Fvc bill/ 200016948358 01/11/2023	2055	3,74,649	0	0	0	7,493	300	7,136	14,929
Fvc bill/ 200017036659 13/11/2023	2055	3,81,905	0	0	0	7,638	306	7,274	15,218
Fvc bill/ 200017089795 24/11/23	2055	10,51,688	0	0	0	21,034	841	20,032	41,907
TOTAL		18,08,242	0	0	0	36,165	14,47	34,442**	72,054
								Total	72,054
								Grand Total	72,054

* Annual Paid Amount to the same contractor is more than 2.5 Lakhs

** GST-TDS deducted on the net amount of the contractor invoices (without CGST and SGST).

Name of DDOs	voucher No/ Month	Name of the vendor	MHCD	Gross amt	Deductions should be made on vouchers (IT-TDS) IT-TDS 2%
District Treasury, Sagar	0030 07/2023	Rajeev EnterpriseSagar	2054	Rs. 49552/-	Rs.991/-

कोषालय सागर

Statement of Over Payment to Contractor due to improper deductions of TDS-GST, Income Tax thereon (In Rs.)								
Name of DDOs	voucher No/ Month	MHC D	Vendor Name	Gross amt	Net Amount	GST-TDS @2% (CGST+SGST)	IT-TDS 2%	
Assistant Commiss ioner Excise	03 ,07/2022	2039	Silicons Systems, sagar	1364000	1155932.20	23118.60 (Not Deducted)	27280 (Not Deducted)	

District Sagar, M.P.	16, 06/2022, 05, 08/2022, 11, 08/2022. 12, 08/2022,	2039	Pradeep Thakur	288000	----	5760 (Not Deducted)	Deducted @1%
DDO Code 33005040 04	15, 09/2022, 08, 10/2022, 05, 12/2022, 09, 02/2023, 22,03/2023, 25,03/2023		Priyanka Singh	306276	----	6125 (Not Deducted)	Deducted @1%
			Sudheer Ghosi	287472	----	5749 (Not Deducted)	Deducted @1%
			Ram Narayan Raikwar	288000	----	5760 (Not Deducted)	Deducted @1%
CM & HO, Sagar	186, 03/2023	2210	Sai BABA Electronic System, Bhopal	85000	----	-----	1700 (Not Deducted)
DDO Code 33017040 02	245, 03/2023		Kant Publicity, Sagar	99550	----	-----	1991 (Not Deducted)
	195, 03/2023		Medicament Jabalpur	228480	-----	-----	4567 (Not Deducted)

कोषालय छिन्दवाडा

DDO- 0702506001 Asstt. Comm. Aadiwashi Vikash CWA

				Deductions of IT-TDS & GST-TDS on vouchers by DDOs			Remarks
V.NO./Month	MHC D	Vendor Name	Gross amt (In Rs.)	GST-TDS @2%	IT-TDS 2% (In Rs.)	IT CESS @ 4% of IT TDS	
22/ 02.23	2225	Shri Shantosh Raghuvanshi, Chhindwara	500000	14251			TDS not deducted as per the provision of the act.
21/ 02.23	2225	Shri Amit Pandey, Harrai	1549989	23324			TDS not deducted as per the act.

93/ 02.23	2225	Ya Uppawa Constraction Tamia	878702	14893	TDS not deducted as per the act.
105/ 02.23	2225	Jai Durge Catering Services	524234	9985	TDS not deducted as per the act.
144/ 02.23	2225	Kamthean Security Services	75883	Nil	TDS not deducted as per the act.

DDO- 0701704001 CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER CWA

(In Rs.)

V.NO./Month	MH CD	Vendor Name	Gross amt	Deductions of TDS by DDO	Deduction of IT-TDS & GST-TDS which should be as below		
					GST-TDS @2%	IT-TDS 2%	IT CESS @ 4% of IT TDS
38/03.23	2210	Raj Security Force Labour Supplier Pvt. Ltd Bhopal	1130520	19161	19161	22610	904
39/03.23		Raj Security Force Labour Supplier Pvt. Ltd Bhopal	1130520	19161	19161	22610	904
134,135,1 51/ 03.23		Ms Gupta Stores Chhindwara	453970	8095	8095	9079	363
133/03.23		Crupa Wastages	1110480	19830	19830	22210	888
150/03.23		Crupa Wastages	400400	7150	7150	8008	320
190/03.23		Subh Associate CWA	500000	8663	8663	10000	400
195/03.23		Sandeep Enterprises	191500	3416	3416	3830	153
206/03.23		Sandeep Enterprises	43700	741	741	874	35
		Subh Associate CWA	675640	11452	11452	13513	540

DDO- 0700504003 Distt. Excise Officer CWA

(In Rs.)

V.NO./ Month	MH CD	Vehicle No.	Vendor Name	Gross amt	Deductions of TDS by DDO	Deduction of IT-TDS & GST-TDS which should be as below		
						GST-TDS @2%	IT-TDS 2%	IT CESS @ 4% of IT TDS
06/03.23	2039	MP28TA 1706	Ajinder Singh Bedi	119600	1196	2392	2392	96
		MP28TA 1476	Shri Sunil Thakur	119600	1196	2392	2392	96
		MP28TA 1475	Shri Prashant Paradkar	119600	1196	2392	2392	96
		MP28TA 1447, 1459	Jaiswal Transport	239200	2392	4784	4784	191
		MP28TA 1471,1472,1473,1474	Shri Dewesh Deshmukh	478400	4784	9568	9568	383
				Total	10764	21528	21528	862

कोषालय ग्वालियर

स.क	डी.टी.ओ.कोड	मु0शी0	बिल.क	प्रमाणक क./ दिनांक	राशि ₹
01	1403402008	2215	502 / 30.12.2019	102 / 31 / 12 / 2019	3502240 / -
02	1403402008	2215	503 / 30.12.2019	103 / 31 / 12 / 2019	4953168
03	1403402008	2215	501 / 30.12.2019	104 / 31 / 12 / 2019	3502240
04	1403402008	2215	-	23 / 05 / 09 / 2019	2346541
05	1403402008	2215	-	22 / 05 / 09 / 2019	1493419

S.no.	MH	Vr.	Month	प्रमाणक की राशि ₹	TDS not deducted
1	2039	38	03.2022	129297	Income tax

परिशिष्ट संख्या-40
(पैरा-3.9.17)

जी.एस.टी. की राशि का नियमानुसार समय पर जमा न किया जाना
कोषालय बड़वानी

Name of DDOs	Month and amount of GST deducted	Date/Month and amount GST refunded	Remarks
EE pwd nvda rehab Barwani	01/2023 2270/-	13/02/2023 2270/-	To be refunded by 10.02.2023
EE phh narmada vikas	01/2023 85557/-	16/02/2023 85557/-	To be refunded by 10.02.2023
EE nvda E/M DN	01/2023 8860/-	21/03/2023 8860/-	To be refunded by 10.02.2023
Principal govt degree college Anjad	02/2023 5722/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.03.2023
EE nvda E/M DN	02/2023 64820/-	21/03/20203 64820/-	To be refunded by 10.03.2023
principal govt college Rajpur	03/2023 9998/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.04.2023

कोषालय रायसेन

Name of DDOs	Month and amount of GST deducted	Date/Month and amount of GST refunded	Remarks
Dy. Director Veterinary Raisen	06/2023 50230/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.07.2023
Vety. ASSTT SURGEON KVB Bari	06/2023 2000/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.07.2023
Collector Raisen	06/2023 96102/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.07.2023
E.E Barna Bari (LBC) Raisen	06/2023 10344/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.07.2023
DFO T Raisen	04/2023 40862/-	24/05/2023 40862/-	To be refunded by 10.05.2023
SSP Jailer Sub Jail Gartgi	04/2023 7692/-	16/05/2023 7692/-	To be refunded by 10.05.2023

कोषालय दमोह

Name of DDOs	Month and amount of GST deducted	Date/Month and amount of GST refunded	Remarks
Varishthatam Upjail Adhikshak Jailer Upjail (Hatta)	04/2023 1085/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.05.2023
	04/2023 2192/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.05.2023
	06/2023 475/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.07.2023

	06/2023 2972/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.07.2023
DFO, Damoh	04/2023 212/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.05.2023
	04/2023 951/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.05.2023
	04/2023 167/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.05.2023
	04/2023 3895/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.05.2023
	05/2023 303/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.06.2023
	05/2023 5195/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.06.2023
Jila Khel Evm Yuva Kalyan Adhikaari, Damoh	04/2023 2055/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.05.2023
C S Cum Supdt District Hospital, Damoh	04/2023 29286/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.05.2023
	06/2023 14643/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.07.2023
Collector, damoh	05/2023 3988/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.06.2023
	05/2023 5866/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.06.2023
	06/2023 4814/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.07.2023
Collector Food Damoh New Collectorate	05/2023 9154/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.06.2023

कोषालय पन्ना

Name of DDOs	Month and amount of GST deducted	Refunded Amount Within Due Date	Remarks
Collector Panna	04/2023 44476/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.05.2023
C.E.O. Janpad Panchayat Panna	04/2023 79927/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.05.2023
C.E.O. Janpad Panchayat Gunour Collector Panna	04/2023 49400/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.05.2023
C.E.O. Janpad Panchayat Ajaygarh Collector Panna	04/2023 273967/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.05.2023
Dfo South Panna	05/2023 23837/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.06.2023
Civil Surgeon Cum Chief Hospital	05/2023 16672/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.06.2023

Supdt.Panna			
Superintendent Of Police Panna	05/2023 8972/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.06.2023
Dist. Organiser Tribal Welfare Panna	05/2023 8275/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.06.2023
Cmho Panna	05/2023 54140/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.06.2023

कोषालय रीवा

Name of DDOs	Month and amount of GST deducted	Date/Month and amount of GST refunded	Remarks
OFFICER COMMANDANT 3 MP BATALLION NCC REWA	04/2023 1898/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.05.2023
	05/2023 1962/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.06.2023
	06/2023 1962/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.07.2023
DY. COMMISSIONER EX.(FLYINGS COAT), REWA	04/2023 14992/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.05.2023
	05/2023 1234/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.06.2023
	05/2023 6640/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.06.2023
	05/2023 3320/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.06.2023
CONSERVATOR OF FOREST SOCIAL FORESTRY CIRCLE, REWA	05/2023 3366/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.06.2023
	05/2023 98/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.06.2023
	05/2023 4760/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.06.2023
	05/2023 368/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.06.2023
DEAN S.S. MEDI. COLL. REWA	06/2023 7434/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.07.2023
	06/2023 3390/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.07.2023
	06/2023 1754/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.07.2023
ASSTT. COMMISSIONER EX. REWA	06/2023 7470/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.07.2023
	06/2023 4980/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.07.2023
DY. DIR. L.F.A. REWA (M.P.)	06/2023 1830/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.07.2023

कोषालय डिप्लोरी

Name of DDOs	Month and amount of GST deducted ₹	Date/Month and amount of GST refunded ₹	Remarks
DFO Production, Dindori	04/2023 4170984/-	15/05/2023 4170984/-	To be refunded by 10.05.2023
	06/2023 9549135/-	17/07/2023 9549135/-	To be refunded by 10.07.2023
District Pension Officer	04/2023 4/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.05.2023
DFO General, Dindori	04/2023 898/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.05.2023
Collector, Dindori	05/2023 32951/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.06.2023
A.C.T.W, Dindori	05/2023 652368/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.06.2023
SUPT CUM CIVIL SURGEON, DINDORI	05/2023 1371/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.06.2023
	06/2023 52618/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.07.2023
CMHO DINDORI	06/2023 10596/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.07.2023

कोषालय विन्ध्याचल भवन

MONTH	Amount of GST deducted at source ₹	MONTH	Amount of GST refunded ₹	Remarks
April 2023	13642899.00	May 2023	13029774	613125 Less GST REFUNDED in time
May 2023	9271290.00	June 2023	9918358	-647068 excess GST refunded in time
June 2023	8062167.00	July 2023	7973541	88626 Less GST REFUNDED in time
July 2023	11895220.00	August 2023	11702060	193160 Less GST REFUNDED in time
August 2023	12162515.00	September 2023	11997443	165072 Less GST REFUNDED in time
September 2023	10386403.00	October 2023	10388252	-1849 excess GST refunded in time

October 2023	9468402.00	November 2023	9460767	3007635 Less GST REFUNDED in time
November 2023	15423323.00	December 2023	15344225	13888901 Less GST REFUNDED in time

कोषालय सागर

Name of DDOs	Month and amount of GST deducted	Date/Month and amount of GST refunded	Remarks
DFO North, Sagar	06/2023 12861/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.07.2023
	06/2023 3047/-	12.07.2023 3047/-	To be refunded by 10.07.2023
	06/2023 2530/-	12.07.2023 2530/-	To be refunded by 10.07.2023
	06/2023 8667/-	12.07.2023 8667/-	To be refunded by 10.07.2023
	06/2023 10859/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.07.2023
	06/2023 17592/-	12.07.2023 17592/-	To be refunded by 10.07.2023
	06/2023 7169/-	12.07.2023 7169/-	To be refunded by 10.07.2023
	07/2023 40319/-	18.09.2023 40319/-	To be refunded by 10.08.2023
	08/2023 43153/-	18.09.2023 43153/-	To be refunded by 10.09.2023
	08/2023 20354/-	18.09.2023 20354/-	To be refunded by 10.09.2023
DFO South Sagar	06/2023 1612/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.07.2023
	08/2023 5646/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.09.2023
	08/2023 4546/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.09.2023
	08/2023 20915/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.09.2023
	08/2023 2391/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.09.2023
Deputy Director Veterinary services, Sagar	06/2023 9800/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.07.2023
	06/2023 13706/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.07.2023
	06/2023 5990/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.07.2023
	06/2023	Amount not refunded	To be refunded by

	5292/-		10.07.2023
DFO Nouradehi, Sagar	08/2023 4049/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.09.2023
	08/2023 3474/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.09.2023
	08/2023 12311/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.09.2023
	08/2023 4439/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.09.2023
	08/2023 4272/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.09.2023
	08/2023 6054/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.09.2023

कोषालय र्वालियर

Name of DDOs	Month and amount of GST deducted	Date/Month and amount of GST refunded	Remarks
Civil Surgeon cum Chief Hospital Suptd. Gwalior (DDO Code- 1401704002)	08/2023 ₹ 11745/-	Amount not refunded	To be refunded by 10.09.2023
	09/2023 ₹ 1600/-		To be refunded by 10.10.2023
	10/2023 ₹ 20714/-		To be refunded by 10.11.2023

परिशिष्ट संख्या-41

(पैरा-3.9.18)

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर कोषालय आई.एफ.एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर में अपलोड नहीं पाया जाना

स.क्र.	कोषालय का नाम	स.क्र.	कोषालय का नाम
1	शिवपुरी	5	मण्डला
2	बड़वानी	6	धार
3	आगरमालवा	7	सागर
4	सीहोर	8	खरगौन

परिशिष्ट संख्या—42
(पैरा—3.9.19)

सायबर कोषालय के तहत जमा राशियों का सत्यापन न किया जाना

स.क.	कोषालय	निरीक्षण अवधि
1	उज्जैन	04 / 2022 से 03 / 2023
2	बड़वानी	10 / 2021 से 05 / 2023
3	पन्ना	01 / 2022 से 08 / 2023
4	सागर	02 / 2023 से 01 / 2024

परिशिष्ट संख्या—43
(पैरा—3.9.20)

मननीय विधायकों को माह जुलाई 2018 के वेतन का दोहरा भुगतान किया जाना

कोषालय बालाघाट

स.क.	माननीय विधायक का नाम	वेतन माह	कोषालय बालाघाट से वेतन माह 07 / 2018 का भुगतान प्रमाणक क्र.व दि० एवं राशि	कोषालय विंध्याचल से वेतन माह 07 / 2018 का भुगतान प्रमाणक क्र.व दि० राशि	रिमार्क
01.	श्री के.डी. देषमुख, एम.एल.ए. MLA14011301	जुलाई 2018	प्र०क०—०१ दि०— 13.08.2018 राशि— 1,10,000 /—	प्र०क०—०२ दि०— 01.08.2018 राशि— 1,10,000 /— (प्रमाणक की कुल राशि 2,15,10,000 /—)	जिला कोषालय बालाघाट के प्र.क. 01 माह 08 / 2018 अनुसार व कोषालय विंध्याचल भवन के प्र.क. 02 माह 08 / 2018 अनुसार एक ही वेतन माह जुलाई 2018 का दोहरा भुगतान परीलक्षित हो रहा है।

कोषालय शिवपुरी

स.क.	माननीय विधायक का नाम	वेतन माह	कोषालय शिवपुरी से वेतन माह 07 / 2018 का भुगतान प्रमाणक क्र.व दिनांक एवं राशि	कोषालय विंध्याचल से वेतन माह 07 / 2018 का भुगतान प्रमाणक क्र.व दिनांक राशि	रिमार्क
01.	श्री प्रह्लाद भारती, एम.एल.ए. MLA14002401	जुलाई 2018	प्र. क्र.—०३ दिनांक 01.08.18 राशि— 1,10,000 /—	प्र. क्र.—०२ दिनांक — 01.08.18 राशि— 1,10,000 /— (प्रमाणक की कुल राशि 2,15,10,000 /—) स. क्र..32	जिला कोषालय शिवपुरी के प्र.क. 01 माह 08 / 2018 अनुसार व कोषालय विंध्याचल भवन के प्र.क. 02 माह 08 / 2018 अनुसार एक ही वेतन माह जुलाई 2018 का दोहरा भुगतान परीलक्षित हो रहा है।

परिशिष्ट संख्या—44

(पैरा—3.9.21)

असफल ई—भुगतान के पुर्णभुगतान से संबंधित विसंगतियां

कोषालय रायसेन

Sl No.	DDO Name	Bill Control Number	Amount	Observation by Inspection Team
1	Tehsildar Gauharganj	2900709009/11-2022/00023	2611115	स्वीकृति आदेश में हितग्राही का विवरण नहीं है एवं राशि दर्ज नहीं है।
2	Tehsildar Gauharganj	2900709009/12-2022/00016	431400	स्वीकृति आदेश में हितग्राही का विवरण नहीं है एवं राशि दर्ज नहीं है।
3	Executive Eng. PHED Raisen	2903402001/12-2022/00009	103482	स्वीकृति आदेश में भूगतान राशि फेल होने का कारण नहीं दर्शाया गया है।
4	D F O Obedullaganj Distt. Raisen	2901003005/08-2023/00040	18921	स्वीकृति आदेश में हितग्राही का विवरण नहीं है एवं भूगतान राशि फेल होने का कारण नहीं दर्शाया गया है।
5	D F O Obedullaganj Distt. Raisen	2901003005/08-2023/00086	20034	स्वीकृति आदेश में हितग्राही का विवरण नहीं है एवं भूगतान राशि फेल होने का कारण नहीं दर्शाया गया है।
6	Divisional Forest Officer Raisen	2901003001/08-2023/00021	62133	हितग्राही श्री प्रमोद के द्वारा जारी सहमती पत्र के अनुसार अन्य खाताधारक श्री रमेश कुमार को राशि 9325 का भुगतान किया गया है जो नियमानुसार सही नहीं है।
7	Divisional Forest Officer (T) Raisen	08/2023 Vr No.- 0044	29835	हितग्राही श्री जैद खान के द्वारा जारी सहमती पत्र के अनुसार अन्य खाताधारक श्री सानु खान को राशि 29835 का भुगतान किया गया है जो नियमानुसार सही नहीं है। इसके अतिरिक्त कार्या. आदेश में श्री जैद खान के स्थान पर श्री आजिद खान दर्शाया गया है।
8	Tehsildar Raisen	2900704005/12-2023/00003	400000	कार्या. आदेश के अनुसार श्रीमति लक्ष्मी बाई को आर्थिक सहायता राशि 4 लाख भुगतान किया जाना था जबकि IFMIS में संधारित बिल अनुसार उक्त राशि का भुगतान श्री कपिल अहिरवार को किया गया है।

कोषालय पन्ना

अवधि	कोषालय	चालानों की संख्या	राशि ₹
01.01.2022 से 31.08.2023	पन्ना	3242	84998094

चुंकि विफल लेन—देन एक दावाकृत राशि होती है जो कि किसी कारणवश हितग्राही के खाते में जमा नहीं हो पाती है जिसे सर्पेंस शीर्ष 8658—102 में अधिकतम 30 अथवा 60 दिनों तक रखा जाना चाहिए जिसका पुर्णभुगतान समयावधि में न होने पर संबंधित प्राप्ति शीर्ष में जमा किया जाना चाहिए।

कोषालय डिप्लोरी

Sl No.	DDO Name	Bill Control Number	Amount	Observation by Inspection Team
1	BEO AMARPUR	1202506025/11-2023/00055	453489	स्वीकृति आदेश में असफल भुगतान के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है।
2	TEHSILDAR DINDORI	1200704001/11-2023/00025	400000	स्वीकृति आदेश में बैंक खाते का विवरण दर्ज नहीं है।
3	Executive Eng. RES DINDORI	1205803001/11-2023/00009	610667	स्वीकृति आदेश में हितग्राही के बैंक खाते का विवरण नहीं है एवं भुगतान राशि फेल होने का कारण नहीं दर्शाया गया है।
4	D F O PRODUCTION Distt. Dindori	1201003002/11-2023/00022	11190	स्वीकृति आदेश में असफल भुगतान के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है।
5	Distt. Election Officer Dindori	1200121001/10-2023/00002	17141	स्वीकृति आदेश में हितग्राही के बैंक खाते का विवरण नहीं है।
6	DIST AND SESSION JUDGE DINDORI	1202103001/12-2022/00014	300000	असफल भुगतान मुख्यशीर्ष 8443.101.0120 से की गयी है जिसमें योजना शीर्ष 0120 आई एफ एम आई एस के अनुसार लाडली लक्ष्मी योजना के लिए निहित है जबकि उक्त भुगतान योजना शीर्ष 0119 से किया जाना चाहिए।